Friday, 9th December, 1977

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

(Third Session)

Preservation ... Parliament Library 18-9-92

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary from of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—988 LSS/77

विषय सूची/CONTENTS

अंक 18 शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 1977/18 अग्रहायण 1899 (शक)
No. 18 Friday, December 9, 1977/Agrahayana 18, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर *तारांकित प्रश्न संख्या 346 से 349 और 352	Oral Answers to Questions : *Starred Questions Nos. 346 to 349 and 352.	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या 350, 351, 353 से 357 और 359 से 365 अतारंकित प्रश्न संख्या 3206 से 3245, 3247 से 3274, 3276 से 3351, 3353 से 3365 3367 से 3374, 3376 से 3381 3383 से 3399, 3401 और 3403 से 3405।	Written Answers to Questions : Starred Questions Nos. 350, 351, 353 to 357 and 359 to 365 Unstarred Questions Nos. 3206 to 3245, 3247 to 3274 3276 to 3351, 3353 to 3365, 3367 to 3374, 3376 to 3381, 3383 to 3399, 3401 and 3403 to 3405.	18-142
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	143-145
लोक लेखा समिति के विवरण	Statements of Public Accounts Committee	
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	145
लोक लेखा समिति 22वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Twenty Second Report	146
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति दुसरा तथा बाहरवां प्रतिवेदन	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Second and Twelfth Report	146
सभा का कार्य	Business of House	146-148
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377	148-152
(एक) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता बनाने का सुझाव	(i) Move for formulation of a Code of ethic for High Court Judges	148
(दो) कोहिनूर मिल्स द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के साथ की गई कथित धोखोधड़ी	(ii) Alleged gross cheating of Central Bank of India by Kohinoor Mills	150

किसी नाम पर अंकित यह † इस बाद का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

(तीन) कांग्रेस को आनन्दमार्ग के साथ तुलना करने सम्बन्धी विदेश मंत्री का कथित वक्तव्य

(चार) सरकारिया जांच आयोग के निष्कर्षों पर कार्यवाही

(पांच) एक व्यक्ति की भरा हुआ रिवाल्वर लिये हुये प्रधानमंत्री से उज्जैन में मिलने का प्रयास करते हुए कथित गिरफ्तारी

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री रवीन्द्र वर्मा

खण्ड 2 से 17

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों के बीच संतुलन बनाये रखने के बारे में संकल्प :—

वापिस लिया गया

श्री कंवर लाल गुप्त

श्री कल्याण जैन

श्री ओम प्रकाश त्यागी

श्री के० लकप्पा

श्री एस० जगन्नाथन

श्री नाथू सिंह

श्री श्यामा प्रसन्ना भट्टाचार्य

श्री एच० एम० पटेल

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

अर्थ व्यवस्था को सुधारने तथा आय आदि की उस असमानता को कम करने के लिए कार्यवाही करने हेतु संकल्प ।

श्री कंवर लाल गुप्त

आधे घंटे की चर्चा

वरिष्ठ अ सिविल अधिकारियों की गिफ्तारी

श्री पी० जी० मावलंकर

श्री सी० के० चन्द्रप्पन

श्री चिता बासू

श्री के० लकप्पा

श्री कंवर लाल गुप्त

श्री एस० डी० पाटिल

(iii) Reporetd Statement of Minister of External Affairs comparing the Congress with Anand Marg 150

(iv) Action on the findings of the Sarkaria Commission of Inquiry. 150

(v) Reported arrest of a person with loaded revolver trying to meet the Prime Minister at Ujjain 150

Payment of Bonus (Amendment) Bill 150-158

Motion to consider—

Shri Ravindra Varma

Clauses 2 to 17

Committee on Private Members' Bills and Resolution 159

Resolution Re. Parity Between the Production and Prices of Agricultural and Industrial Products—withdrawn 159-168

Shri Kanwar Lal Gupta 160

Shri Klayan Jain 161

Shri Om Prakash Tyagi 162

Shri K. Lakkappa 162

Shri S. Jagannathan 163

Shri Nathu Singh 164

Shri Shyamprasanna Bhattacharyya 165

Shri H. M. Patel 167

Shri Arjun Singh Bhadoria 167

Resolution Re. Steps to Improve the Economy and to improve inqualities of Income etc. 168-169

Shri Kanwar Lal Gupta 169-172

Half-an-hour Discussion

Arrest of Senior Civil Servants

Shri P. G. Mavalankar 169

Shri C. K. Chandrappan 170

Shri Chitta Basu 171

Shri K. Lakkappa 172

Shri Kanwar Lal Gupta 172

Shri S. D. Patil 172

लोक सभा

LOK SABHA

अंक 18 शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 1977/18 अग्रहायण, 1899 (शक)
No. 18 *Friday, December* 9, 1977/*Agrahayana* 18, 1899 (*Saka*)

[लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हैशीश की तस्करी के मामले

*346. **श्री सी० के० चन्द्राप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा हाल में नई दिल्ली में पश्चिम जर्मनी के एक "हैशीश" के तस्कर को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पिछले कुछ महीनों में 'हैशीश' की तस्करी के कई मामलों का पता लगाया गया तथा इन से सम्बन्धित कई विदेशियों को गिरफ्तार किया गया ;

(घ) यदि हां, तो उन उन मामलों की संख्या कितनी है, गिरफ्तार किये गये विदेशियों के नाम क्या हैं और किन-किन देशों के हैं , और

(ङ) उनके विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चला है कि हाल ही में राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय ने नई दिल्ली में जिस एक पश्चिम-जर्मनी राष्ट्रिक को पकड़ा था, और जिस पर अफगानिस्तान से चोरी-छिपे हशीश लाकर आस्ट्रेलिया ले जाने का सन्देह था, उसके पास से कोई हशीश नहीं पकड़ी गई। जांच-पड़ताल से पता चला कि वह जाली पासपोर्ट पर यात्रा कर रहा था। इसकी सूचना विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्री कार्यालय को दी गयी थी और उस कार्यालय के अधिकारियों ने उसे 4-11-1977 को गिरफ्तार कर लिया।

(ग), (घ) और (ङ) जनवरी से नवम्बर, 1977 तक की अवधि में हशीश पकड़ने के 22 मामले सरकार की जानकारी में आये हैं जिनमें 36 विदेशी व्यक्ति भी ग्रस्त हैं। उनमें से दो विदेशियों को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और शेष को भारत में। उनके नाम, उनके देशों के नाम और उनके खिलाफ की गयी कार्यवाही के ब्यौरे का विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है।

वर्ष 1977 में जनवरी से नवम्बर तक की अवधि के दौरान जिन विदेशियों को हशीश की तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया उनके नाम, उनके देश का नाम और उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण-पत्र

विवरण

क्रम सं0	विदेशी व्यक्ति का नाम	किस देश का है	की गयी कार्यवाही
1.	मिस जो-ऐन स्वीट्को	कनाडा	मुकदमा चलाया गया और सजा दिलायी गयी।
2.	मिस्टर लेविस अन्थनी विग्गिन्स	कनाडा	मुकदमा चल रहा है।
3.	मिस्टर ब्रायन माइकेल रियान	अमेरिका	
4.	मिस्टर ऐलन ऐन्ड्रयू क्यूरी	ब्रिटेन	
5.	मिस्टर वायने लेनोक्स गैफ्ने	कनाडा	
6.	श्री मोहन दास श्रेष्ठ	नेपाल	विदेशी-मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1974 के अधीन नजरबन्द।
7.	श्री खगेन्द्र शेरचन	नेपाल	
8.	श्री भरत राय	नेपाल	मुकदमा शीघ्र ही चलाया जायेगा।
9.	मिस्टर राबर्ट रसैल इर्विन	अमेरिका	अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और अमेरिका में मुकदमा चलाया गया।
10.	मिसेज़ डेनिसे अन्ने इर्विन	अमेरिका	विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन 28-1-1977 को नजर-बन्द और 22-3-77 को छोड़ दिया गया।
11.	मिस्टर गैरी डोंगलास पैटीग्रियू	कनाडा	मुकदमा चलाया गया और सजा दिलायी गयी।
12.	मिस्टर रिचर्ड व्हिट वर्थ ग्रीन	ब्रिटेन	मुकदमा अभी चलाया जाना है।
13.	मिस पैट्रिशिया मैक बिनो	ब्रिटेन	मुकदमा चलाया गया और सजा दिलायी गयी।
14.	फ्लोरियर जोसेफ युआन कि लैफ्टाइग	कनाडा	दोनों पर मुकदमा चलाया गया और सजा दिलायी गयी।
15.	ऐमे बगां मेरी फैले	कनाडा	

क्रम सं0	विदेशी व्यक्ति का नाम	किस देश का है	की गयी कार्यवाही
16.	मिस अलैग्जेंडरा बारबारा अन्ने हैरीसन ।	आस्ट्रेलिया	फरार ।
17.	मिस जान युग्नरी फैंक्स	अमेरिका	मुकदमा अभी चलाया जाना है ।
18.	मिस्टर जोबर्ग ओली स्वैंट	डेनमार्क	मुकदमा अभी चलाया जाना है ।
19.	मिस्टर क्रिस्टोफरसन ओल बैक	डेनमार्क	
20.	मिसेज हैक्टोरिम मेरी डैगेनाइस (नी मेरशियर)	कनाडा	मुकदमा चलाया गया और सजा दिलायी गयी ।
21.	मिसेज केरोल ऐन उहलन	अमेरिका	मुकदमा चलाया गया और सजा दिलायी गयी ।
22.	मिस मेरी जोहुलर	अमेरिका	मुकदमा चलाया गया और अदालती आदेशों के अन्तर्गत निर्वासित किया किया ।
23.	श्री मोहम्मद फारुक	अफगानिस्तान	
24.	मिस्टर मर्कस्टीन केसपरास डिर्क	हालैण्ड	
25.	मिस गेलोफ वेरेनिका	हालैण्ड	
26.	मिस्टर वहीद अब्दुल्ला	बहरीन	
27.	श्री एस० इस्माइल गुलाम	बहरीन	
28.	श्री अब्दुल रहीम अशक	ओमान	
29.	श्री इब्राहीम बख्श	ओमान	
30.	श्री जोहनगैराड गोर्डन	आस्ट्रेलिया	मुकदमा चलाया गया और सजा दिलायी गयी ।
31.	मिस्टर साजू केरलोन	स्वीडन	मुकदमा चलाया गया और सजा दिलायी गयी ।
32	मिस्टर एगलो मेसी	इटली	
33.	श्री ननकू	नेपाल	मुकदमा अभी चलाया जाना है ।
34.	श्री मिसरी लाल	नेपाल	
35.	श्री अम्बिका	नेपाल	
36.	श्री अब्दुल मजीद	नेपाल	

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण में मंत्री महोदय ने विभिन्न देशों के 36 विदेशियों के नाम दिये हैं जो हैशीश वर्ग तस्करी के अन्तर्ग्रस्त थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन तस्करों की तस्करी के कार्य करने में भारतीयों से कोई सहायता मिलती थी और क्या इनका भारतीय तस्करों से कोई सम्बन्ध था ?

श्री सतीश अग्रवाल : कुछ मामलों में इन तस्करों का भारतीयों से सम्बन्ध था और सरकार ने उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की हैं और कर रही हैं। जहां तक इस बारे में जानकारी के ब्यौरे का

सम्बन्ध है, क्योंकि माननीय सदस्य ने हैशीश की तस्करी के अन्तर्ग्रस्त विदेशियों के बारे में जानकारी चाही थी अत: मैं इस समय इस बारे में विस्तृत जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : भारतीय समाचार पत्रों, ने अक्टूबर, 1977 में बिलट्ज में तस्करों ने तस्करी के लिये नये संगठन बनाम जैसे समाचार प्रकाशित हुये हैं मैं जानता हूं कि मैंने तस्करी में विदेशियों का हाथ नामक प्रश्न किया है। परन्तु यह सत्य है कि इस सरकार के सत्ता संभालने के पश्चात् इस समस्या के प्रति नये दृष्टिकोण के कारण, बहुत से तस्कर छोड़े गये। क्या यह सच है कि ये विदेशी तस्कर आज अच्छी तरह भारतीय तस्करों से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं? क्या यह भी सच है कि आज तस्करी एक वर्ष पहले की तुलना में कहीं अधिक है?

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं माननीय सदस्य का इस बात से सहमत नहीं हूं आज तस्करी बढ़ रही है। स्थिति वास्तव में ऐसी नहीं हैं। सरकार तस्करी रोकने के लिये ठोस कदम उठा रही है और जो भी भारतीय तस्कर ऐसा पाया जाता है जिसके विदेशी तस्करों से सम्बन्ध होते हैं, हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बताता हूं कि हमने हाल ही में क्या किया हैं। दिसम्बर, 1977 के प्रथम सप्ताह में सोने की 30 छड़े जिनका वज़न 30 कि० ग्राम था और जिनका बाजार मूल्य 21 लाख है, तीन यात्रियों से सान्ताक्रूज, बम्बई में, पकड़ी गई हैं। इन व्यक्तियों के पास फ्रांस के पारपत्र थे। उनको गिरफ्तार किया गया और जांच चलरही हैं। इसकी छानबीन के दौरान जब हमने इनको पकड़ा, हमें कुछ अन्य लोगों का भी पता चला जो इस तस्करी के कार्य में अन्तर्गस्त थे, और इस विशेष मामले में, नवम्बर के मध्य में बम्बई में एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसके बारे में सदन को जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी ने दी थी। जब हमें पता चला कि कुछ भारतीयों के भी सम्बन्ध हैं तब हमने उनको भी पकड़ा और तराशे तथा बिना तराशे 38 लाख रुपये के मूल्य के हीरे बरामद किये। बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये हैं और उनसे पूछताछ चलरही है। हन इन तस्करों के सम्बन्धों का पता लगाने की प्रयास कर रहे हैं और सरकार तस्करी को रोकने के लिये कृतसंकल्प है।

SHRI SHANKAR SINGH JI VAGHELA : Sir, I would to like to know the number of smugglers arrested during the emergency and how many out of them have been released. Is it also a fact that the prices are rising because the smugglers have been released ?

Shri SATISH AGRAWAL : Out of those who were involved in smuggling activities and were arrested under COFE POSA during the emergency, nearly thousand persons have been released after the emergency was lifted. After that the Government decided that smugglers will be arrested under COFE POST as per new guide lines issued regarding smuggling we are making such arrests according. There is no question of releasing those found involved in smuggling activities and smuggling activities are notincreasing.

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, हम गत आठ महीनों से अनुरोध करते आ रहे हैं कि विदेशियों की सांठगांठ से तस्करों के नये ग्रुप बन रहे हैं। परन्तु सरकार का दृष्टिकोण बहुत ही दार्शनिक है। ठीक है कि तस्कर श्री जयप्रकाश नारायण के सम्मुख आत्मसर्म्पण कर रहे हैं। परन्तु इस दार्शनिक दृष्टिकोण से इस मामले में कोई सहायता नहीं मिलेगी। तस्करों का बहुत शक्तिशाली गिरोह और नया संगठन बन रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें विचार करना है। सलाहकार समिति की बैठक में भी मंत्री महोदय ने यही तर्क दिया कि तस्करी रोकेगें। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि भारतीय तस्करों के विदेशी तस्करों से सम्बन्ध हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने सीमाशुल्क अधिकारी है जो इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं जोकि विदेशी तस्करों तथा भारत

के प्रसिद्ध तस्करों से सम्बन्ध हैं और जिन्हें पिछली सरकार ने बन्द किया था और इस सरकार ने दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण इन्हें छोड़ दिया। उन्होंने फिर से अपना पेशा संभाल लिया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि वे व्यक्ति, सरकारी, गैरसरकारी, राजनीतिज्ञ, सीमाशुल्क अधिकारी तथा अन्य कौन है जिनके इन विदेशी तस्करों से सम्पर्क हैं। एसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, उनके नाम क्या हैं और उन्हें क्या दण्ड दिया गया।

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय सदस्य ने, जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है जिसके उत्तर के लिये सारा दिन चाहिये। जहां तक उन तस्करों का सम्बन्ध है जिन्होंने श्री जयप्रकाशनारायण के सम्मुख आत्मसमर्पण किया उनके विरुद्ध कोफेपोसा के अन्तर्गत उनकी सम्पत्ति कानून के अनुसार कुर्क की जा रही हैं। कानूनी प्रक्रिया समाप्त नहीं की गई है और सरकार इन तस्करों की निगरानी रखती है। अभी तक यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आयी है कि उनमें से किसी ने अपना तस्करी का कार्य फिर से आरम्भ कर दिया है। हम उन पर बहुत सख्त निगरानी रखते हैं। हमने उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही समाप्त नहीं की हैं। जहां तक सीमाशुल्क तथा पुलिस अधिकारियों का सम्बन्ध है बम्बई में गत माह दो सीमा शुल्क अधिकारी और दो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये। अतः हमें जो सूचना मिलती है हम उस पर कार्यवाही करते हैं। माननीय सदस्य सलाहकार समिति में आश्वस्त हो जाते हैं। सदन से बाहर आवश्स्त हो जाते हैं। परन्तु यहां केवल अपनी बात पर अड़े रहने के लिये तीखी आलोचना कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा न करें। (व्यवधान) शायद पहली बार मैंने माननीय सदस्य को वास्तव में सभी माननीय सदस्यों को, तस्करी रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में एक पत्र लिखा। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य तस्करी रोकने के मामले में अपने सुझाव दें और तस्करों के नाम भी बतायें, क्योंकि मैं यहां इस सदन में नया व्यक्ति हूं और माननीय सदस्य बहुत समय से सदस्य चले आ रहे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव भेजें। मैं आश्वस्त करा सकता हूं कि मैं अपनी ओर से अथक प्रयत्न करुंगा। मैं इस बुराई का अन्त करने मैं माननीय सदस्य का सहयोग चाहता हूं।

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARY : Mr. Speaker, Sir there are reports to the effect that foreign diplomats and being officers have been involved in smuggling activities on a large scale and there is a very big international gang. Will the hon. Minister be pleased to state whether and enquiry in this regard and efforts to unearth the gang has been made ?

SHRI SATISH AGRAWAL : Mr. Speaker, Sir, this time I have got no information regarding the diplomats found involved in smuggling activities. But would like a submit that according to the present law, we are unable to take legal action against those diplomats, therefore I have sent a detailed note to hon. Prime Minister in this regard.

SHRI MOHAN LAL PIPIL : The hon. Minister has said that he will consider the good suggestions sent to him in this regard. I have given certain suggestion to curly smuggling but no reply, has been receive, the suggestions given by me have not been even acknowledged.

I have written another letter alongwith some other Members of the Parliament regarding the connivance of some officers with the smugglers. May I know, whether any action has been taken thereon ?

SHRI SATIS AGRAWAL : The hon. Member has asked two questions. As regard the valuable suggestions sent me, we are taking action on those suggestions and it is he action which is rather more important than the acknowledgement. As regards the information given by him regarding the connivance of the officers, I would like to submit that premature disclosure will not be in the interest of the department. We are taking action in this regard.

भुवनेश्वर से कोणार्क तक विमान सेवा

*347. **श्री जैना बैरागी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोणार्क के पर्यटक महत्व को ध्यान में रखते हुए भुवनेश्वर से कोणार्क तक विमान सेवा आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : There is no proposal, at present, to operate any air services between Bhubaneswar and Konark.

श्री जेना बैरागी : क्या यह सच है कि कोणार्क के पर्यटक केन्द्र में होटल आवास तथा संचार के रूप में न्यूनतम सुविधायें भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ? यदि हां, तो ऐसी सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटकों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये माननीय मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : It is a fact that there is a need of accommodation besides communication for the development of tourism. So far as the question of communication is concerned, the hon. member will agree to this fact that Konarkiks only 64 Kilometers away from Bhubaneswar. Bhubaneswar is connected with air link on one side from Calcutta and on other side from Visakhapattnam and any tourist could not find any difficulty by going 64 Km by road. I may also tell for the information of the hon. member that it is not possible to connect both the places by air link from every place.

So far as the question of accommodation arrengement is concerned I may bring to the knowledge of the hon. member that on behalf of the ITDC, there exists a travellers lodge.

Secondly on behalf of the tourist department, which exists there, also provides a tourist lodge there. As and when the number of tourists will increase, we will certainly consider to provide more facilities there.

श्री जेना बैरागी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने दिल्ली से देश की सभी राज्यों की राजधानियों के लिये सीधी उड़ान सेवा शुरु करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा।

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : There is no such decision of the Government to connect Delhi by air link with all the capitals of the states compulsorily. The matter of Bhubaneswar has been raised from many days. Last time also when the matter was discussed to connect Delhi with Bhubaneswar by air link, a survey was conducted about the traffic available. The information which I have, according to that the survey revealed is that on an average 208 passengers were available from Delhi tto Bhubaneswar. It is not much remunerative to connect by air link any city for 208 passengers. If we try to connect this with small planes, it will also take the same time which is taken in going to Bhubaneswar *via* Calcutta but in such case, the journey could not be more comfortable. In the meantime a survey is being conducted for the number of passengers which are increasing. Besides this I would also like to tell that there is also necessity of improving the air strip for the operation of big planes. Big planes can not land on small strip. Therefore in such case, I understand, it is not possible to connect Bhubaneshwar with Delhi.

श्री जगन्नाथ राव : दिल्ली से भुवनेश्वर जाने के लिये हम कठिनाई महसूस करते हैं। इससे पूर्व फोकर फ्रेंडशिप की दो विमान सेवायें हुआ करती थी जिनमें प्रत्येक में 44 सीटों की क्षमता थी और यदि कभी हम दस दिन पहले सीट देने के लिये कहते थे तो हमें प्राप्त नहीं हो सकती थी। ये दो विमान सेवायें हमें उपलब्ध थी और तदन्तर दूसरी विमान सेवा रद्द कर दी गई थी। पहली विमान सेवा जो प्रातः दस बजे उड़ान भरती थी ; वह अब दोपहर के बारह बज कर चालीस मिनट

पर जाती है और हमें चार घंटे तक रुकना पड़ता है। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अन्य प्रश्न है ।

श्री जगन्नाथ राव : जी नहीं। यह उनके द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा है कि कलकत्ता से भुवनेश्वर के लिये और इसके बाद विशाखापटनम के लिये सीधी विमान सेवा उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिये एक अन्य प्रश्न है ।

श्री जगन्नाथ राव : इससे पर्यटकों को कठिनाई होती है और हमें कठिनाई होती है।

दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह था कि क्या दिल्ली से भुवनेश्वर के लिये सीधी विमान सेवा है। उन्होंने कहा है 'नहीं'। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि विद्यमान विमान सेवायें भी सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है। और इससे हमें तथा पर्यटकों को भी कठिनाइयां होती हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : As the Hon. members are always giving proposals to connect Bhubaneswar, therefore I have tried to satisfy them by giving the answer so that they may release my difficulty.

So far as the second plane is concerned it has been grounded now for mandatory inspection and I would like to tell that it will be put in operation very soon and then there will be no delay.

SHRI DURGA CHAND : I would like to know from the hon. Minister about the air flight from Chandigarh to Kullu, which had been discontinued for the last two years and he had assured that this flight will come into operation. But it has not been operated so far. What he has to say about this ?

श्री सी० एन० विश्वनाथन : यह पूरी तरह से एक अलग प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दुर्गाचन्द, यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। आप एक अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। केवल इस प्रश्न के बारे में, मैं अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे रहा हूं। कोई अन्य प्रश्न पूछने की मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रागावलू मोहनरंगम : यह एक सर्वविदित तथ्य है कि तमिलनाडु में बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह नहीं यदि आप चाहे तो इसके लिए एक पृथक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ?

श्री सरत कार : यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि कोणार्क विश्व भर में प्रसिद्ध है और यह विश्व के सात चमत्कारों में से एक है और दुर्भाग्य से हमारी स्वाधीनता के 30 वर्षों के बाद भी वहां के लिये संचार तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि उड़ीसा सरकार फाइव स्टार होटल खोलने और सड़क संचार तथा अन्य सभी प्रकार की सुविधायें देने के लिये जोर डाल रही है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। कोणार्क की तो बात ही छोड़ दीजिये हमें भुवनेश्वर के लिये सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। सरकार

की असफलता को युक्तिसंगत बना कर हम किसी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। मंत्री महोदय का उत्तर एक तरह से नौकरशाही का उत्तर है।

अतः मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वह हमें दिल्ली से भुवनेश्वर के लिये एक सीधी विमान सेवा उपलब्ध करायेंगें, कोणार्क के लिये विमान सेवा की बात तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि यदि यह उपलब्ध कराई जाती है तो उड़ीसा सरकार का पर्यटक विभाग भुवनेश्वर से कोणार्क के लिये सड़क परिवहन की देख-रेख कर सकता है। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : So far as the question of linking of Bhubaneswar and Konark is concerned, no such proposal has been received from the Orissa State Government. Secondly a question is being asked continuously of linking Bhubaneswar by air and I may tell that until and unless there will be an improvement in the air strip, 737. Boeing will not come into operation there. In the Sixth Five Year Plan, we are making this proposal and the proposal of its extension is under consideration. If it is expanded effort will be made to link it by big plane after considering other factors.

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं गत वर्ष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोणार्क में था.....

श्री सी० एम० स्टीफन : आओ हम यह सुनें।

श्री पी० जी० मावलंकर : वहां पर मुझे जो अनुभव हुआ और मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि भुवनेश्वर और कोणार्क के बीच मात्र लगभग 65 किलोमीटर की दूरी है और वहां पर मोटर से जाने के लिये अच्छी सड़क है और इस लिये कोणार्क के लिये विमान सेवा आवश्यक नहीं है। दूसरे कोणार्क में ही भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा सरकार ने पर्यटक सुविधायें उपलब्ध की हुई हैं।

इन दोनों मामलों के बारे में मेरा एक विशिष्ट प्रश्न है:

क्या भारत सरकार तथा उड़ीसा सरकार को मालूम है कि कोणार्क में पर्यटकों तथा आम निवासियों के लिये प्रायः पूरी तरह से न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। मेरी पत्नी अचानक और गम्भीर रूप से बीमार हो गई किसी विषाक्त जल के कारण वह लगभग मरणासन्न हो गई और कोणार्क से भुवनेश्वर आने के लिये हमें काफी समय लगा और यदि हमें दो घंटे की और देरी हो जाती तो मैं नहीं जानता कि मेरी पत्नी की दशा क्या होती। वह वहां पर भारत पर्यटन विकास निगम की सुविधाओं की बात कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि क्या भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा का पर्यटन विभाग दोनों मिल कर पर्यटकों तथा निवासियों के लिये न्यूनतम, पर्याप्त, अच्छा आवास और स्वच्छ पेय जल तथा विश्वसनीय खान-पान संबंधी सुविधायें उपलब्ध करा रहे है ताकि इस प्रकार की प्रायः लगभग घातक दुर्घटनायें न घटित हो सकें।

दूसरे यह कहा गया है कि यह दूरी केवल 64 किलोमीटर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की नीति है कि यदि पर्यटन की दृष्टि से कोई केन्द्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है लेकिन क्योंकि दूरी कम है, अतः वे कभी भी हवाई मार्ग से जोड़ने पर विचार नहीं करेंगे.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्योंकि भारत के सभी हिस्सों तथा विश्व से पर्यटक आते हैं। और वे समय की बचत करना चाहते हैं क्योंकि उनका समय मूल्यवान होता है।

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : As far as the question of complaints of the hon. member is concerned I will look into it and enquire as to what could be done in the matter. But the basic facilities like electricity and water should be dealt by the State Tourism Department. If there is any mismanagement in the hostel of ITDC, I will conduct an inquiry. As the hon. member has drawn my attention, therefore, I will discuss the matter with the State Government and see that such types of complaints are removed and arrangement will be made there for safe drinking water and electricity.

As far as the question of air linking of important tourist centres is concerned, it has no connection with the tourist department. Even they I may give this information that a survey was conducted by the Civil Aviation Department regarding constructing an air port at Konark but it was found that its land was two hallow and it will not be economical to construct an air port there. According to the opinion of the exports it will be too costly and it will serve no purpose. Therefore, this scheme was abandoned.

रोजवुड इमारती लकड़ी के लट्ठों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

*348. **श्री पी० के० कोडियन† :**

श्री जार्ज मैथ्यू :

क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजवुड टिम्बर के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसा प्रतिबन्ध किन कारणों से लगाया है ;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि टिम्बर के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के परिणामस्वरुप केरल तथा कर्नाटक में रोजवुड के लट्ठे काटने, ढोने नथा इनके निर्यात कार्य में लगे हजारों लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है और इन राज्यों के वन विभाग इमारती लकड़ी को नीलाम करके राजस्व प्राप्त करने से वंचित हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या रोजवुड इमारती लकड़ी के लट्ठों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध के बारे में पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 18-7-1977 को सभी इमारती लकड़ी के लट्ठों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, जिनमें रोजवुड के लट्ठे भी शामिल हैं परन्तु रोक से पहले की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिये वर्ष 1977-78 के लिये रिलीज की गई सीमा तक निर्यात करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) रोक लगाने का उद्देश्य काष्ठ परतों, प्लाईवुड तथा इमारती लकड़ी की अन्य मूल्य-वर्धित मदों के निर्यातों को प्रोत्साहन देना और स्वदेशी उद्योग का विकास करना था, क्योंकि यह उद्योग रोजगार अभिमुख भी है तथा निर्यात अभिमुख भी है।

(ग) तथा (घ) : राज्य सरकारों, लट्ठा निर्यातकों तथा काष्टपरतों और अन्य इमारती लकड़ी की मूल्यवर्धित मदों के निर्यातकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर ध्यान देते हुए, सरकार ने, लट्ठों के रूप में किये जाने वाले निर्यातों को धीरे धीरे कम करने का निर्णय किया है। चालू वर्ष के लिये 10,000 घन मीटर की सीमा निर्धारित की गई है जो कि 1978-79 में कम करके

6,000 घन मीटर कर दी जायेगी, 1979-80 में 3,000 घन मीटर और उसके बाद शुन्य यह निर्णय आवश्यक समायोजन के लिय समय देने के लिये तथा निर्यातकों को वर्धित मूल्य सहित इमारती लकड़ी का निर्यात करने के लिये स्वयं को तैयार करने के लिये लिया गया है जिससे कि अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और अतिरिक्त रोजगार के अवसर मिलेंगे ।

श्री पी० के० कोडियन : विवरण में कहा गया है :—

रोक लगाने का उद्देश्य काष्ठपरतों, प्लाईवुड तथा इमारती लकड़ी की अन्य मूल्यवर्धित मदों के निर्यातों को प्रोत्साहन देना और स्वदेशी उद्योग का विकास करना था, क्योंकि यह उद्योग रोजगार अभिमुख भी है तथा निर्यात अभिमुख भी है।

मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं और उनकी रोजगार क्षमता क्या है ? क्या यह सच है कि केरल में दो एककों सहित हमारे देश में इस समय विद्यमान उद्योग देश में उपलब्ध रोजवुड का 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक उपयोग कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो रोजवुड इमारती लकड़ी के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध में क्या औचित्य है ?

SHRI ARIF BEG : Sir, so far this ban is concerned which has been imposed by my department, it has been imposed after discussion with the Head of the Community Boards, and officers of Export Promotion Council. The purpose of imposing this ban is that the rose wood timber, trees or bushes take one hundred to one hundred fifty years in full ripening. Therefore, the Government felt that it is necessary to preserve this costly timber and it should not be taken away easily. Simultaneously we want that our indigenous industries are not harmed. We received a complaint that Rose-wood logs are being exported and our units do not get the timber which is required by them.

श्री पी० के० कोडियन : उन्होंने मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया है । मेरा विशेष प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि देश में उपलब्ध रोजवुड इमारती लकड़ी का मुश्किल से 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक इस समय उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। वह स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन रोजवुड लकड़ी की बहुत कम मात्रा उद्योग द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। रोजवुड इमारती लकड़ी के निर्यात पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने की क्या आवश्यकता है जब कि विद्यमान उद्योग इसे खपाने की स्थिति में नहीं है ?

दूसरे रोजवुड इमारती लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने में क्या केन्द्र ने राज्य सरकार से परामर्श किया है क्योंकि रोजवुड इमारती लकड़ी 90 प्रतिशत केरल से आती है और प्रत्येक वर्ष केरल सरकार को इस रोजवुड इमारती लकड़ी से बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता है। रोजवुड की किस्म भी अच्छी है जो केरल में उत्पन्न होती है।

इस प्रतिबंध से केरल सरकार के राजस्व पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त लकड़ी के लट्ठे बनाने और रोजवुड के निर्यात-कार्य में लगे मजदूर भूखे मर रहे है। जो लकड़ी वनों से पहले ही एकत्र कर ली गई है वह इकट्ठी होती जा रही है और श्रमिक भूखे मर रहे है। सरकार ने राज्य सरकार से इस मामले में परामर्श क्यों नहीं किया है ?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मेरे साथी ने पहले ही कहा है कि यह बहुत बढ़िया किस्म की लकड़ी है जो उष्णकटिबंधीय देशों में होती है। आजकल हम रोजवुड की लकड़ी के लट्ठे निर्यात कर रहे हैं। बेरोज़गारी की भारी समस्या को देखते हुए, यदि हम इस लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां तथा अन्य वस्तुएं बनाकर निर्यात करें तो वह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने

से इस लकड़ी के मूल्य में वृद्धि भी होगी । इस संदर्भ में, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा की सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श करके चालू वर्ष के लिए 10,000 घन मीटर लकड़ी के लट्ठे के निर्यात को और अगले वर्ष के लिए 6000 घन मीटर लकड़ी के लट्ठे के निर्यात की योजना बनाई गई है और इसके बाद 3000 घन मीटर का लक्ष्य हो जायेगा हमने उनसे यह भी अनुरोध किया है कि वे भी अपने आप को उद्योगों में बदल लें जिससे हम अधिक मूल्य का निर्यात कर सकें। प्रश्न यह है कि हमें कच्चे माल की बजाय तैयार माल बाहर भेजने का प्रयास करना चाहिए जिससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो और बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाये ।

श्री जार्ज मैथ्यु : श्रीमान, मंत्री जी ने हाल ही में बताया है कि इस मामले में केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा की सरकारों से सलाह ली गई थी परन्तु केरल के मुख्य मंत्री ने 25-7-1977 को मंत्री को लिखकर इस रोक के बारे में विरोध प्रकट किया था । केरल अब 20,000 घन मीटर रोजवुड निर्यात करने की स्थिति में है और उद्योग केवल 7000 घन मीटर लकड़ी ही खपा पाते हैं। हमें प्रति घन मीटर लकड़ी के लिए 70,000 रुपये मिलते हैं बड़े उद्योग पूरी लकड़ी का उपयोग करने में असमर्थ हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि आय 70,000 से बहुत अधिक घट गई है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये और भाषण न दीजिये ।

श्री जार्ज मैथ्यू : क्या माननीय मंत्री यह आदेश जारी करेंगे कि उद्योगों को वह माल दिया जाये, जो उन्हें चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि कच्चा माल तैयार माल में बदला जाये। आपका प्रश्न क्या है ?

श्री जार्ज मैथ्यू : अपने देश में उद्योगों की कितनी आवश्यकता है और क्या उनकी आवश्यकता पूरी की जा रही है ?

श्री मोहन धारिया : मैंने पहले भी कहा है कि हालांकि इस पर रोक है, परन्तु इसकी अधिकतम सीमा भी रखी गई है । चालू वर्ष के लिए अधिकतम सीमा 10,000 घन मीटर है और तदनुसार 10,000 घन मीटर के निर्यात की अनुमति है । मैंने इस मामले पर माननीय सदस्य सहित संसद सदस्यों, केरल के मुख्य मंत्री, कुछ अधिकारियों, उद्योगों और निर्यातकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कहा है कि केरल के मुख्य मंत्री ने आपको इस बारे में पत्र लिखा था ।

श्री मोहन धारिया : उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और मैंने उनसे इस मामले पर बातचीत की थी और उन्हें बताया था कि इससे केरल में भी बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी । मेरे विचार से वह इस बारे में आश्वस्त हो गये थे ।

डा० हेनरी आस्टिन : यह मानते हुए कि इस नीति के कुछ पहलू अच्छे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने लट्ठे बनाने और निर्यात करने के काम में लगे हजारों लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये हैं (**अन्तरवाधाएं**) इस काम में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के भी कुछ

लोग लगे हैं। आज राज्य को 4-5 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है हजारों मजदूरों का रोजगार छूट गया है। इन गरीब मजदूरों और छोटे उद्योगपतियों, जिन्होंने इस उद्योग में पूंजी लगाई थी, की समस्याओं को हल करने के लिए क्या मंत्री महोदय कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहन धारिया : जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 10,000 घन मीटर की सीमा है जिसे अनुमति दे दी गई है। अगले वर्ष के लिए 6000 की सीमा है जो केवल 4000 कम है। अब आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि 4000 घन मीटर से कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। अतः यह कहना गलत है कि हजारों श्रमिक बेरोज़गार किये जा रहे हैं। मैं अपने मित्रों को पहले ही बता चुका हूं कि यदि वे किसी उद्योग को चलाने के लिए आर्थिक सहायता चाहते हैं या बाहर से कोई मशीनरी मगांना चाहते हैं तो मैं उनकी यह मांग मानने को तैयार हूं। परन्तु हमें दूसरा पक्ष भी याद रखना है और हमें अपने औद्योगिक संसाधनों को नगण्य मूल्य पर निर्यात नहीं होने देना है। वह माल निर्यात किया जाये परन्तु अधिक मूल्य पर सरकार की यही नीति है। मैं उनसे विचार-विमर्श करने और वह सब करने को तैयार हूं जो राष्ट्र हित में होगा। जहां तक रोजवुड का सम्बन्ध है, इसे पकने में 100 से 150 वर्ष तक लगते हैं। यदि इस लकड़ी के लट्ठे 5,10 या 15 वर्ष तक रुके पड़े भी रहते हैं तो कोई हानि होने वाली नहीं है। इसके विपरीत इससे हमें और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

श्री रागावलू मोहनरंगम : तमिलनाडु सरकार से इस बारे में जो पत्र केन्द्रीय सरकार को मिले थे, क्या उनके उत्तर भेज दिये गये हैं;

श्री मोहन धारिया : जिन्होंने भी हमें पत्र लिखे थे, उन सभी को उत्तर भेज दिये गये हैं।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय उत्पादों का विपणन

*349. **श्री डी० उमात :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय मिशनों ने भारतीय व्यापारी समुदाय से यह अनुरोध किया है कि वे उन देशों में भारतीय उत्पादों और सेवाओं के विक्रय के लिये अधिक जोरदार उपाय करें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर व्यापारी समुदाय की प्रतिक्रिया का पता कर लिया है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली में अगस्त/सितम्बर में हुए दक्षिण पूर्व तथा पूर्व एशिया स्थित मिशनों के प्रधानों के सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें से एक विषय निर्यातों के विशेष सन्दर्भ में इन देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के बारे में था। मिशनों के प्रधान दिल्ली में अपने ठहरने के दौरान इस सम्बन्ध में व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों से भी मिले। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप जो सुझाव सामने आये, उन पर सरकार ध्यान रखेगी।

श्री डी० उमात : व्यापारी समुदाय के किन-किन संगठनों से जोरदार उपाय करने को कहा गया है ?

श्री आरिफ बेग : जहां तक संगठनों के नाम की बात है, भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल महासंघ (एफ० आई० सी० सी० आई०) सहित देश के विभिन्न व्यापारी समुदाय थे। इस बारे में सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

श्री कृष्ण कान्त : जब से कुछ देशों ने 'एसिअन' (दक्षिण-पूर्व एशियाई) राष्ट्रों का संगठन नाम का संगठन बनाया है, तब से क्या उन्होंने भारत सरकार से और अधिक आर्थिक सहयोग करने के लिए अनुरोध किया है। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ देशों ने ऐसा किया है सरकार। ने 'एसिअन' संगठन से और अधिक आर्थिक सहयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (श्री मोहन धारिया) : यह सच है कि फिलीपीन द्वीपसमूह, सिंगापुर, मलेयशिया और इण्डोनेशिया ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम 'एसिअन' है। हम इस संगठन और उसके सदस्य देशों से बातचीत कर रहे हैं। जब मैं बैंकांक गया था तो मैंने इन देशों के मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के साथ बातचीत की थी और हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं जिससे पूर्वी क्षेत्र के देशों में हमारा आयात और निर्यात व्यापार बढ़े।

श्री वयालार रवि : विश्व बाजार में व्यापार के मामले में एक नई प्रवृत्ति जन्म ले रही है अर्थात् विभिन्न क्षेत्रों में वहां के देश अपने-अपने संगठन बना रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि ई० ई० सी० और एसिअन जैसे संगठनों के सदस्य राष्ट्रों के बारे में आपकी कोई निश्चित नीति है ; आप दीर्घावधि के लिए क्या नीति अपना रहे हैं और क्या इस बारे में कोई राजनीतिक समस्याएं हैं ?

श्री मोहन धारिया : वाणिज्य मंत्रालय बहुत हद तक विदेश मंत्रालय से मिलकर कार्य करता है। समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री ने एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है जिसमें वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, इस्पात और खान तथा कृषि मंत्री सदस्य हैं। और इस समिति का अध्यक्ष वाणिज्य मंत्री है। अतः इस दिशा में जो भी प्रयास किये जाते हैं वे केन्द्रित और समन्वित होते हैं। यह सच है कि विभिन्न देशों ने ई० ई० सी० और 'एसिअन' जैसे संगठन बनाये हैं और हमें उनसे अपने सम्बन्ध बनाने है। हम देशों से या उनके संगठनों से द्विपक्षीय आधार पर अपने सम्बन्ध बनाने का प्रयास करते हैं। परन्तु अन्ततोगत्वा हमें देश विशेष के हितों को ध्यान में रखना होता है और हमारा प्रयास भी यही होता है।

आयातित पोलिथिलीन और रबड़ कम्पोन्ड्स का चोर बाजार में बेचा जाना

*352. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि गोयन्कास आफ डंकन ब्रदर्स, कलकत्ता के नियंत्रणाधीन 'एशियन केबल्स कारपोरेशन' बम्बई ने वर्ष 1969 में आयातित पोलिथिलीन और रबड़ कम्पोंड्स चोर बाजार में बेचे थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त आरोपों की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ऐसे अभिकथन थे कि कलकत्ता के डंकन ब्रदर्स के गोयन्नकास के नियंत्रणाधीन मैसर्स एशियन केबल कारपोरेशन, बम्बई ने 1968 से 1969 की अवधि में आयातित लो डेनसिटि पोलिथीलोन मोल्डिग पाउडर की 980 मे० टन मात्रा में से 326.707 मे० टन मात्रा को विविधीकरण कार्यक्रम के बहाने से निर्मित उत्पादों अर्थात् पोलिथीलोन पाइपों और शीटों आदि के रूप में मिथ्या रूप से दिखा कर बेच दिया। शिकायत करने वाले ने रबड़ कंपाउड्स के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इसकी जांच की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार यह अपराध श्री आर० पी० गोयन्का द्वारा कम्पनी के संचालक का पद सम्भालने के बाद हुआ। जांच के अन्त में सी० बी० आई० ने यह यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय दंड सहिता की धारा 420 तथा 477 क के साथ पठित धारा 120 के अधीन तथा इम्पैक्स अधिनियम की धारा 5 (आपराधिक षड़यंत्र, धोखादेही तथा मिथ्या लेखे तैयार करना) के अधीन मुकदमा दायर करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विधि मंत्रालय से परामर्श किया और मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात से 16 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की, जिसमें श्री आर० पी० गोयन्का तथा श्री ए० के० रामन, वर्क्स मैनेजर शामिल नहीं थे। कम्पनी के अभ्यावेदन पर, जिस पर और आगे भी कानूनी सलाह ली गई थी, पिछली सरकार ने विनिश्चय किया था कि इन 16 व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएं।

चूंकि इस अभिकथन में श्री आर० पी० गोयन्का के अंतर्ग्रस्त होने तथा इस आरोप के संबंध में दूसरों पर मुकदमे चलाने के संबंध में भी अलग-अलग राय थी, इस लिए नई सरकार ने यह आवश्यक समझा कि विधि मंत्रालय द्वारा इस मामले पर फिर से विचार कराया जाए। तदनुसार, कार्मिक विभाग (गृह मंत्रालय) से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले पर विधि मंत्रालय से सलाह करके समुचित कार्यवाही करे।

श्री ज्योतिर्मयबसु : चौथी लोक सभा में 25 फरवरी, 1974 को मेरे प्रश्न संख्या 501 के उत्तर में विदेश व्यापार मंत्री श्री चट्टोपाध्याय ने, जो गोयनका बन्धुओं का एक पक्का मित्र है।''

(अन्तर्बाधाएं)

श्री के० लक्कप्पा : महोदय, यह बहुत ही गलत और असंगत बात है कि वह श्री चट्टोपाध्याय जो दूसरे सदन के सदस्य है, का नाम एक ग्रुप के साथ जोड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने राज्य सभा के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है। मैंने तो मंत्री का नाम लिया है जो इस सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह अब मंत्री नहीं है और इस सभा के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। माननीय सदस्य ने उन पर आरोप लगाया है जो राजनीतिक दृष्टि से मानहानि का मामला है। क्या आप इस प्रकार की बातों की अनुमति देंगे। यदि वह ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : केवल यह कहने से कि वह गोयनका का मित्र है, मानहानि का कोई मामला नहीं बनता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह पूछा था कि क्या 3.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आयात किया गया 2500 मी० टन पोलीथिलीन को 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम से काले बाजार में बेच दिया गया था और 88 लाख रुपये का लाभ कमाया गया था? जब हम इस मामले के पीछे पड़े तब यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए सौंपा गया था और यह उत्तर दिया गया था कि मैसर्स एशियन केबिल्स द्वारा आयातित कच्चे माल के दुरुपयोग के तीन मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह टिप्पणी करना चाहता हूं कि**

श्री के० लक्कप्पा : वह सभा में इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री मोहन धारिया ने कहा था कि आयातित माल का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध सरकार कठोर कार्यवाही करेगी।

डा० हेनरी आस्टिन : वह कितने प्रश्न कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके और उनके लिए अलग-अलग नियम नहीं बना सकता। क्या मेरे कहने पर आप रुक गये थे? ये मेरे हस्तक्षेप का आपने भी विरोध किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे 1 जुलाई, 1977 के प्रश्न संख्या 2431 के उत्तर में यह बताया गया था कि चोरबजारी और 88 लाख रुपये कमाने से सम्बन्धित मामले में 24-11-1975 को दोष सिद्ध हो गया था और कम्पनी पर 200 रुपये के जुर्माने का दंड लगाया गया था और दो अन्य अभियुक्तों पर चार-चार सौ रुपये का जुर्माना किया गया था।

श्री जनार्दन पुजारी : क्या यह न्यायापालिका पर आक्षेप नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : आप ज्यादा जल्दी न कीजिए। उन्होंने न्यायपालिका के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न यह है कि यह अपील बहुत लम्बे समय से विचाराधीन है। वर्तमान सरकार ने इस बारे में शीघ्रता क्यों नहीं की है और यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया है कि अपराध के अनुरूप दंड मिले? सरकार इस मामले को पुनः कब तक खोलेगी?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : श्री बसु सभा के सामने एक बहुत ही गम्भीर मामला लाये हैं। जब मुझे पता लगा था कि दो भूतपूर्व निदेशकों पर 400 रुपये और 200 रुपये का जुर्माना 24-11-75 को दोषसिद्ध के लिए किया गया, मुझे भी इस बारे में चिन्ता हुई थी। मेरे विचार से उस समय के प्राधिकारियों ने मामले में और अधिक दंड के लिए किसी उच्च न्यायालय में अपील न करके अपना दायित्व निभाने में लापरवाही बरती। परन्तु जब मुझे यह बताया गया तब समय-सीमा आदि समाप्त हो चुकी थी और कुछ भी करना सम्भव न था। मुझे यह भी पता लगा कि अतिरिक्त महन्यायवादी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो में

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया।

मतभेद होने के कारण तत्कालीन मंत्री श्री चट्टोपाध्याय ने इस मामले में 1976 में यह निर्णय लिया था कि मुकदमा न चलाया जाये। यह मामला मुझे गम्भीर लगा और मैंने गृह मंत्रालय से इस मामले को पुन: विधि मंत्रालय को भेजने के लिए अनुरोध किया। यदि इस मामले में कोई अपराध सिद्ध होने लायक पाया गया, तो उन पर अवश्य ही मुकदमा चलाया जायेगा। चाहे गोयनका दो और चाहे और कोई हो, यदि उन्होंने कोई अपराध किया है, और विधि मंत्रालय के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है तो उस पर अवश्य ही मुकदमा चलाया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : डंकन ब्रदर्स के श्री आर० पी० गोयनका और उसके लिए श्री के० पी० गोयनका का भूतपूर्व शासक दल से, उसके नेताओं से और विदेश व्यापार मंत्री से घनिष्ट सम्बन्ध था।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री के० लकप्पा : आप राजनीतिक आक्षेप मत करिए। हाल में श्री ज्योतिर्मय बसु ने राइटर्स बिल्डिंग में इस व्यक्ति सहित सभी उद्योगपतियों को चर्चा करने और इस उद्योगपतियों को शान्त करने के लिए बुलाया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह राजनीतिक नहीं था। यह चोरी थी।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर राय**

श्री के० लकप्पा : आप उन्हें दंड दीजिए परन्तु राजनीतिक आक्षेप मत करिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाये।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह ऐसा हुआ कि यद्यपि लाभ प्राप्त कर्ता श्री आर० पी० गोयन्का और उनके परिवार थे और वे लोग कंपनी के मालिक थे, परन्तु मुकदमा कर्मचारियों और नकली निदेशकों पर चला। तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्री श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय ने कहा था कि श्री गोयनका का नाम इसलिए नहीं था क्योंकि उन दिनों गोयनका परिवार एशियन केबल्स के मालिक नहीं थे। इस पर मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आपका प्रश्न क्या है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास वर्ष 1966-67 का औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति परिशिष्ट, खंड 2, जून, 1969 का प्रतिवेदन है जो यह साबित करता है कि श्री आर० पी० गोयनका और श्री के० पी० गोयनका उस समय इसके मालिक थे।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आपका प्रश्न क्या है?

श्री ज्यातिर्मय बसु : प्रश्न यह है कि उनके विरुद्ध अब तक मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया है? क्या आप सभा में यह आश्वासन देंगे कि वास्तविक लाभ-प्राप्तकर्ता यथा आर० पी० गोयनका और के० पी० गोयनका पर मुकदमा चलाया जायेगा और उनको जेल में रखा जायेगा?

**अध्यक्ष पीठ के आदेशनुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री मोहन धारिया : यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूं। परन्तु जब सरकार पर उद्योगपतियों और एकाधिकारवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा है तो मेरे विचार में सरकार के विरुद्ध कही जा रही इन झूठी बातों का इस मंच से खंडन किया जाये। इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सच बोलकर झूठ का खंडन किया जा रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जहां तक आश्वासन की बात है, मैंने सभा को पहिले ही आश्वासन दे दिया है कि विधि-मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहा है और जो भी दोषी पाया जायेगा, उस पर मुकदमा चलाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री गौरी शंकर राय ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आर० पी० गोयनका, यह विधि मंत्रालय और (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, श्री गौरी शंकर राय।

श्री के० लकप्पा : श्री बसु ने कुछ कहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री के० लकप्पा यदि आप चाहते हैं तो आप कार्यवाही वृतांत देख सकते हैं। यह सभा का गंभीर अपमान है तथा विशेषाधिकार भंग का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी बात है तो मैं इस मामले को देखूंगा। मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा। यदि उन्होंने 'संपूर्ण सभा' कहा तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

SHRI GAURI SHANKAR RAI : A want to know categorically from the hon. Minister as to at whose instance prosecution cases against Shri R. P. Goenka and Shri A. K. Raman, Works Manager were dropped ?

श्री मोहन धारिया : मंत्रालय के परामर्श पर कि उनके विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त नहीं है··केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल 16 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। और इस मामले को सौंपने से पहले···· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 353, श्री मालन्ना।

व्यवधान

श्री कंवर लाल गुप्त : यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अभी मुश्किल से एक मिनट बाकी है, श्री मालन्ना ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है। उन्होंने भी इसे उठाया है। यह आपका एकाधिकार नहीं है।

व्यवधान

SHRI MOHAN DHARIA : I have not completed my answer. I was saying that according to the advice of the law Ministry the then Minister had given this decision. But when I saw that this decision is not correct that the directors or big people or owners are let off and complaints are made against the subordinates then I referred this case to the Home Minister for examination. Those who are found guilty will be dealt with severly.

श्री कंवर लाल गुप्त : (**खड़े हुए**)।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री कौशिक : पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

व्यवधान

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I want to know from the hon Minister that since this question does not belong to Law Ministry, so whether he would get the matter enquired by the C.B.I. on the basis of facts which are available with them.

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे । अब प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उतर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्षों अथवा प्रबंध निदेशकों के रिक्त पद

*350. **डा० बी० ए० सईद मोहम्मद** : क्या **वित्त** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया है कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के क्या नाम है जहां अध्यक्षों अथवा प्रबन्ध-निदेशकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक पद कब से रिक्त है और क्या कारण हैं ।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों में इस समय अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक नहीं हैं, उनके नाम तथा पदों के रिक्त रहने के कारणों का विवरण ।

पद	यह पद किस तारीख से रिक्त है	इस पद के रिक्त रहने के क्या कारण हैं और वर्तमान स्थिति क्या है ।
1	2	3
1. वे रिक्त पद जिनके लिए अभी सेलेक्शन नहीं किया गया है ।		
1. प्रबन्ध निदेशक अण्डमान निकोबार वन एवं बागान विकास निगम	17-9-77	सेलेक्शन विचाराधीन है ।
2. प्रबन्ध निदेशक, भारत डायनामिक्स लि०	31-8-77	सेलेक्शन करना है । तदर्थ नियुक्ति कर दी गई है ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक भारत आप्थमिल्क ग्लास लि०	1-11-77	पिछले पदधारी ने त्याग-पत्र दे दिया है और नया सेलेक्शन अभी नहीं किया गया है ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ।	18-11-77	सेलेक्शन करना है तदर्थ नियुक्ति कर दी गई है ।
5. प्रबन्ध निदेशक, फिल्म वित्त निगम	27-4-76	सरकार भारतीय चलचित्र निर्यात और फिल्म वित्त निगम के लिए एक ही मुख्य कायकारी रखने के बारे में विचार कर रही है ।

1	2	3
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ।	31-10-77	सेलेक्शन करना है तदर्थ नियुक्ति कर दी गई है।
7. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड	17-10-77	निगम को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए किसी अन्य कम्पनी में मिलाने के लिए विचार किया जा रहा है। तदर्थ नियुक्ति कर दी गई है।
8. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम	29-3-74	सरकार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त निगम के लिए एक ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी रखने के बारे में विचार कर रही है।
9. प्रबन्ध निदेशक, नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कारपोरेशन ।	30-10-75	पहले चुने गए व्यक्ति ने आफर स्वीकार नहीं की है। अतः चयन द्वारा करना पड़ेगा।
10. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम	10-10-77	सरकार राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य फार्म्स निगम के भावी दायित्वों पर विचार कर रही है तथा इन दो एककों के पुनर्गठन को अन्तिम रूप देने के बाद प्रबन्ध निदेशक पद के लिए चयन के बारे में विचार किया जाएगा।
11. प्रबन्ध निदेशक, टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन	21-4-77	चुने हुए व्यक्ति के काम पर न आने के कारण दुबारा चयन किया जा रहा है।

2. जिन पदों के लिए चयन हो चुका है या उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

1. प्रबन्ध निदेशक, भारत लेदर कारपोरेशन	28-5-77	चयन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान	1-9-77	चयन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। तब तक के लिए तदर्थ नियुक्ति कर दी गई हैं।
3. प्रबन्ध निदेशक, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम	1-12-77	सेलेक्शन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान डाइमण्ड्स लिमिटेड	28-1-77	आशा है कि चुना हुआ व्यक्ति शीघ्र ही काम पर आ जायेगा ।
5. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड	27-9-77	सेलेक्शन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।
6. प्रबन्ध निदेशक, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	12-5-77	सेलेक्शन हो गया है । नियुक्ति आदेश जारी किया जा रहा है ।
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मार्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड	1-8-77	इस पद के लिये सेलेक्शन हो चुका है तथा चुने हुए व्यक्ति की शीघ्र काम पर आने की सम्भावना है ।
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, माईनिग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ।	10-8-77	सेलेक्शन को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जल और बिजली विकास परामर्श-दायी सेवाएं लिमिटेड ।	1-1-77	चुने हुए व्यक्ति ने काम पर आने से इंकार कर दिया है अतः दुबारा सेलेक्शन किया जा रहा है ।

टिप्पणी :—इस सूची में राज्य फार्म्स निगम के प्रबन्ध-निदेशक का पद शामिल नहीं किया गया है क्योंकि महाप्रबन्धक मौजूद होने से उक्त पद को आस्थगित रख छोड़ा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ लाभ

*351. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं उन्हें कुल कितना लाभ हुआ ;

(ख) इन उपक्रमों को गत वर्ष कितना लाभ हुआ था; और

(ग) क्या लाभ निर्धारण के लिए कोई मानदंड निश्चित किया गया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ग) इन संस्थाओं के लाभों का निर्धारण वाणिज्यिक रूप से अनुमोदित सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है । तथापि, उनके समस्त निष्पादन का मूल्यांकन करने में, उनके द्वारा प्राप्त किए गए सामाजिक उद्देश्यों की सफलता और सम्बन्धित सामाजिक लागतं और लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है ।

विवरण

वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों, अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बीमा निगमों और दूसरी संस्थाओं द्वारा अर्जित लाभ नीचे दिखाये गए हैं :–

क्रम संख्या	बैंक/ संस्था का नाम	वर्ष के अंत में	लाभ (लाख रुपए)
1.	सरकारी क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक इसके 7 सहायक बैंक, 14 राष्ट्रीयकृत बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	13-12-1975	3070
		31-12-1976	3621
2.	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन और इसकी चार सहायक कंपनियां।	31-12-1975	3005
		31-12-1976	5005
3.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	30-6-1976	456
		30-6-1977	579
4.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	30-6-1976	270
		30-6-1977	324
5.	भारतीय कृषि पुनर्वित्त विकास निगम	30-6-1976	276
		30-6-1977	445
6.	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम	30-6-1976	5.31
		30-6-1977	16.73 (हानि)
7.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	30-6-197	
		30-6-1976	1960
8.	भारतीय ऋण गारण्टी निगम लिमिटेड	31-12-1975 को समाप्त वर्ष का अधिशेष 364	
		31-12-1976 को समाप्त वर्ष का अधिशेष 517	
9.	**जमा बीमा निगम**		
	1975 में राजस्व अधिशेष		749
	1976 में राजस्व अधिशेष		916

10. **जीवन बीमा निगम**

31-3-1977 तक का द्विवार्षिक अवधि में जीवन बीमा निगम का द्विवार्षिक बीमांकिक अधिशेष 2,53,72 लाख रुपए था जो कि इसके मुकाबले में 31-3-1975 तक की द्विवार्षिक अवधि के दौरान बीमांकिक अधिशेष 1,81,50 लाख रुपए था।

विदेशी बैंकों द्वारा भारत में शाखाएं खोलना

*353. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी बैंकों ने रिजर्व बैंक से भारत में अपनी शाखाएं खोलने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उन 12 बैंकों में से जिनकी शाखायें पहले से ही भारत में हैं, 7 विदेशी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से भारत में और शाखायें खोलने के लिए या तो आवेदन कर दिया है अथवा आवेदन करने के लिये अपनी इच्छा प्रकट की है।

चार अन्य बैंकों ने भी जिनकी शाखाएं अभी भारत में नहीं हैं, भारत में शाखायें खोलने के लिये आवेदन कर दिया है या आवेदन करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ख) इन बैंकों के नाम ये हैं :—

(I) वे बैंक जिनकी शाखायें पहले से भारत में हैं :—

1. चार्टर्ड बैंक लिमिटेड।
2. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड
3. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
4. ब्रिटिश बैंक आफ दी मिडिल ईस्ट
5. बैंक नेश्नेल डी पैरिस
6. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन
7. बैंक आफ अमेरिका

(II) वे बैंक जिनकी शाखायें अभी भारत में नहीं हैं :—

(1) बैंक आफ ओमन लिमिटेड

(2) बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल (ओवरसीज़) लिमिटेड

(3) बैंक आफ मांट्रियल, और

(4) चेज़ मैनहट्टन बैंक

(ग) शाखाएं खोलने के आवेदनों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

विमान यात्रियों के संरक्षण के सुरक्षा उपाय

*354. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विमानों के अपहरण की घटनाओं को देखते हुए विमान यात्रियों को संरक्षण देने के लिए कोई नये उपाय निकाले गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विमान सेवाओं के लिए एक विशेष सुरक्षा बल गठित करने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) यद्यपि किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट उपायों तथा अन्य ब्यौरों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा तथापि अपहरण से सुरक्षा के लिए वर्तमान ऐसे उपायों को और कड़ा कर दिया गया है जैसे परिचालन क्षेत्रों के प्रवेश स्थलों का नियंत्रण, यात्रियों की शारीरिक तलाशी तथा उनके हाथ के सामान की छानबीन, बोर्डिंग कार्डों पर स्टैम्प लगाने में अधिक सावधानी एवं चौगिर्दी परिसीमा (Perimeters) की पर्याप्त सुरक्षा, इत्यादि ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के लिए दिए गए ऋण

*355. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्रों के लिए वर्ष 1970-76 के दौरान कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ख) इसी अवधि के दौरान लघुक्षेत्र के उद्योगों के लिए कितनी राशि के ऋण दिये गये ; और

(ग) इसी अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों को कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों को 1970-71 में दिये गये अग्रिमों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि, छोटे पैमाने के उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को 1972 से 1976 तक दिये गये अग्रिमों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1305/77] ।

यात्रियों को शराब न देने के बारे में एयर इंडिया को अनुदेश

*356. **श्री दारुर पुलय्या** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया को अनुदेश जारी किये हैं कि वह अपनी उड़ानों पर यात्रियों को शराब देना बन्द कर दे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे अनुदेशों के परिणामों का ध्यान रखा है जब कि एयर इंडिया को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करनी है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ?

शोधित विरंजित और निर्गन्धीकृत तेल का आयात रोकने का प्रस्ताव

*357. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शोधित विरंजित तथा निर्गन्धीकृत तेल का भावी आयात रोकने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव राज्य व्यापार निगम से मिला है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम को भंडारण की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयात रोकना स्वीकार कर लिया है अथवा इसे रोकने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सरकार ने परिष्कृत विरंजित तथा निर्गन्धीकृत ताड़ के तेल के आयात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है।

(ख) जी नहीं ।

(ग), (घ) व (ङ) परिष्कृत विरंजित तथा निर्गन्धीकृत तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का संबंध राज्य व्यापार निगम की भण्डारण की किसी समस्या से नहीं था, बल्कि यह इनकी वनस्पति में मिलावट की संभावना की रोकथाम के लिये लगाया गया था ।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों के प्रीमियम की दरों में कमी

*359. **श्री वी० के० नायर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की पालिसियों के प्रीमियम की दरों में काफी कमी करने का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

OPENING OF CHEAP HOTELS IN EACH STATE

*360. SHRI S. S. SOMANI
SHRI ISHWAR CHAUDHARY } : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to construct some cheaper hotels instead of five star hotels to provide staying facilities to common people; and

(b) if so, the State-wise number of such hotels proposed to be constructed by Government during the current year ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) It is proposed to construct inexpensive hotels at metropolitan cities (Delhi, Bombay, Calcutta and Madras) and other selected tourist centres. The

number and location of such hotels to be constructed in the Central sector will depend upon the resources made available for this purpose during the Sixth Five Year Plan, which is under discussion with the Planning Commission. However, in the context of foreign tourists visiting India, hotels in the 5-star category are also required.

CONCESSIONS SOUGHT BY PRODUCERS EXPORTING CABLES AND CONDUCTORS

*361. SHRI UGRASEN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the producers exporting cables and conductors to foreign countries have sought certain concessions from Government and have also shown their dissatisfaction over the procedure governing levy of excise duty on aluminium; and

(b) if so, Government's reaction in regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) and (b) The export manufacturers of cables and conductors have brought to the notice of Government that the facility of excise free supply of aluminium under the provisions of Rule 191(b) of the Central Excise Rules, 1944, was not being made available by manufacturers of aluminium. Government have further been informed that the aluminium Manufacturers had shown reluctance to supply since they were not certain about getting excise relief of 25% on additional production, in case supplies were effected under Rule 191(b) mentioned above. It has, however, been clarified by the Department of Revenue in December, 1976 itself that even goods cleared under the above rule would be included for calculation of excise duty relief.

DEMAND OF INDIAN PLASTIC GOODS IN WEST ASIAN COUNTRIES

*362. SHRI NATVERLAL B. PARMAR : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether there is a great demand of Indian plastic goods in the West Asian Countries;

(b) whether possibilities of demands in and export of plastic goods to Iran, Kuwait, United Arab Emirates, Oman and other countries have been explored; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Intensive efforts are being made by the Government through the Plastic and Linoleum Export Promotion Council to increase exports of plastic goods to West Asian markets. Because of these steps our exports to these countries have considerably increased. The steps being taken include participation in exhibitions, sending sales and study teams, inviting buyers' delegations, encouraging visits of individual exporters and actively using our commercial missions in export promotion activities.

AIR SERVICE TO SMALL CITIES

*363. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have decided to link small cities by air service; and

(b) if so, the names of such cities and the time by which it is likely to be done ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Government have not so far taken any decision to link small cities by air service.

(b) Does not arise.

JAMAIR AIRCRAFT ACCIDENT REPORT

*364. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the report on the JAMAIR Aircraft VT-ATT accident which occurred on the 21st March, 1971 will be laid on the table;

(b) whether a recommendation has been made in the report against night flights in Assam region; and

(c) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Arrangements are being made to place copies of the Report in the Parliament Library.

(b) & (c) Only in respect of Gauhati, the Court of Inquiry recommended that no special permission should be given for night flying for the reason that there were no obstruction lights there, except one. This deficiency has subsequently been remedied by providing two additional obstruction lights to ensure safety of aircraft operations.

अभ्रक के निर्मित उत्पादों पर निर्यात शुल्क

*365. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टोस्टरों के एलीमेंट, बिजली के प्रैस, हीटर आदि एलीमेंट जैसी अभ्रक निर्मित वस्तुओं और अभ्रक पर आधारित उत्पादों को विदेशी मंडियों म सिंथेटिक उत्पादों और अभ्रक के कागज पर आधारित उत्पादों का जबरदस्त मुकाबला करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अभ्रक पर आधारित सभी उत्पादों के निर्यात पर 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया है ;

(ग) क्या इस निर्यात शुल्क का अभ्रक से निर्मित उत्पादों के उत्पादन और निर्यात की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अभ्रक के उत्पादों से निर्यात शुल्क हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । उनके सिवाय जहां सरकारी अधिसूचनाओं में छूट की अनुमति दी गई है ।

(ग) जी नहीं । विरचित अभ्रक उत्पादों के निर्यात निरन्तर बढ़े हैं वे 1970-71 में 1.80 करोड़ के थे और 1976-77 में बढ़ कर 7.67 करोड़ रुपये के हो गए ।

(घ) यदि किसी समय पर यह पाया गया कि विरचित अभ्रक पर 10 प्रतिशत के निर्यात शुल्क से निर्यातों पर बुरा असर पड़ रहा है तो सरकार इस निर्यात शुल्क को कम करने/हटाने पर विचार करने के लिए तैयार होगी

STATISTICS OF THE RETAIL PRICES OF EDIBLE OILS

3206. SHRI MRITYUNJAY PRASAD: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state the statistics of the retail prices of edible oils such as mustard, rapeseed, sesame, groundnut etc. in the major cities and the markets during the last three years, month-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL): On the basis of the information available, the retail prices of edible oils at nine centres are given in the statement enclosed. [Placed in Library. *See* No. LT-1306/77]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, दिल्ली के निर्वाचित निदेशकों के बारे में शिकायत

3207. **श्री वचनलाल हेमराज जैन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समिति, दिल्ली के सहायक रजिस्ट्रार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, दिल्ली के निर्वाचित निदेशकों के बारे में किसी शिकायत पर जांच कर रहे थे ;

(ख) क्या इस मामले में जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ग) सहायक रजिस्ट्रार के निष्कर्ष क्या हैं और सहायक रजिस्ट्रार के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) और (ख) जी हां।

(ग) सहकारी समितियों के सहायक पंजीयक, जिन्होंने जांच की, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो भूतपूर्व निदेशकों ने दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। जांच के निष्कर्ष दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई के लिए, सचिव, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति को भेजे गये हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों को जारी किये गये नोटिस

3208. **श्री के० ए० राजन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत देश में काम कर रही कितनी विदेशी कम्पनियों को उनकी विदेशी पूंजी को घटाकर 40 प्रतिशत या 74 प्रतिशत, जैसा भी मामला होगा, करने का नोटिस दिया गया है ;

(ख) उनमें से कितनी कम्पनियां अपनी शेयर पूंजी कम करने पर सहमत हो गई हैं ;

(ग) उनमें से कितनी ने देश में अपना व्यापार बन्द करने का निर्णय किया है ;

(घ) उनमें से और कितनी कम्पनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेंगी ; और

(ङ) शेष कम्पनियों के रवैये के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 31 अक्तूबर, 1977 तक भारतीय रिज़र्व बैंक ने 221 कम्पनियों को हिदायतें जारी की हैं कि वे अपने अनिवासी शेयरों को कम करके 40 प्रतिशत कर दें और 111 कम्पनियों को हिदायतें दी हैं कि वे अपने अनिवासी शेयरों को कम करके 74 प्रतिशत कर दें।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक की हिदायतें कानूनी किस्म की हैं और कम्पनियों को उनका पालन करना होगा और यदि वह पालन नहीं करेंगी तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाही की जा सकेगी।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में निर्दिष्ट कम्पनियों के अतिरिक्त 52 कम्पनियां स्वेच्छा से अपना कारबार समेट रही हैं।

(घ) और (ङ) 31 अक्तूबर, 1977 तक 115 कम्पनियों ने अपने अनिवासी शेयरों को कम कर दिया है। कुल मिलाकर कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने की कार्रवाई कर रही हैं। ऐसे उपर्युक्त मामलों में जिनमें कम्पनियों ने अपने अनिवासी शेयरों को कम करने के लिए प्रभावपूर्ण कार्रवाई की है, और ज्यादा समय भी दिया जा रहा है।

भारतीय तटों पर तस्करी रोकने के लिये कदम

3209. **कुमारी अनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी से निपटने के लिए भारत के तटों पर निगरानी रखने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) तस्करी के खिलाफ अभियान के अंग के रूप में, निवारक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है तथा उनकी पश्चिमी समुद्री-तट पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में इधर-उधर तैनाती की गई है। तटवर्ती निवारक समाहर्तालयों को द्रुतगामी नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस किया गया है। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में तथा मद्रास तक तमिलनाडु तटवर्ती क्षेत्र के कुछ भाग में बेतार संचार का जाल बिछाया गया है। हाल ही में, समुद्र-तट रक्षा संगठन की स्थापना की गई है जो तस्करी निवारक कार्यवाहियों में सीमा-शुल्क विभाग के प्रयासों को आगे भी बढ़ायेगा।

CENTRAL ASSISTANCE TO HILL DEVELOPMENT CORPORATION

3210. SHRI HUKUM CHAND KACHWAI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the amount of Central Grants and financial assistance provided to the Hill Development Corporation during 1973-74, 1975-76 and 1976-77;

(b) the item-wise utilization of these funds by the Corporation; and

(c) the details of the development works executed with these funds ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The Central Department of Tourism has not released any funds to the Hill Development Corporation during 1973-74, 1975-76 and 1976-77.

(b) & (c) Do not arise.

दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते की दर को बढ़ा कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिये जा रहे भत्ते की दर के समान करना

3211. **श्री वसंत साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों को उनके मल वेतन के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता देते हैं जब कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 15 प्रतिशत की दर से ही दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में सदैव बढ़ते हुये मकान किरायों को ध्यान में रखते हुये सरकार अपने कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते को दिल्ली में नियुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के समान दरों के अनुकूल बढ़ाने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) दिल्ली 'ए' श्रेणी शहर है और वहां पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी वेतन का 15 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 400/- रु० प्रतिमास की दर से मकान किराया भत्ता पा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी इससे अधिक ऊंची दरों पर कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकारी कनर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग ने मकान किराया भत्ते के मामले में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच समानता की मांग को स्वीकार नहीं किया । वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते की दरों में सुधार लाने के लिए कतिपय वैकल्पिक उपायो की सिफारिश की थी किन्तु प्रशासकीय कठिनाइयों तथा वित्तीय उलझनों को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए उन्हें अपनाना संभव नहीं हो पाया । वर्तमान में, मकान किराया भत्ते में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

परिष्कृत ताड़ तेल के आयात लाइसेंस रद्द किया जाना

3212. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीधे मानव उपयोग के लिये परिष्कृत ताड़ तेल के आयात लाईसेंसों को रद्द घोषित कर दिया है जिनके विरुद्ध अक्तूबर, 1977 में तथा इससे पूर्व पूरा अथवा आंशिक लदान नहीं हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने इस आशय की कोई अधिसूचना भी जारी की है कि सीधे मानव उपयोग के लिये परिष्कृत ताड़ के तेल के लिये कोई नया आयात लाइसेंस नहीं दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) 20 सितम्बर, 1977 से सीधे मानव उपयोग के लिये, परिष्कृत ताड़ तेड़ के लिये कोई नये लाइसेंस जारी नहीं किये जा रहे हैं। पहले जारी किये गये ऐसे लाइसेंसों को भी, जिनके आधार पर 15 अक्तूबर, 1977 को अथवा इसके पहले तक पूरे अथवा आंशिक लदान नहीं हुए थे, अवैध कर दिया गया है।

OPENING OF BRANCH OF UNITED BANK IN SUKATIA BAZAR, BHAGALPUR DISTRICT, BIHAR

3213. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Sukatia Bazar in Gopalpur Block of Bhagalpur district in Bihar is a centre of trade and is only one and a half K. M. from the Block headquarters;

(b) whether the United Bank of India is going to open a branch at Sukatia Bazar; and

(c) if so, when this branch will start functioning ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c) The Government have advised the public sector banks that each Community Development Block should be provided with at least one commercial bank branch, preference being given to unbanked block headquarters. In accordance with this advice the United Commercial Bank has obtained a licence from the Reserve Bank of India to open a branch at the headquarters of Gopalpur Block, District Bhagalpur in Bihar. The branch, which is likely to be opened by June 1978, is expected to serve Sukatia Bazar also, which is reported to be within 2 KMs. of the Block headquarters.

United Bank of India has reported that it has no plan at present to open a branch at Sukatia Bazar.

RESTRICTIONS ON CARRYING WEAPONS IN AIRPORTS

3214. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the measures taken by the Central Government keeping in view the increasing number of incidents of hijacking of planes in the country and abroad; and

(b) whether Government propose to impose restriction on carrying of weapons in the premises of airports in future ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) It would not be in the public interest to disclose the specific steps taken/ proposed to be taken in regard to Civil Aviation security and Airport security. However, the existing measures to guard against hijacking, such as, control of access points to operational areas, frisking of passengers and search of their hand-baggage, greater care regarding stamping of boarding cards as well as adequate guarding of perimeters have been tightened up.

(b) No such proposal is under consideration of Government. However, Rule 8 of the Aircraft Rules, 1937 prohibits the carriage of arms, explosives or dangerous goods by any person into the aircraft. In accordance with the existing measures enforced at airports, no such weapons are allowed to be carried on the person or in the hand baggages of passengers travelling by air.

COOPERATIVE STORES IN DELHI

3215. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the number of cooperative stores in Delhi at present and the commodities available there;

(b) whether there are some cooperative stores meant for a particular category of people;

(c) if so, the locations thereof; and

(d) whether foreign goods are also sold at these stores ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) At present there are 421 consumer cooperative stores in Delhi. These cooperative stores generally deal in food-grains, vanaspati, groceries, controlled cloth, tyres & tubes. Besides, some cooperative stores also deal in non-controlled textiles, household articles, fruits & vegetables and custom confiscated goods, also whenever made available to them.

(b) Apart from consumer cooperatives organised for the general public the Cooperative Stores cover special categories such as Central Government Employees, industrial and workers of public sector undertakings, ladies, schools & colleges and weaker sections.

(c) These cooperative stores are located in various parts of Delhi and New Delhi areas.

(d) Out of 148 cooperative stores mentioned in (b) above, 31 cooperative stores are doing distribution of custom confiscated articles, whenever supplies are made available to them.

सोने की तस्करी करने वालों की गतिविधियों में वृद्धि

3216. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सोने की तस्करी करने वालों की गतिविधियों में गत छः महीनों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सोने की तस्करी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या इस प्रकार की तस्करी को रोकने की दृष्टि से सरकार का सोने का आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां।

(ख) तस्करी को रोकने के लिए समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों, भू-सीमावर्ती क्षेत्रों और हवाई अड्डों पर तस्करी-निवारक उपायों को तेज किया गया है। इन उपायों में, गुप्त सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, समुद्रतट तथा भू-मार्गों पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना और संवेदनशील पत्तनों से आने वाले जाहाजों की तलाशी लेना, सम्मिलित है।

(ग) और (घ) : वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में ये सुझाव दिये गये थे कि सरकार को तस्करी की रोकथाम करने के तरीकों में से एक तरीके के रूप में सोने के आयात के औचित्य पर विचार करना चाहिए। इन सुझावों को नोट कर लिया गया है। सरकार ने इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

TOURIST BUNGALOW AT SAWAI MADHOPUR

3217. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to construct a tourist bungalow in Sawai Madhopur (Rajasthan) keeping in view the importance of tiger project, animal sanctuary, bird sanctuary ancient historical forts, etc. there; and

(b) if so, the details thereof and the time by which it would be completed and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) There is no proposal at present in the Central Sector to construct a Tourist Bungalow at Sawai Madhopur in Rajasthan.

(b) Does not arise. Accommodation is already available at Sawai Madhopur. (17 Double rooms in the Maharaja's Hunting Lodge and two Double Rooms in the Forest Rest House).

बुरहानपुर में पर्यटक होटल का निर्माण

3218. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले के ओंकशेवर और बुरहानपुर को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बुरहानपुर में एक पर्यटक होटल बनाने के लिए एक लाख रुपये से भी अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या वहां पर निर्माण-कार्य शुरू हो गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। परन्तु, उपलब्ध साधनों के ही अंतर्गत रहते हुए, केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसे पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है । जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में पहले से ही लोकप्रिय हैं या जिनमें आकर्षण की संभावित क्षमता है, जैसे खजुराहों, सांची, माडू, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल ।

(ख) बुरहानपुर में एक पर्यटन होटल का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई निधियां स्वीकृत नहीं की गयी हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए व्यापार संवर्धन कार्यालय

3219. **श्री एच० पी० एल० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिये एक व्यापार संवर्धन कार्यालय मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब मंजूर किया गया तथा उक्त कार्यालय के लिये मंजूर किये गये पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त कार्यालय के लिये प्राधिकरण ने भवन किस तिथि से किराये पर लिया, यह कब तक खाली पड़ा रहा और इससे कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या इस बीच कोई नियमित व्यापार संवर्धन अधिकारी नियुक्त किया गया है ; और

(ङ) उक्त कार्यालय अब तक, व्यक्तिगत मामलों को निपटाने वाले वाणिज्य मंत्रालय के सम्पर्क कार्य को छोड़कर, किये गये व्यापार संवर्धन कार्य का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय : राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) तथा (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए नई दिल्ली में एक व्यापार संवर्धन कार्यालय की मंजूरी 26 नवम्बर, 1976 को दी गई थी। इस कार्यालय के लिये 700--1300 रु० के वेतनमान में व्यापार संवर्धन अधिकारी के एक पद की और 330—560/- रु० के वेतनमान में एक कनिष्ठ आशुलिपिक के एक पद की मंजूरी दी गई है ।

(ग) कार्यालय के भवन को प्राधिकरण ने 1 फरवरी, 1977 से किराये पर लिया था। भवन साढ़े तीन महीने तक खाली पड़ा रहा। इस अवधि के लिये 7,875/-रु० की रकम किराये के रूप में दी गई।

(घ) अब तक कोई नियमित नियुक्ति का तो अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है, किन्तु प्राधिकरण के एक सहायक निदेशक को अब उसी ग्रेड में वहां लगा दिया गया है।

(ङ) व्यापार संवर्धन कार्यालय ने प्राधिकरण की ओर से विभिन्न मंत्रालयों के साथ सम्पर्क रखने का कार्य किया। उसने प्राधिकरण की ओर से गहरे सागर में मछली पकड़ने के ट्रालरों के आयात के बारे में एक सेमीनार का आयोजन किया और एग्री-एक्सपो 77 में प्राधिकरण के भाग लेने की व्यवस्था की। कार्यालय संयुक्त राज्य अमरीका /कनाडा में समुद्री उत्पादकों के बाजार सर्वेक्षण पर एक सेमिनार आयोजित करने की व्यवस्था कर रहा है। व्यापार संवर्धन कार्यालय ने दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावासों से भी घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखा और उन्हें विदेशी खरीदार अभिकर्त्ताओं तथा संभावित निर्यातकों को आवश्यक जानकारी तथा मार्ग निर्देशन देता रहा।

POSTS RESERVED FOR S.C. AND S.T. FOR CLASS I, II, III AND IV POSTS IN NATIONALISED BANKS

3220. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state.

(a) the number of class I, II, III and IV employees in the nationalised banks and the number of posts reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons therein;

(b) whether all the posts reserved for Adivasis and Harijans have been filled, and if not, the reasons therefor; and

(c) the time by which Adivasi and Harijan candidates would be recruited against these reserved posts and the measures being taken by Government to fill these posts ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The staff in the nationalised banks are categorised as Supervisory, Clerical and Subordinate. Information regarding the total number of employees in each category as on 31-12-1976 and the number of Scheduled Caste/Tribe employees in the 14 nationalised banks is given in Annexe.—[Placed in Library. *See* No. LT-1307/77]

(b) & (c) The banks have reported that the quota of reserved vacancies could not be filled for want of suitable candidates from these communities.

Government have advised the nationalised banks to wipe out all the backlog of reserved vacancies with the least possible delay. Besides, following special measures have also been recommended to these banks :

(i) to prescribe lower qualifications and qualifying standards for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(ii) to restrict the temporary appointments of subordinate staff to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(iii) to indicate clearly in the advertisements for recruitment the percentages laid down for Scheduled Castes/Scheduled Tribes communities;

(iv) to give wide publicity to reserved vacancies according to the instructions of the Government;

(v) to place a Report, after every major recruitment before the Board of Directors giving the number of Scheduled Castes/Tribes candidates recruited by the bank and the shortfall in percentage, if any, and reasons why the full quota was not filled;

(vi) to instruct their recruiting offices to contact the pre-recruitment training centres in various States for the training of Scheduled Castes/Tribes candidates for the recruitment tests;

(vii) to intimate the reserved vacancies to associations/special bodies locking after the welfare of Scheduled Castes/Tribes requesting them to sponsor suitable candidates.

With a view to improving the representation of these communities in their services, some of the banks have also resorted to special recruitment exclusively for Scheduled Castes/Tribes candidates.

किसानों की दशा में सुधार के लिए नयी बैंकिंग नीति

3221. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्याज के आधार पर ऋण देकर किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई नई बैंकिंग नीति बनाई गयी है ;

(ख) सरकार ने अब तक राज्यों के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को क्या हिदायतें दी हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने कोई प्रतिवेदन दिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ऐसे अग्रिमों को जिन्हें विशिष्ट सीमा तक दिया गया है तथा जो भारतीय ऋण गारन्टी निगम द्वारा गारन्टी प्राप्त हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण सभी प्रकार के अग्रिमों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की न्यूनतम ऋण दर से छूट दे दी गयी है। कृषि क्षेत्र के उन छोटे ऋणकर्त्ताओं से, जिन्हें 5000/- रु० के लगभग राशि की आवश्यकता होती है और जो खेती करने वाले वर्ग का अधिकांश होते हैं, $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 13 प्रतिशत के बीच अलग-अलग दर से ब्याज लिया जाता है। 4 प्रतिशत वार्षिक दर से ऋण उपलब्ध कराने वाली विभेदी ब्याज कर योजना का सारे देश में प्रसार कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत

अग्रिमों का कम से कम दो तिहाई हिस्सा ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं के मध्यम से दिया जाना है और ऋण का कम से कम एक तिहाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दिया जाना चाहिए ।

जहां तक सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है उनके द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण देने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है । अलबत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्य सहकारी बैंकों ने, दिये गये ऋणों पर 2 से 4 प्रतिशत तक ब्याज दर में छूट देते हुए छोटे तथा सीमांतिक कृषकों के पक्ष में विभेदी ब्याज दर योजनायें शुरू की हैं ।

(ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि मार्च, 1979 के अन्त तक उनके द्वारा दिये जाने वाले कुल अग्रिमों का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उपलब्ध होने लगना चाहिये । सरकार ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे ग्रामीण बैंक तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी जुटाई गयी जमाओं का 60 प्रतिशत उन्हीं क्षेत्रों में ही लगायें ।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर, 1976 में श्री सी० ई० कामथ की अध्यक्षता में स्थापित कार्यकारी दल अन्य खातों के साथ-साथ कृषि सम्बन्धी अग्रिमों पर लिये जाने वाले ब्याज के प्रश्न पर विचार कर रहा है । इस दल के अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करने की आशा है ।

भारत का व्यापार तुलन

3222. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 में भारत के अमरीका, सोवियत रूस, सऊदी अरब, पाकिस्तान तथा ईरान के साथ व्यापार तुलन का स्वरूप क्या है और वर्ष 1977-78 में प्रथम छः महीनों में क्या स्थिति रहने का अनुमान है तथा किसी उल्लेखनीय प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) निर्दिष्ट देशों के साथ भारत के व्यापार शेष की स्थिति प्रकट करनेवाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

चूंकि देशवार व्यापार आंकड़े केवल एक महीने अर्थात अप्रैल, 1977 के लिये ही उपलब्ध हैं, अतः 1977-78 के पहले 6 महीने के लिये इन देशों के साथ व्यापार शेष की स्थिति का कोई सही प्राक्कलन अभी से देना संभव नहीं है । फिर भी, 1977-78 के पहले 6 महीनों (अप्रैल---सितम्बर) के दौरान भारत के समग्र व्यापार शेष से प्रकट होता है कि लगभग 169 करोड़ रु० का अनन्तिम अधिशेष है, जब कि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी छमाही में 91 करोड़ रु० का घाटा था ।

विवरण

भारत का व्यापार शेष

(मूल्य लाख रु० में)

	1976-77			अप्रैल-1976			अप्रैल—1977		
	आयात	निर्यात	व्यापार शेष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सं० रा० अमरीका .	105553	54958	−50595	9738	4913	−4825	3368	4787	+1419
सोवियत संघ	30724	44039	+13315	3369	4451	+1082	2425	2767	+342
कनाडा .	12940	4870	−8070	323	390	+67	644	438	−206
ब्रिटेन .	32129	51012	+18883	2636	3533	−897	2812	4104	+1292
पश्चिम जर्मनी	30564	22434	−8130	2289	1394	−895	3525	1750	−1775
फ्राँस	10421	16182	+2161	2000	655	−1345	1396	899	−497
जापान .	29705	54024	24319	1882	3925	+2043	2178	5108	+2930
साऊदी अरब	33198	7509	−25690	3312	398	−2914	1254	534	−720
पाकिस्तान	1	887	+886	नगण्य	—	—	—	174	+174
ईरान . .	50787	14495	−36292	3716	1377	+2339	3838	543	+3295

चमड़े के निर्यात में कमी

3223. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चमड़े का निर्यात गत छः महीनों में कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कुल कितना निर्यात हुआ और कमी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) तथा (ख) अनन्तिम प्राक्कलनों के अनुसार अप्रैल,-सितम्बर, 1977-78 के दौरान चमड़े तथा चमड़ा उत्पादों के समग्र निर्यात 132.12 करोड़ रु० के हुए जब कि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 159.15 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे। इस गिरावट के लिये बताये गये प्रमुख कारण हैं ; अन्तर्राष्ट्रीय मांग में मंदी, पिछले वर्ष माल का स्टाक जमा कर लिया गया जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष विदेशी बाजारों के लिये कम माल उठाया गया । तथापि सितम्बर, 1977 से कुछ सुधार होने की रिपोर्ट मिली है।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा राज्य व्यापार निगम के पास से औषधियों का स्टाक उठाने से इंकार किया जाना

3224. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषध फर्मों ने राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित बल्क औषधियों के मूल्यों को कम कराने की दृष्टि से निगम के पास से स्टाक उठाने से इन्कार कर दिया है जिससे राज्य व्यापार निगम के पास औषध सामग्री का स्टाक जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1976 और जून 1977 के अन्त तक राज्य व्यापार निगम के पास औषधियों का कितना स्टाक जमा हो गया था ; और

(ग) विदेशी औषध कम्पनियों की ऐसी कार्यवाहियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन का संगठन

3225. **श्री पी० वी० पेरियासामी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 90 लाख रुपये के परिव्यय से नेशनल पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन के संगठन के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) यदि अब तक गठित नहीं किया गया है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को गति देने सबन्धी प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) नेशनल पोलट्री मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव फिलहाल छोड़ दिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

EXCISE DUTY ON TOBACCO

3226. **SHRI RAJ KESHAR SINGH** : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the procedure followed in the assessment of excise duty on the tobacco grown by farmers;

(b) whether complaints are received against the Field Inspectors in regard to assessment of excise duty levied on the farmers; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The basic principle of assessment of Excise Duty on unmanufactured tobacco is that the duty is charged on cured leaf (including consumable stalk and stem) but its collection is postponed until tobacco is about to go into use. After harvesting, tobacco may be cured by the grower or transferred in the green state to a curer. If the grower-curer wants to clear the cured tobacco on payment of duty, he may apply to the Central Excise officer, who will cause the tobacco to be weighed in his presence and deliver to him a notice in form D.D. 1 setting out the amount of duty assessed on such tobacco. After duty has been paid, the officer will issue a transport permit in form T.P. 1 for movement of tobacco from the curer's to the buyer's premises.

The grower-curer is allowed to keep non-duty paid cured tobacco for a reasonable period, fixed by the Collector of Central Excise, after consideration of local customs and conditions to enable him to decide whether to sell or retain his products. Thereafter he can retain it in his private store room without payment of duty or transfer it to a bonded warehouse without payment of duty. From the curer's private store room, the grower-curer can remove tobacco on payment of duty for use or without payment of duty to a bonded warehouse.

The yield of tobacco in respect of every grower is estimated, keeping in view the area cultivated by him, the average yield in the area, condition of the crop and other relevant factors. If the quantity of tobacco declared by the grower-curer is much below the estimate or the quantity of tobacco accounted for as disposed of by him is much less than that declared and if the deficiency is not accounted for to the satisfaction of the proper officer, then the proper officer may, under rule 37. A(2) of the Central Excise Rules, 1944, assess summarily the produce not accounted for, and issue a notice in form DD. 2 for payment of duty.

(b) & (c) No specific complaints have been received in the Ministry in the recent past against Central Excise inspectors in regard to assessment of excise duty on farmers growing tobacco.

DEVELOPMENT OF LADAKH TO ATTRACT INDIAN AND FOREIGN TOURISTS

3227. **SHRIMATI PARVATI DEVI** : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of Indian and foreign tourists who visited Ladakh during the last year and current year and new schemes and facilities under consideration of Government for development of Ladakh keeping in view the increasing interest of tourists in Ladakh; and

(b) the revenue earned from tourists in Ladakh during the said period ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIKR : (a) It is understood that about 7000 foreign tourists visited Ladakh upto the middle of November, 1977 as against 4600 in 1976. Their number being quite small, no statistics of domestic tourists are available.

Apart from local residents converting their residences into 'paying-guest' accommodation, no facilities on a large scale have come up for tourists at Leh. It has, however, been suggested to the State Government to draw up a master plan of tourism development for Ladakh so that there is no despoliation of its environmental and cultural characteristics while providing tourist facilities in Ladakh. With regard to air service to Leh. the Indian Airlines proposes to operate a service on receipt of 3 new Boeing-737.

(b) No revenue has been earned from tourism in Ladakh as no facilities have been provided in Ladakh in the Central Sector.

उपभोक्ता सहकारी समितियों को ऋण और अन्य सहायता

3228. **श्री अनन्त दवे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** और **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक उपभोक्ता सहकारी समितियों को ऋण देती हैं और उन पर ऊंची दर पर ब्याज लेती हैं और यदि हां, तो उपभोक्ता सहकारी समितियों से बैंकों द्वारा कितनी ब्याज की दर वसूल की जाती है;

(ख) ब्याज की ऊंची दर को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता सहकारी समितियां किस प्रकार प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं और अपने कर्मचारियों को किस प्रकार उचित रूप से देखभाल कर सकती हैं ; और

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता सहकारी समिति कीमतों को नियन्त्रित रखने का एकमात्र विकल्प हैं, सरकार का विचार कुशल कार्यकरण और कर्मचारियों की बेहतर स्थिति के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों को अपेक्षित ब्याज मुक्त ऋण और सहायता देने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) उपभोक्ता सहकारी समितियां सहकारी/व्यापारिक बैंकों से माल बंधक/दृष्टि बन्धक रखकर 12½ प्रतिशत से 18 प्रतिशत की भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ऋण लेती हैं ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग ने हाल ही में सहकारी बैंकों, जो उपभोक्ता सहकारी समितियों को धन देने के मुख्य स्त्रोत हैं द्वारा ली जाने वाली ब्याज की ऊंची दरों पर विचार किया है और सहकारी बैंकों को सहकारी समितियों के पांजेयकों के माध्यम से सलाह दी है कि वे उपभोक्ता सहकारी समितियों को केन्द्रीय सरकार की गारंटी योजना के अन्तर्गत/ अधिक से अधिक 12.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से कार्यकर पूंजी के प्रयोजन के लिये ऋण/ओवरड्राफ्ट की सुविधा दें ।

(ग) व्यापार का विस्तार करने और उपभोक्ता सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारें विभिन्न रूप में वित्तीय सहायता देती हैं, जैसे निर्धारिती पैटर्न के अनुसार अंशपूंजी इक्विटी के रूप में भाग लेना, फर्नीचर तथा फिक्सचर्स के लिये ऋण एवं आर्थिक सहायता देना और प्रबंधकीय आर्थिक सहायता भी देना । ये ऋण कम ब्याज दरों पर दिये जाते ह ।

देश में कार्यरत उपभोक्ता सहकारी समितियां

3229. **श्री शंकरसिंह जी बाघेला:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत उपभोक्ता सहकारी समितियों की कुल संख्या क्या हैं;

(ख) क्या उपभोक्ता सहकारी समितियां मूल्यों को स्थिर बनाये रखने तथा आवश्यक पदार्थों सहित वस्तुओं का प्रभावी वितरण करने में अच्छी भूमिका निभा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सहकारी सभी समितियों को एक ही प्रबंध नियंत्रण के अन्तर्गत लाने संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) 30 जून, 1976 को समाप्त सहकारी वर्ष में उपभोक्ता सहकारी समितियों के संस्थात्मक ढांचे में लगभग 450 केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समितियों, जिनकी 3,500 से अधिक (180 बहुविभागी भण्डारों सहित) शाखाएं हैं, 15,000 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां, 14 राज्य स्तर के उपभोक्ता सहकारी संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ शामिल थे। उपभोक्ता सहकारी समितयों के कुल मिलाकर लगभग 19000 विभिन्न आकार के फुटकर बिक्री केन्द्र बनते हैं।

(ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों से आवश्यक वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की उपेक्षा की जाती है और इस प्रकार ये मूल्यों को स्थिर करने के उपायों में सहायक सिद्ध होंगी।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को छोड़कर जिसका देशव्यापी कार्यक्षेत्र है, उपभोक्ता सहकारी समितियों को संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत काम करना होता है। तथापि, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों की उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को चलाने और उनके प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है

सहकारिता के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की कार्यकारी दल की सिफारिशों का कार्यान्वियन

3230. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारिता के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग कार्यकारी दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) सहकारिता के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री के० के० गोयल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन 1968 में प्रस्तुत कर दिया था। भारत सरकार ने इन सिफारिशों का उपयोग करने के लिए इस प्रतिवेदन की प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी थीं। की गयी कार्यवायी के बारे में समय-समय पर सूचना प्रशासनिक सुधार आयोग विभाग को दे दी गयी थी। की गयी कार्यवाही संबंधी एवं विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1308/77)

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग के सहयोग संबंधी कोई पृथक सिफारिश नहीं की गयी।

चाय के निर्यात कोटे पर प्रतिबन्ध

3231 **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय के निर्यात कोटे पर प्रतिबन्ध लगाने से बजार में इसकी मन्दी आई है; और

(ख) इसके निर्यात का राष्ट्रीकरण करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि चाय उद्योग को जूट उद्योग के समान समस्याओं का सामना न करना पड़े ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार चाय के निर्यातों पर निरन्तर निगरानी रख रही है जिनमें चाय की भारत में कीमतें, विश्व में कीमतें आदि शामिल हैं, और यदि तथा जब आवश्यक होगा, उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किये जाएंगे ।

ऋण देने के लिए मापदण्डों के बारे में विकासीय बैंकों को निदेश ।

3232. **श्री एस० सोमसुन्दरम** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकासीय बैंकों को यह स्पष्ट निदेश दिया है कि ऋण देने का मापदंड परियोजना की सुदृढ़ता, सामाजिक लागत और लाभ होना चाहिए न कि केवल निजी लाभप्रदता ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि इस उद्देश्य के लिए बैंकों में अपेक्षित संख्या में विशेषज्ञ अधिकारी नियुक्त करने की कोई सम्बद्धयोजना है तो क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग) परियोजना विशेष के लिये सहायता मंजूर करते समय, अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाएं परियोजना की अब स्थिति की उपयुक्तता, उसकी तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता, उसकी वित्तीय तथा वाणिज्य अर्थक्षमता, परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के प्रबन्धों (मेनेजमेंट) की सामर्थय और राष्ट्रीय दृष्टि से परियोजना के आर्थिक औचित्य पर दिया करती हैं । सरकार ने वित्ती संस्थाओं से यह भी कहा है कि (1) नयी परियोजनाओं अथवा परियोजनाओं के विस्तार के लिये सहायता मंजूर करते समय, उन्हें सहायता प्राप्त अथवा पाने वाली परियोजनाओं की रोजगार संबंधी संभावनाओं पर सदैव विचार करना चाहिए (2) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण तथा ग्राम उद्योगों को और साथ ही ऐसी परियोजनाओं को जिनके लाभ का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाला है, पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाये ।

वित्तीय संस्थाओं के पास उनके द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के आर्थिक तथा तकनीकी मूल्यांकन के लिये पहले ही अपना तकनीकी स्टाफ होता है । उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति द्वारा अपने संप्रवर्तन पक्षों को विस्तृत करने के लिये कहा गया है ।

अक्तूबर, 1977 में प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के कारण एयर इंडिया को हुई हानि

3233. **श्री ओ० बी० अलगेशन**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
डा० हेनरी आस्टिन
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1977 में प्रधान मंत्री की रूस की यात्रा के कारण एयर इंडिया को चार लाख रुपये की हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में ए०, बी०, और सी० श्रेणी के नागर

3234. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करें गे कि देश में ए, बी और सी श्रेणी के कितने शहर हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की आदयगी के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आधार पर नगरों को ए, बी०–1, बी०–2, और सी में अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है। ये देश में नगरों की विभिन्न श्रेणियों की संख्या निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	नगरों का वर्गीकरण	नगरों की संख्या
(1) मकान किराया भत्ते के प्रयोजनों के लिए		
	ए	5
	बी–1	6
	बी०–2	18
	सी	277
(2) प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के प्रयोजनों के लिए		
	ए	7
	बी०–1	4
	बी–2	21

पी० एल० 480 निधि का भुगतान वस्तुओं के रूप में करने के लिये अमरीका के साथ समझौता

3235. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी० एल० 480 निधि का भुगतान वस्तुओं के रूप में करने के लिए अमरीका के साथ 1974 में समझौता किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक केवल 13 लाख रुपयों के माल का निर्यात करने के बाद इस समझौते के अन्तर्गत निर्यात वस्तुतः रूक गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह केन्द्रीय सरकार ने लिये चिन्ता का विषय किस प्रकार बनेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) और (ख) : यह सही नहीं है कि पी० एल० 480 निधि का भुगतान वस्तुओं के रूप में करने के लिये 1974 में भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। वास्तव में उक्त करार के भाग 1 में यह व्यवस्था है कि उस समय तक भारत सरकार द्वारा संचित किये गये सभी पी० एल० 480 रुपये भारत सरकार को अनुदान के रूप में दे दिये जायेंगे और तदनुसार 1664 करोड़ रु० की राशि कतिपय निर्दिष्ट क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं हेतु उपयोग के लिये प्राप्त हुई थी। निर्यातों का सम्बन्ध उस करार के भाग-2 से है और उनका भुगतान गैर पी० एल० 480 निधियों में से किया जाना है, और पी० एल०-480 निधियों में से नहीं। इस करार के पैरा 10(ग) के अनुसार 5 वर्षों की अवधि में 10 करोड़ डालर तक के माल तथा सेवाओं के निर्यात संयुक्त राज्य सरकारी अभिकरणों को किये जाने हैं और उनका 75 प्रतिशत भुगतान डालरों में तथा 25 प्रतिशत भुगतान गैर-पी० एल०-480 निधियों से किया जाना है।

(ग) जी हां। 30 जून, 1977 तक संयुक्त राज्य सरकार ने केवल 13,24,330 रु० की खरीदारियां कीं।

(ख) इन खरीदारियों में धीमी प्रगति भारत सरकार के लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि अधिक खरीदारियों से संयुक्त राज्य अमरीका को हमारे निर्यातों में अतिरिक्त वृद्धि होगी और इससे भारत में संयुक्त राज्य की गैर-पी० एल० 480 निधियों में कमी होगी। इस करार के अन्तर्गत निर्यातों को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में आयात तथा निर्यात के क्रमशः अधिक राशि के अथवा कम राशि के बिलों के बारे में शिकायत

3236. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत पांच वर्षों में कुछ भारतीयों द्वारा तथा भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में, विशेष रूप से अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा स्विटजरलैंड में निर्यात के बारे में कम राशि के बीजक बनाने तथा आयात के बारे में, यदि कुल निर्यात अथवा आयात पांच लाख से अधिक मूल्य का है, अधिक राशि के बीजक बनाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ;

(ग) क्या सरकार ने उन देशों की सरकारों के साथ विदेशी क्रेताओं से क्रय मल्य और विक्रय मूल्य की सचाई जानने के बारे में कोई प्रबन्ध किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) आयात और निर्यात के माल के बीजक में हेरा-फेरी के बारे में कुछ शिकायतें सरकार को मिली हैं। परन्तु, मांगी गयी सूचना चूंकि पांच वर्षों से सम्बन्धित है इसलिये उसे इक्ठ्ठा करने में कुछ समय लगेगा। उसे एकत्र किया जा रहा है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) : सरकार के पास माल के वास्तविक मूल्य की जांच के लिये विदेशी सरकारों के साथ कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। परन्तु उपयुक्त मामलों में आवश्यक पूछताछ की जाती है और सम्बन्धित देश के राष्ट्रीय प्रशासन का सहयोग भी मांगा जाता है।

चंडीगढ़ में रक्षा मंत्री का कथित वक्तव्य

3237. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 सितम्बर, 1977 को चण्डीगढ़ में रक्षा मंत्री के इस आशय के कथित वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान गया है कि सरकार की सबसे बड़ी असफलता कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि को न रोक पाना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) व (ख) : 11 सितम्बर, 1977 को चण्डीगढ़ में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री ने जनता सरकार द्वारा किये गये कार्य के सम्बन्ध में की जाने वाली आम आलोचना का उल्लेख करते हुए पूछा था, कि कोई सरकार तीन महीने में कितना कुछ कर सकती है और बताया कि जनता सरकार की प्रमुख उपलब्धि तो आपातकाल से पहले देश की जनता को प्राप्त सभी आजादी और नागरिक स्वतंत्रता फिर से उन्हें दिलाना है। तथापि, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया कि जनता सरकार कतिपय आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने में कुछ हद तक असफल रही है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं, जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं तथा जिन्हें किसी दूसरे देश से मगाया भी नहीं जा सकता , के मूल्यों को रोकने में कुछ अधिक नहीं कर पाई है।

पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने और उनकी उपलभ्यता की स्थिति सुधारने के लिए कई उपाय किए गए हैं। मूल्य स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और जब भी आवश्यकता होगी और उपाय किए जायेंगे।

REGULARISATION OF SERVICES OF EMPLOYEES OF INDIAN INSTITUTE OF LEGAL METROLOGY, RANCHI

3238. **SHRI YUVRAJ** : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi has been taken over by Central Government from the State Government in 1970;

(b) whether it is also a fact that the services of the employees of the said institute have not been regularised since 1st January 1970;

(c) whether it is also a fact that the post of the head of the institute was that of lecturer-cum-Principal which has now been converted into the post of lecturer only and the newly created post of Principal has so far been lying vacant; and

(d) if so, the time by which the services of the employees would be regularised from 1st January, 1970 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) Yes, Sir. The Institute was taken over by the Central Government on 1-1-1970.

(b) Yes, Sir. The recruitment Rules, except for the post of Principal, have been finalised and action to process further is on hand. The incumbent of the post of Professor has been regularised in accordance with the recruitment Rules.

(c) There was a post of Professor-cum-Principal (and not Lecturer-cum-Principal). This post has been re-designated as "Professor", and in addition, a post of Principal has been created. The post of Principal has been kept in abeyance during the current financial year as a measure of economy.

(d) Expeditious action is on hand to fill up the posts in accordance with the recruitment Rules and the present employees will also be eligible for consideration if they satisfy the requirements.

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन के बिना ऋण दिया जाना :

3239. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने मैसर्स ब्राड्हेरी मिल्स, बम्बई, तथा लखनऊ कानपुर और औरंगाबाद के अनेक अन्य औद्योगिक एककों को बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये 10 करोड़ रुपये का ऋण दिया था;

यदि हां, तो क्या सरकार यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के चैयरमैन और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये इन सभी आरोपों की जांच करेगी जिन्होंने सार्वजनिक धन को ऋण के रूप में दिया जिसके परिणामस्वरूप 20 करोड़ रुपये का आंशोध्य ऋण हो गया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करवाई है और कार्यवाही कर ली गयी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स ब्राड्हेरी मिल्स, बम्बई जिसे ऋण बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त हैं, वस्त्र उद्योग में सामान्य मंदी आ जाने के कारण पिछले कुछ दो तीन वर्षों से वित्तीय कठिनाइयों में से गुजर रही है। इसलिए बैंक ने इस मिल को पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया है। मिल की बम्बई सहायता उपक्रम अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार ने सहायता-उपक्रम के रूप में घोषित कर दिया है। रोजगार को स्थिर रखने के लिए तथा उत्पादन को बनाए रखने के लिए बैंक ने ऋण अनुमोदन योजना के अधीन अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति मांगी और प्राप्त की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त सुविधाएं मंजूर करते समय बैंक से कई और उपाय करने के लिए कहा है और बड़ी सावधानी से सम्बन्ध खाते के लिए कहा है।

यह समझा जाता है कि लखनऊ और कानपुर में स्थित औद्योगिक एककों का संबंध दिनांक 6 अगस्त, 1977 के ब्लिट्ज के लेख में उल्लिखित 3 एककों से है। यदि ऐसा है

तो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचित किया है कि जहां तक इन तीन एककों का संबंध है इनमें केवल गत दो वर्षों से की रुग्णता के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। इन एककों में से एक एकक के संबंध में बैंक अपनी देय रकमों की वसूली करने के लिए कानूनी कार्रवाई कर चुका है। बैंक को देय रकमों के एक बड़े भाग की वसूली इस एकक की मियादी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकमों से हो जाएगी। जिसकी पहले ही नीलामी की जा चुकी है जिसके ऊपर बैंक की अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समरूप प्रभार (चार्ज) प्राप्त होता है। अन्य दो एककों के संबंध में बैंक उन के प्रचालन पर बराबर निगरानी रखे हुए है और बैंक ने सूचित किया है कि वह इस बात पर विश्वास कर सकता है कि इन में शीघ्र ही सुधार होगा।

जहां तक औरंगाबाद में खातों का संबंध है यह समझा जाता है कि इस का संबंध 1969 से 1973 के वर्षों के दौरान औरंगाबाद में दिए गए कृषि अग्रिमों से है जिन में से कुछ अनियमित करार दे दिए गए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जो इन मामलों की जांच कर चुका है, प्रबन्धक तथा दो अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर किया है।

बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार यथा अपेक्षित, डूबते और संदिग्ध ऋणों के लिए अपने खातों में पर्याप्त व्यवस्था की है जो उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की संतोषजनक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की अनियमितताओं की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए कहा गया है। उसने सूचित किया है कि उसके द्वारा की गई पूछताछ के आधार पर वह बैंक के विचारों से आमतौर से सहमत है।

महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थित रत्नाकर बैंक की मांडवी शाखा में 54 लाख रु० का कथित घोटाला

3240. **श्री बाबू साहेब परुलेकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थित रत्नाकर बैंक की मान्डवी शाखा में 54 लाख रुपये के कथित घोटाले की सूचना सम्बद्ध अधिकारियों को दो गयी है और उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(ख) क्या यह घोटाला रत्नाकर बैंक के निदेशकों ने उक्त बैंक की मान्डवी शाखा के लिये इमारत की खरीद के सौदे में किया है और बैंक के सालिसिटरों ने उक्त सौदे के बारे में गंभीर टिप्पणियां की हैं निदेशकों से स्पष्टीकरण मांगा है और निदेशकों ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है ;

(ग) क्या श्री भरत ए० नायक एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा उनके मंत्रालय को 11 मई, 1977 को रत्नाकर बैंक के मामले के बारे में शिकायत याचिका भेजी है ;

(घ) क्या आवेदक ने अनुरोध किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक के बारे में विस्तृत जांच कराई जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि रत्नाकर बैंक की बंबई (मांडवी) शाखा पर मैसर्स इंडिया फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज और मैसर्स दिग्विजय फर्टिलाइजर्स के खातों में 55.10 लाख रुपये की रकम का घोटाला हुआ है जो बैंक के ध्यान में 1976 के प्रारम्भ में आया। यह सूचना मिली है उधर लेने वाली फर्मों से बैंक ने 13.76 लाख रुपये की रकम वसूल कर ली है जिससे खाते में बकाया रकम कम होकर 43.64 लाख रुपए हो गई है। रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में बैंक ने सभी उपलब्ध परिसम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

(ख) रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि मांडवी शाखा के लिए इमारत की खरीद के संबंध में यद्यपि, रत्नाकर बैंक के कुछ निदेशकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये गए हैं किन्तु इन आरोपों की पुष्टि करने वाली कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) रिज़र्व बैंक ने सूचना दी है कि रत्नाकर बैंक ने मांडवी शाखा पर धोखा-धड़ी के संबंध में शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा दी है। जांच पर पुलिस ने बैंक के मैनेजर और उधार लेने वाली फर्मों के एक हिस्सेदार को हिरासत में ले लिया है। रिज़र्व बैंक इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है और उसने अपने एक अधिकारी की बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है ताकि जालसाजी में फंसे ऋणदाताओं से बैंक की यथासम्भव राशि वसूल करने के लिए प्रभावशाली उपाय किये जा सकें तथा बैंक सम्बन्धित अधिकारियों को दण्ड दिया जा सके।

मेंढ़क की टांगों का निर्यात

3241. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से मेंढ़क की टांगों का विदेशों को खाने के लिए निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कलेंडर वर्ष 1976 तथा जनवरी से सितम्बर, 1977 के दौरान कितने मूल्य की मेंढ़क की टांगों का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या मेंढ़क की टांगों के सम्बन्ध में अंधाधुंध व्यापार के कारण कृषक कीटाणुओं पौधों की बीमारियों के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि वे बढ़ रही है ; और

(घ) उस राज्य का नाम क्या है जिसने मेंढ़क की टांगों का सबसे अधिक निर्यात किया और उसका मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) कलेंडर वर्ष 1976 के दौरान 7.80 करोड़ रु० की तथा जनवरी से सितम्बर, 1977 के दौरान 4.12 करोड़ रु० की मेंढ़क की टांगों का निर्यात किया गया था। जनवरी से सितम्बर, 1977 की अवधि के आंकड़े अन्तिम नहीं हैं।

(ग) हमें इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(घ) 1976 के दौरान केरल ने 3.37 करोड़ रु० की मेंढ़क की टांगों का निर्यात किया।

चिट फंड बेनिफिट कम्पनियां

3242. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि अनेक तथाकथित चिट फंड बेनीफिट कम्पनियां अभी भी कार्य कर रही हैं और अब तक इस मामले में सरकारी कार्यवाही और नियंत्रण के बावजूद फलफूल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति, जिसके कारण अनगिनत निर्धन तथा भोलेभाले नागरिकों को भी हानि हो रही है पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इस संबंध में की गयी कार्यवाही का मुख्य ब्यौरा क्या है और संबंधित कम्पनियों के बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार अनेक इनामी चिट अथवा लाभकारी/बचत योजनाओं वाली कम्पनियों में व्याप्त बेइमानियों से परिचित है और इनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये अब जल्दी ही उसका एक विधेयक पेश करने का विचार है।

(ग) ऐसी कम्पनियों द्वारा जमाओं का स्वीकार करना विभिन्न गैर-बैंकिंग कम्पनियों की रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने 1 जनवरी, 1977 से लेकर अब तक इसके द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन न करने वाली 118 विभिन्न गैर-बैंकिंग कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। जारी किये गये निर्देशों की उपेक्षा करने के लिए इसने इनकी चिटों और बचत योजनाओं का कारोबार करने वाली 26 कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है और ऐसी 18 अन्य कम्पनियों की जमाओं स्वीकार करने पर रोक लगाने के लिये आदेश जारी किये हैं। इन कम्पनियों की एक सूची अनुबन्ध में दी गयी है।

रिजर्व बैंक ने यह भी सूचना दी है कि उसके द्वारा की गयी विभिन्न कार्रवाहियों के परिणामस्वरूप 119 कम्पनियों ने नयी योजनाएं चलाना बन्द कर दिया है और उसके द्वारा जारी की गयी निर्देशों के उपबन्धों से छूट के वास्ते अन्य 48 कम्पनयिों ने आवेदन पत्र भेजे हैं।

विवरण

क. उन इनामी चिट/लाभकारी/बचत योजनाओं का कारोबार करने वाली कम्पनियों के नाम जिके विरुद्ध रिज़र्व बैंक द्वारा कानूनी कार्रवाई की गयी है/थी।

1. महाराष्ट्र सेंविंग एण्ड फाइनेंस कं० प्रा० लि०
2. जयलक्ष्मी फाइनेंस एण्ड हायर परचेज कं० प्रा० लि०

3. मार्डन सेविंग्स एण्ड ट्रेडिंग यूनिट्स प्रा० लि०

4. सौराष्ट्र सेविंग्स कं० पा० लि०

5. दर्शन ट्रेडिंग फाइनेंम प्रा० लि०

6. स्वप्नगराय बेनिफिट प्रा० लि०

7. एक्यूर चिट इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०

8. हाउस आफ बेनिफिट प्रा० लि०

9. प्रतीक्षा बेनिफिट प्रा० लि०

10. लियोड्स ट्रेडिंग एण्ड चिट फण्ड कं० प्रा० लि०

11. द्रुपद इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस प्रा० लि०

12. प्रीति सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०

13. गुरुदेव फाइनेंस एण्ड सेविंग्स प्रा० लि०

14. एक्सप्रेसों बेनिफिट प्रा० लि०

15. गुजरात लिंकर्स एण्ड फाइनेंसयिर्स प्रा० लि०

16. नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेंस प्रा० लि०

17. स्टर्लिंग बेनिफिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कं० प्रा० लि०

18. कुमार बेनिफिट कं० प्रा० लि०

19. सपना बेनिफिट प्रा० लि०

20. किंगसन बेनिफिट एण्ड चिट फण्ड लि०

21. चन्द्रमा बेनिफिट प्रा० लि०

22. सीगुली बेनिफिट प्रा० लि०

23. पातिडा बेनिफिट प्रा० लि०

24. एपेक्स कामर्शियल एण्ड फाइनेंसियल कं० प्रा० लि०

25. एस० के० डी० सेविंग्स एण्ड फाइनेंस प्रा० लि०

26. न्यू भारत सेविंग्स यूनिट कं० प्रा० लि०

ख. उन इनामी चिट/लाभकारी/ बचत योजनाओं का कारोबार करने वाली कम्पनियों के नाम जिन्हें और जमाराशियां स्वीकार करने से रोक दिया गया है ।

1. रांची चिट एण्ड फाईनेंस प्रा० लि०

2. कल्याणी चिट एण्ड सेविंग्स कं० प्रा० लि०

3. लक्ष्मी बेनिफिट प्रा० लि०

4. अरोड़ा चिट फण्ड फाइनेंस प्रा० लि०

5. स्पूतनिक फाइनेंस प्रा० लि०

6. गणपत सेविंग्स एण्ड फाइनेंस कं० प्रा० लि०

7. जनसेवा चिट फण्ड फाइनेंस एण्ड ट्रेडिंग कं० प्रा० लि०

8. पैसिफिक फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कं० लि०

9. साकेत चिट एण्ड फाइनेंस कं० प्रा० लि०

10. यूनाइटेड सेविंग्स एण्ड फाइनेंस कं० प्रा० लि०

11. महाराष्ट्र सेविंग्स एण्ड फाइनेंस कं० प्रा० लि०

12. फैवीराइट सेमल इन्वेस्टमेंटस लि०

13. प्रेट्टी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०

14. एस० ए० सेविंग्स एण्ड फाइनेंसिंग कं० प्रा० लि०

15. नवजीवन ट्रेडिंग एण्ड फाइनेंस कं० लि०

16. कैथामांगलम चिट फण्ड्स प्रा० लि०

17. कविता बेनिफिट प्रा० लि०

18. गुजरात सेविंग्स यूनिट प्रा० लि०

स्वीडन की कुछ कम्पनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देना

3243. **श्री हेनरी आस्टिन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही स्वीडन की कुछ कम्पनियों ने हाल में और अधिक कम्पनियां चलाने की अनुमति देने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कम्पनियों को अनुमति दी गई है ; और

(ग) उनका पंजीकरण कब किया जायेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

LOAN FACILITIES BY NATIONALISED BANKS TO PERSONS ARRESTED UNDER MISA AND DISIR DURING EMERGENCY

3244. SHRI CHATURBHUJ :
SHRI VASANT SATHE : } Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Central Government have asked the nationalised banks for providing loan facilities to those persons who were arrested under MISA and DISIR during emergency; and

(b) if so, the conditions for getting such facilities ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) Instructions have, recently been issued to the public sector banks that they may extend credit assistance on liberal terms and on a priority basis for economically viable ventures, under any of the existing schemes, to applicants who suffered detention or imprisonment under MISA or DISIR, for six months or more during the emergency solely because of their political affiliations or membership of erstwhile banned organisations and who, without bank assistance would not be able to resume economic activities for their livelihood.

U. N. FINANCIAL ASSISTANCE

3245. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the schemes or other projects for which financial or other kind of contribution is being provided by United Nations Organisation and its various agencies at present; and

(b) the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

भारत नेपाल सीमा पर औषधियों की तस्करी रोकने के लिए कार्यवाही

3247. **श्री द्रोणम राजू सत्यव नारायण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों की चोर बाजारी के लिए भारत-नेपाल सीमा की भेद्यता को देखते हुए सरकार का विचार तस्करी को कारगर ढंग से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ख) क्या दिन प्रति दिन बढ़ रही उक्त तस्करी के परिणामस्वरूप विशेषकर देश के पूर्वी क्षेत्र में व्यसनियों की संख्या बढ़ गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए, निवारक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है और उनकी अधिक प्रभावी ढंग से इधर-उधर तैनाती की गई है। नई निवारक जांच-चौकियां बनाई गई हैं और उनको सीमा के नजदीक स्थापित किया गया है, गुप्त-सूचना संग्रह तन्त्र को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया गया है। संचार के शीघ्र और गुप्त साधन सुलभ करने के लिए, समस्त सीमावर्ती क्षेत्र के लिए बेतार का जाल बिछाने की मंजूरी दी गयी है और उसके जल्दी ही प्रतिष्ठित किये जाने की सम्भावना है। इसके अलावा तस्करी विरोधी उपायों को, जिनमें सुगमता से पार किये जा सकने योग्य भू-भागों पर गश्त लगाना और सीमा के साथ-साथ अधिक सतर्कता बरतना सम्मिलित है, सुगठित किया गया है।

(ख) हालांकि भारत–नेपाल सीमा सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है, प्राप्त रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता कि नारकोटिक औषधियों की तस्करी में कोई वृद्धि हुई है, जिसके परिणामत: देश के पूर्वी क्षेत्र में व्यसनियों की संख्या बढ़ी हो।

RESERVED QUOTA FOR S.C. & S.T. IN STATE BANK OF INDIA AND OTHER NATIONALISED BANKS

3248. SHRI CHHABIRAM ARGAL : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether reserved quota has been filled in the State Bank of India and other nationalised banks through direct recruitment and promotions;

(b) the category-wise percentage of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the aforesaid banks;

(c) whether reservation in departmental promotions has been made for the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and if so, the category-wise number of employees belonging to these castes promoted respectively;

(d) whether quota reserved in promotions has not been filled because after a negligence on the part of departmental officers even after a circular was issued in this regard and if so, the action taken against the officers responsible therefor; and

(e) the time by which the quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be filled by way of direct recruitment and promotions and the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (e) Public sector banks have been following the instructions of the Government regarding reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates for the posts filled in through direct recruitment. These banks have, however, reported that the entire quota of the reserved vacancies could not be filled in for want of suitable candidates from these communities despite relaxations given to them in age, qualifications and qualifying standards. Government have advised these banks to take a number of special measures for clearing the backlog as well as current reservations meant to be filled in through direct recruitment with the least possible delay.

The category-wise statement showing the number of SC/ST candidates employed in the 14 nationalised banks and the State Bank of India Group as on 31-12-76 is in the annexe. [Placed in Library. *See* No. LT.-1309/77]

— As far as reservation for posts filled in by promotion is concerned, public sector banks have not yet been able to follow the scheme of reservation obtaining in Government because promotions from clerical to officers cadre in banks are governed by various agreements/understandings between employees' union and the respective banks. However, pending extension of the scheme of reservation in promotion posts, public sector banks were advised to give relaxation of 5% in the qualifying marks both in the written examination and in interview for the SC/ST employees for promotions made on the basis of written tests and interview.

स्टोर-होल्डरों के पदों के लिए लिखित परीक्षा

3249. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टोर-होल्डरों के पदों के लिये हाल ही में हुई लिखित परीक्षा में 14 एप्रेन्टिसों ने परीक्षा पास की और उनमें से केवल दो व्यक्तियों को नौकरी दी गई और ;

(ख) यदि नहीं, तो सभी 14 योग्य एप्रेन्टिसों को नौकरी न देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) केवल इंडियन एयरलाइंस में ही 'स्टोर-होल्डरों' के पद हैं। इंडियन एयरलाइन्स में इन पदों के लिए चयन में, अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ 36 अप्रेंटिसों ने भी आवेदन किया था। इनमें से केवल 13 ने योग्यता टैस्ट (aptitude test) पास किया, जिनमें से 12 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए आए। सिलेक्शन बोर्ड ने इन में से सात व्यक्तियों को उपयुक्त पाया। उन्हें नियुक्ति आफर की गयी। परन्तु, जिनको नियुक्ति आफर की गयी थी उनमें से एक व्यक्ति डाक्टरी जांच के आधार पर अयोग्य (unfit) पाया गया।

राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आपात स्थिति के दौरान परिवार नियोजन के कार्य में सहायता दिया जाना

3250. **श्री चौधरी बलबीर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और उसकी सहायक कम्पनियों ने आपात स्थिति के दौरान परिवार नियोजन के कार्य में विज्ञापन आदि देकर सहायता की ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों ने इस उद्देश्य के लिये लगभग 1 लाख रुपये मूल्य की एक आयातित कार दी थी ;

(ग) राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और उनकी सहायक कम्पनियों ने इस उद्देश्य के लिये उपरोक्त उपक्रमों के कर्मचारियों की वेतन वृद्धियां एक मुश्त राशि दे कर धन किस प्रकार व्यय किया ; और

(घ) ऐसा किसके आदेशों से किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ग) जी नहीं। परन्तु आपात स्थिति में दौरान राज्य व्यापार निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों को परिवार नियोजन के लिये एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप रूप में कुल 43,400 रु० की राशि दी गई थी। इसके अतिरिक्त 21 कर्मचारियों को एक मुश्त प्रोत्साहन के स्थान पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी गई थी।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों ने कर्मचारियों को उसी प्रयोजन के लिये नकद प्रोत्साहन के रूप में 74,250 रु० की राशि दी थी।

(ख) जी नहीं ।

(घ) परिवार नियोजन के लिये प्रोत्साहन योजनाएं निगमों के प्रबन्ध द्वारा आपात अवधि से पहले ही लागू कर दी गई थी। प्रबन्ध द्वारा समय-समय पर उन लाभों को बढ़ाया गया।

SUICIDE BY SHRI M. N. RAMACHANDRAN NAIR

†3251. SHRI R. L. P. VERMA : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether one Shri M. N. Ramachandran Nair of Kerala committed suicide on account of tortuous process of getting loan for starting an industry from Syndicate Bank, which was sanctioned by R.B.I. through Syndicate Bank as stated in his suicide note reported in the Blitz Weekly August, 27, 1977;

(b) if so, what action Government have taken/propose to take against the officials of the Syndicate Bank who are responsible for his committing suicide;

(c) what compensation Syndicate Bank/Government propose to give to the family of late Shri M. N. Ramachandran Nair;

(d) whether Government will get this suicide investigated by C.B.I., and

(e) the proposal of the Government to streamline the procedure so that such cases do not recur ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The Syndicate Bank has reported that it had sanctioned credit facilities during 1974 to Venad Literary and Commercial Enterprises Pvt. Ltd. of which late Shri M. N. Ramachandran Nair was the Managing Director. The Bank applied for refinance from IDBI in respect of term loan already sanctioned to the company and passed on the benefit of the low rate of interest to the company on receipt of IDBI re-finance.

The company later applied for additional working capital for its packaging unit to the Trivandrum Branch of the Bank. Late Shri Nair called on the officials at the Bank's head office on 8-8-1977 to find out whether details furnished by the company to the Trivandrum Branch were sufficient. Late Shri Nair was given necessary guidance for furnishing the particulars called for and he promised to furnish these details. It is reported that he committed suicide a few days later. The present Managing Director of

the company has since furnished necessary information and additional working capital has already been granted to the company for its packaging division. It is reported that both the printing and packaging divisions of the company are working smoothly.

The circumstances under which late Shri Nair committed suicide are not known to the bank. The Bank has however reported that there has been no delay on its part in sanctioning credit facilities to the company nor any discourtesy shown to late Shri Nair by any bank official.

(b) to (e) Do not arise.

गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति देने का औचित्य

3252. **श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी व्यापारियों को विदेशों में बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) गैर सरकारी व्यापारियों को निर्यात व्यापार करने की अनुमति देने का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा 'नाफेड' बासमती चावल का निर्यात व्यापार करने में सफल नहीं रहे हैं ; और

(घ) इन संगठनों की किन असफलताओं के कारण सरकार ने अपने पहले निर्णय को बदलने का विचार किया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) बासमती चावल के निर्यात का मार्गीकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि इसके निर्यात के लिये भारी मात्रा में इमदाद देनी पड़ती थी । इस निर्णय का आशय राज्य व्यापार निगम के कार्य-निष्पादन पर कोई आक्षेप करना नहीं है ।

EVASION OF INCOME TAX BY M/S DHARAM SINGH RAM SINGH, FINANCIERS, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

3253. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Fill the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Messrs Dharam Singh Ram Singh, Financiers, Asaf Ali Road, New Delhi have illegally amassed black money worth crores of rupees;

(b) whether they have evaded income-tax amounting to lakhs of rupees in collusion with Income-tax officers; and

(c) the action proposed to be taken by Government against this firm ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) to(c) Search and seizure operations were conducted by the Income-tax authorities in the cases of M/s. Dharam Singh Ram Singh and related parties. It was found that -the assessec was indulging in 'hawala business'. Assessments were completed taking into account the seized material. These assessments have been set aside in appeal to be made *de novo*. Appropriate action under the law will be taken after the finalisation of the pending assessments.

No collusion of income-tax officer with the assessee has come to notice so far.

SWIMMING POOL IN KHAJURAHO HOTEL

3254. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a swimming pool in the Khajuraho Hotel, a public sector hotel in view of the fact that Khajuraho is an international tourist centre and is visited by a large number of foreign tourists; and

(b) if so, whether the construction work thereon is likely to be started before March 1978 ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) (b) Yes, Sir. It is proposed to construct a swimming pool in the Khajuraho Hotel of India Tourism Development Corporation. Subject to the availability of funds, the construction work is expected to commence in the later half of 1978.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ बैंकर्स से एसोसियेटशिप

3255. **श्री सौगत राय:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स से 'एसोसिएटशिप' का होना आवश्यक समझा जाता है ;

(ख) क्या सी० ए० आई० आई० बी० को परीक्षाओं में अनियमितताओं की कोई रिपोर्ट सरकार को मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स की एसोसिएटशिप को महत्व देते हैं।

(ख) और (ग) सरकार को मई, 1977 में हुई इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स की एसोसिएट परीक्षा के लिये बुलाये गये प्रश्न-पत्रों के पहले से पता चल जाने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

इंस्टीट्यूट ने सूचित किया है कि इंस्टीट्यूट की कोंसिल ने भाग-I के सभी पांचों विषयों और भाग-II के एक विषय में पुनः परीक्षा लेने का निर्णय किया है। इंस्टीट्यूट ने पुलिस अधिकारियों को प्रश्न पत्रों के पहले से पता लग जाने की सूचना दे दी थी। अलबत्ता, पुलिस अधिकारियों ने इंस्टीट्यूट को बाताया कि प्रश्न पत्रों के पहले से पता लग जाने के मामले में कोई कार्रवाई संभव नहीं है क्योंकि यह संशेय (काग्नीजेबल) अपराध नहीं है।

इंस्टीट्यूट द्वारा परीक्षा के विभिन्न चरणों पर कार्यविधि को कड़ा बनाने के लिये उठाये कुछ कदमों के अतिरिक्त, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस मामले पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इंस्टीट्यूट को उपयुक्त सलाह देने के लिये कहा है।

बिहार में निर्यात किया गया अभ्रक

3256. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ही समय पहले बिहार से भारी मात्रा में अभ्रक का निर्यात किया गया था, यदि हां, तो गत पांच वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और निर्यातकर्ता फर्मों के नाम और पते क्या हैं और कितने मूल्य का निर्यात किया गया है ;

(ख) ऐसी निर्यातकर्ता फर्मों को कुल कितनी निर्यात सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या इस निर्यात सहायता के किसी भाग का उपयोग बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिये किया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेश यात्रा में मितव्ययिता

3257. **श्री के० प्रधानी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने विदेश यात्रा में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से मितव्ययिता बरतने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) जी , हां ।

(ख) विदेशों में की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों/भेजे जाने वाले प्रतिनिधि-मण्डलों पर नियंत्रण के लिए हिदायतें पिछली बार 30 मई, 1977 को जारी की गई थीं ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में उड़ान के समय आकर्षक वाद्य संगीत

3258. **श्री पी० वी० नरसिम्हा राव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में उड़ानों के दौरान संगीत के रिकार्ड 5 वर्ष से अधिक समय से बार-बार बजाये जा रहे हैं और अब व नीरस हो गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को इसके स्थान पर बेहतर तथा अधिक आकर्षक वाद्य संगीत बजाए जाने के लिए कहने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में अब जो वाद्य संगीत बजाया जा रहा है वह अभी 1976/1977 में ही लिया गया था । जो मास्टर रिकार्ड 1976 में लिया गया था उसे आजकल बोइंग 737 तथा कारवेल विमानों में बजाया जा रहा है और जो रिकार्ड 1977 में लिया गया था

उसे एयर बस ए-300 बी० 2 विमानों में बजाया जा रहा है। विमानों में काफी विविध प्रकार का वाद्य संगीत उपलब्ध होता है तथा इंडियन एयरलाइन्स का भविष्य में इस विविधता को बनाये रखने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को जमा राशियों का ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण उपयोग करने के लिये जारी किए गए आदेश

3259. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त विभाग ने कृषि, औद्योगिक व्यापार तथा अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य विकास कार्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए कोई आदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्यवाही सहित तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) गत वित्तीय वर्ष के दौरान (एक) उप-प्रभागीय स्तर, (दो) जिला स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास कितनी धनराशियां जमा हुईं ; और

(घ) इसी वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ ऐसी जमा राशियों के उपयोग के इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य विकास कार्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऋणों का अधिक से अधिक उपयोग हो, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी गई है कि मार्च 1979 के अन्त तक अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के लिए ऋण और जमा का अनुपात कम से कम 60 प्रतिशत कर लेने का प्रयत्न करें। चूंकि जमाओं का लगभग 40 प्रतिशत पहले ही नकदी या नकदी जैसे प्रयोजनों के लिए रख लिया गया है, इसका अर्थ यह होगा कि ऋण का प्रयोग करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के पास उपलब्ध राशि को वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा।

(ग) और (घ) जून, 1976 के अन्त तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं और अग्रिमों के जिला वार वितरण के संबंध में सूचना अनुबन्ध-I [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1310/77**] में दी गई है।

दिसम्बर, 1975 के अन्त तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण और अर्ध शहरी कार्यालयों की जमाओं और अग्रिमों का राज्यवार वितरण अनुबंध-II [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1310/77**] में दिया गया है।

PAYMENT OF INCOME TAX BY STRAW PRODUCTS AND J. K. INDUSTRIES

3260. **SHRI BHANU KUMAR SHASTRI** : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state the amount of income-tax paid by Straw Products Limited and J. K. Industries during the last three years, year-wise and the amount of income-tax yet to be realised from them separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : No income-tax had been paid by M/s J. K. Industries Limited during the three financial years 1974-75, 1975-76 or 1976-77.

No. income-tax was paid by M/s Straw Products Limited during the financial year 1974-75. The amount of income-tax paid by this company during the financial years 1975-76 and 1976-77 was Rs. 3.08 lakhs and Rs. 136.83 lakhs, respectively.

No income-tax dues were outstanding as on 30th September, 1977 against either of the said two companies.

अमरीका से आर्थिक सहायता

3261. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में अमरीका से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन ने भारत को फिर से विकास सहायता चालू करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श शुरु किया है। उन क्षेत्रों और परियोजनाओं के संबंध में विचार-विमर्श हो रहा है जिनके लिए इस सहायता का उपयोग किया जा सकता है ।

CHARTER OF DEMANDS BY SUGAR FACTORIES IN MAHARASHTRA

3262. SHRI KESHAVRAO DHONGDE : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether any charter of demands was submitted to the Central Government on behalf of the sugar factories under the co-operative sector in Maharashtra; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) The Central Government have not received any charter of demands on behalf of cooperative sugar factories in Maharashtra.

(b) Does not arise.

आयकर सम्बन्धी छापे

3263. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने आयकर सम्बन्धी छापे मारना बन्द कर दिया है ; और

(ख) चालू वर्ष के 6 महीनों में कितने छापे मारे गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1977 तक के छः महीनों में आयकर विभाग ने 222 मामलों में तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही की ।

भारतीय राजस्व सेवा के प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

3264. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या वित्त मंत्री सभा पटल पर ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) भारतीय राजस्व सेवा के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों से अधिक समय से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/नगर निगम और उपक्रमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ख) प्रतिनियुक्ति पर वे किन पदों पर हैं तथा उन्हें कितना वेतन मिलता है तथा अपने मूल विभागों में वे किन पदों पर होते और उन्हें कितना वेतन मिलता ;

(ग) उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति का सेवा काल तीन वर्ष से अधिक बढ़ाया गया और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति के दौरान उनके वर्तमान पदों पर पदोन्नति मिली तथा उनकी पदावधि को कितनी अवधि के लिये बढ़ाया गया ; और

(ङ) क्या प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लेने वाले विभाग में मूल विभाग में उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपेक्षा कर के बड़े पदों पर इस प्रकार से पदावधि वृद्धि और नियुक्तियों से उनके वरिष्ठ अधिकारियों में असन्तोष उत्पन्न करती है और यदि हां, तो इस अनुचित प्रक्रिया को बन्द करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना नीचे प्रस्तुत है :— 25

(क) भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के उन अधिकारियों के बारे में एक विवरण-पत्र संलग्न है जो पिछले तीन वर्षों से अथवा इससे अधिक समय से राजस्व विभाग से बाहर संवर्गवाह्य पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

(ख) आपेक्षित सूचना अनुबन्ध के कालम (2), (4), (5) तथा (6) में दी गयी है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1311/77**] ।

(ग) प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों के कुछ पदों के कार्यकाल की निर्धारित अवधि चार साल से अधिक है और कुछ अन्य पदों के कार्यकाल की कोई अवधि निर्धारित नहीं है । कार्यकाल की अवधि बढ़ाने से संबन्धित कारण अनुबन्ध में प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने दिये गये हैं ।

(घ) अनुबन्ध में शामिल किये गये केवल दो अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति देने वाले विभागों में पदोन्नतियां मिली हैं । उनके बारे में विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) श्री आर० सी० मिश्र को 14-10-1973 को कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और उन्हें सितम्बर, 1976 से उसी

विभाग में अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अपर सचिव के पद का कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं है।

(ii) श्री एम० जी० माथुर, टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार सचिवालय, जेनेवा में अगस्त, 1964 में प्रतिनियुक्ति पर गये थे। टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार सचिवालय के अनुरोध पर श्री माथुर के कार्य काल की अवधि को 31 दिसम्बर, 1980 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) प्रतिनियुक्ति से संबंधित पदों के लिए अधिकारियों का चयन, संवर्ग प्राधिकारी द्वारा भेजे गये योग्य तथा इच्छुक अधिकारियों के पेनल में से सामान्यतः प्रतिनियुक्ति देने वाले कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रतिनियुक्ति देने वाले कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी के किसी उच्च पद पर पदोन्नत किये जाने के कारण, उसके मूल संवर्ग के अन्य वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के सम्भाव्य अवसरों पर कोई असर नहीं पड़ता। जब प्रतिनियुक्ति पर गया अधिकारी मूल संवर्ग में वापस आता है तो उसे संवर्ग में अपनी वरिष्ठता की स्थिति के अनुसार अपना स्थान लेना होता है और ऐसा करते समय उन पदोन्नतियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता जो उसे प्रतिनियुक्ति देने वाले विभाग में दी गई हो। अतः प्रतिनियुक्ति देने वाले विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी के पदोन्नति किये जाने के कारण उसके वरिष्ठ अधिकारियों में किसी प्रकार का असन्तोष फैलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जीरे के मूल्य में वृद्धि

3265. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साल के महीनों में जीरे के मूल्य दौगुने से अधिक हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं तथा उसके मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) हाल ही के महीनों (जून से नवम्बर) में जीरे के मूल्य में 40% व 60% के बीच वृद्धि हुई है।

(ख) जीरे के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि का कारण मुख्यतः इसके उत्पादन में काफी कमी होना कहा जा सकता है। वर्ष 1975-76 में इसके निर्यात में भी भारी वृद्धि हुई है। जीरे के मूल्य को बढ़ने से रोकने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

चालू वर्ष के लिये नया पूंजी निवेश

3266. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में बहुत कम नया पूंजी निवेश हुआ है और यदि हां, तो गत दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस दिशा में क्रियाशीलता लाने के लिये एक आई० सी० आई० की ओर से सरकार को कुछ सुझाव मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :: (क) जी, नहीं। निवेश के रुखों के उपलब्ध संकेतों से, चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छह महीनों में नए निवेश में कोई मंदी का पता नहीं चलता। अतः भारतीय औद्योगिक और विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) तथा भारतीय ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) द्वारा दी गई मिली-जुली स्वीकृतियां, जो अप्रैल–सितम्बर, 1975 में 251.47 करोड़ रुपए थीं 1976 और 1977 के तदनुरूप महीनों में बढ़कर क्रमशः 412.51 करोड़ रुपए और 538.56 करोड़ रुपए हो गई। इसी प्रकार इन संस्थाओं द्वारा किए गए भुगतान भी जो अप्रैल–सितम्बर 1975 में 149.35 करोड़ रुपए के थे, अप्रैल–सितम्बर, 1976 में बढ़कर 226.15 करोड़ रुपए तथा अप्रैल–सितम्बर, 1977 में और बढ़ कर 258.43 करोड़ रुपए के हो गए।

(ख) और (ग) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ (एफ० आई० सी० सी० आई०) में "आर्थिक प्रगति के लिए नीतियां" (पालिसी फार इकनामिक प्रोग्रस) नाम से हाल में एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें 1977-78 के बजट में लगभग सभी उद्योगों में निवेश के लिए दी गई छूट का स्वागत करते हुए यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि यह उपाय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। "परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागतों" को पूरा करने के लिए नए उद्यमों की सहायता करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :—

(i) उत्पादन शुल्क में दी जाने वाली छूट (रिबेट) को इस प्रकार से समायोजित किया जाना चाहिए ताकि नए उद्यम इसका उस सीमा तक लाभ उठा सकें जितनी मूल्यह्रास तथा ब्याज प्रभार में वृद्धि हुई हो ;

(ii) नए उद्यमों को जिनमें भारी पूंजी लगी है, इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज संबंधी सहायता दी जानी चाहिए अथवा उनसे कम दर पर ब्याज लिया जाना चाहिए ;

(iii) उद्योगों को, आयातित मशीनरी तथा उपस्कर के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क बाद में देने की अनुमति दी जानी चाहिए ;

(iv) अन्तर-निगम लाभाशों के संबंध में लिए जाने वाले कर में छूट दी जानी चाहिए ;

(v) निवेश की मात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

देश के लिए आर्थिक नीति का निर्धारण करते समय संस्थाओं तथा व्यक्तियों से प्राप्त विभिन्न सुझावों पर सरकार विचार करती है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज की अदायगी

3267. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास उसके ग्राहकों की बचत बैंक लेखों पर अर्द्ध-वार्षिक आधार पर ब्याज देने का प्रश्न उठाया है जैसा कि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में होता है ;

(ख) इस पर स्टेट बैंक आफ इंडिया का क्या उत्तर है;

(ग) यदि इस पर स्टेट बैंक आफ इंडिया ने कोई उत्तर नहीं दिया है तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) स्टेट बैंक में बचत बैंक खाता रखने वालों की संख्या कितनी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) वह सार्वधिकता जिसके आधार पर बैंक बचत खातों पर ब्याज लगाते हैं, बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। फिर भी, अर्द्धवार्षिक आधार पर बचत बैंक खातों पर ब्याज की अदायगी के प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ विचार किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि बचत खातों पर ब्याज की अर्द्धवार्षिक अदायगी की कार्यविधि को शुरु करने के वास्ते अनुमानित अतिरिक्त ऊपरी खर्चे को देखते हुए, तथा उसके बचत जमा पोर्टफोलियों में छोटे अधिशेषों वाले खातों की प्रधानता को देखते हुए जिसमें कि वार्षिक आधार पर लगाये ब्याज के कारण ब्याज की हानि नगण्य ही होती है, वह यह आवश्यक समझता है कि वर्तमान प्रथा को जारी रखा जाए।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक के पास चैक सुविधा प्राप्त तथा चैक सुविधा रहित लगभग 85 लाख बचत बैंक खाते हैं।

उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये आयात लाइसेंस

3268. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह ब ाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और चालू वर्ष में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिये कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) ये लाइसेंस किन फर्मों को जारी किये गये हैं और वे कितने-कितने मूल्य के हैं; और

(ग) इन लाइसेंसों का किस सीमा तक उपयोग नहीं किया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) केवल उपभोक्ता माल के ही नहीं, बल्कि सभी आयात लाइसेंसों के ब्यौरे "वीकली बुलेटिन आफ लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंस" में प्रकाशित किये जाते हैं। इस बुलेटिन की एक प्रति नियमित रूप से संसद् पुस्तकालय को भेजी जाती है।

(ग) सरकार द्वारा आयात लाइसेंसों के उपयोग के बारे में जानकारी संकलित नहीं की जाती।

दिल्ली-नागपुर-मद्रास और मद्रास-नागपुर-दिल्ली के लिये विमान सेवा की मांग

3269. **श्री श्रीधर राव नाथोबाजी जावदे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–नागपुर–मद्रास और मद्रास–नागपुर–दिल्ली के लिये विमान सेवा जारी रखने की मांग को और महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी के रूप में नागपुर के महत्व को बनाये रखने सम्बन्धी सरकार की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उपरोक्त विमान सेवा को बिना विलम्ब आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) 2 नवम्बर, 1977 से, नागपुर के मार्ग से दिल्ली तथा मद्रास के बीच की सेवा आई० सी०–439/440, सप्ताह में चार दिन दिल्ली तथा मद्रास के बीच सीधे परिचालन कर रही है तथा शेष तीन दिन नागपुर से होते हुए। वहां से यात्रा करने वाले बहुत कम यातायात को दृष्टि में रखते हुए, नागपुर–मद्रास लिंक को दिसम्बर, 1977 के अंत से लागू होने वाली प्रस्तावित समयावली में बंद किया जा रहा है। परंतु इसके साथ-साथ ही नागपुर को दिल्ली-हैदराबाद–नागपुर सैक्टर पर बोइंग–737 विमान से परिचालित की जाने वाली सेवा से दैनिक आधार पर दिल्ली तथा हैदराबाद के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

EVASION OF INCOME TAX AND SALES TAX BY NAVEEN ENGINEERING WORKS, AMRAVATI, MAHARASHTRA

3270. SHRI LXMAN RAO MANKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether letters have been sent to the Central Government, State Ministers and Finance Department on the 5th and 16th September, 1977 in regard to evasion of about 6 lakhs of rupees of income tax and 75 thousand rupees of sales tax by the Naveen Engineering Works, Amravati, Maharashtra from 1963 to 1967 by maintaining false accounts;

(b) whether action has not been completed in this regard even after the case was brought to the notice of the concerned officers during 1969-70; and

(c) the names of the persons responsible therefor and the action taken against them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) to (c) A letter dated 16th September, 1977 from Shri Laxman Rao Mankar, M.P. forwarding complaints alleging tax evasion by M/s Naveen Engineering Works has been received. Similar complaints were received earlier also.

Action taken by the Income-tax Department is as follows :—

"The relevant assessments of M/s Naveen Engineering Works for the assessment years 1965-66 to 1969-70 were completed making additions of Rs. 1.6 lakhs utilising the available information. These assessments except for the assessment year 1969-70 are disputed in appeal before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax."

Another complaint received by the Sales-tax Wing of this Department was forwarded to the Maharashtra Government for necessary action as the levy of tax on sales or purchases effected inside a State is a State subject of taxation vide entry 54 in List II of the Seventh Schedule of the Constitution. The administration of Central Sales-tax levied on inter-State sale of goods has also been entrusted by law to the sales-tax authorities of the State.

अनिवार्य जमा योजना की दूसरी किश्त

3271. **श्री मोहनलाल पिपिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की दूसरी किस्त के भुगतान के बारे में सरकार ने आदेश जारी किये थे, यदि हां, तो यह आदेश कब जारी किये थे; और

(ख) वित्त मंत्रालय के अधीन किन कार्यालयों में कर्मचारियों को अभी तक इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है और इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दूसरी किस्त का भुगतान (उनके भविष्य निधि खातों में जमा करने की बजाय जैसा कि सरकार ने पहले निश्चय किया था) नकद करने के आदेश विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को 22 जुलाई, 1977 को जारी कर दिये गये थे ।

(ख) सरकार द्वारा अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय और इसके अधीन विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमा रकमों की दूसरी किस्त के रूप में 163.30 लाख रुपए की रकम में से 156.87 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है । इस प्रकार कुल 96 प्रतिशत रकम का भुगतान कर दिया गया है । भुगतान का काम व्यय विभाग (सरकारी उद्यम कार्यालय सहित), आर्थिक कार्य विभाग और राजस्व विभाग में लगभग पूरा हो चुका है । जिन कार्यालयों में शतप्रतिशत भुगतान का काम पूरा नहीं किया जा सका उनमें मुख्यत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (राजस्व विभाग के अधीन) और आर्थिक कार्य विभाग के कुछ अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं । इन कार्यालयों में भुगतान का काम प्रगति पर है ।

माल भेजने के लिए कर लगाने पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव

3272. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों से इस आशय के कोई प्रस्ताव मिले हैं कि उनके राज्य से बाहर भेजे जाने वाले माल पर कर लगाये जाने चाहिये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून बनाने के विचार से राज्य सरकारों को अपने विचार भेजने के लिये परिपत्र भेजे हैं; और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एम० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) कुछ राज्य सरकारों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि किसी एक राज्य में स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मुख्यालय अथवा प्रधान अन्य राज्य में स्थित अपनी शाखा अथवा एजेंट को कंसाइलमेंट ट्रांसफर अथवा माल के अंतरण के रूप में माल भेजकर केन्द्रीय बिक्रीकर का अपवंचन करते हैं । इसलिए राज्य सरकारों ने सुझाव दिया था कि इस प्रकार भेजे गये माल पर कंसाइनमेंट कर लगाया जाये ।

(ग) तथा (घ) विधि आयोग ने इस मामले की जांच की थी और आयोग ने कहा है कि यदि कंसाइनमेंट कर लगाना हुआ तो संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे। संविधान संशोधन विधेयक का एक प्रारूप राज्य सरकारों को उनकी राय जानने के लिए परिचालित किया गया है; इस प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त प्रायोजना के लिए संशोधन भी शामिल हैं। अधिकांश राज्य सरकारों की राय प्राप्त हो गयी है और इस राय को दृष्टि में रखते हुए इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

DEMANDS MADE BY PROPRIETORS OF GROUNDNUT SOLVENT EXTRACTION PLANTS

3273. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether new proprietors of groundnut solvent extraction plants have sought permission to export groundnut extractions-de-oiled cakes during October, 1977 if so, their demands;

(b) the quantity of de-oiled cakes permitted or proposed to be permitted to be exported by these new proprietors during the period from October, 1977 to December, 1977 and as well as during the year 1978;

(c) the names of those new proprietors who sought permission along with the names of those to whom permission has been given and the dates on which they were so permitted; and

(d) the action proposed to be taken by Government to encourage those new proprietors ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) to (d) Representations were received on behalf of new solvent extraction units requesting for allocation of a specific quota of groundnut extractions for export by them as they were not getting allocation on the basis of past exports. It has been decided to earmark 10% of the *ad hoc* quota of 2.5 lakh tonnes released for export in 1977 against the final ceiling for 1978 for the new units. The canalising agency has been asked to administer the quota ceiling including the reserved quota. New solvent extraction units would be able to process items other than groundnut extractions and it is hoped that they would have sufficient opportunity to utilise their installed capacity.

ADVERTISEMENT MADE BY BANK OF RAJASTHAN LIMITED FOR MAKING APPOINTMENTS ON CERTAIN POSTS

3274. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Bank of Rajasthan Limited issued advertisement in 1974 for making appointments on certain posts and prepared a panel of 81 candidates after holding an examination; and

(b) the justification in scrapping the panel without appointing 13 candidates already in the panel, though posts were vacant there for appointment ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b). The Bank of Rajasthan Limited is a private sector bank. Recruitment to the posts of officers/clerks in a private sector bank is entirely the bank's internal administrative matter. The Reserve Bank of India look into the matters relating to recruitment in a private sector bank only if any deficiencies are observed in the system of recruitment.

भारत को कनाडाई सहायता

3276. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 12 नवम्बर, 1977 के 'इकानोमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय का समाचार पढ़ा है कि कनाडा भारत के लिये निर्धारित 93 लाख डालर की

सहायता की के कुछ भाग को सहायता की राशि का उपयोग न किये जाने के कारण किसी अन्य 'ऐशियाई' देश को दे सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह रिपोर्ट उस इंटरव्यू पर आधारित प्रतीत होती है जो एक समाचार पत्र के प्रतिनिधि ने कनाडा उच्चायोग के किसी अधिकारी से लिया था । हमें कनाडा उच्चायोग से पता चला है कि इस रिपोर्ट में दिया गया बयान कनाड़ा सरकार की विकास संबंधी नीति का द्योतक नहीं है और कनाडा उच्चायोग के अधिकारी के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए सुविधाएं

3277. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की रुचि के प्राकृतिक सौन्दर्य वाले, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों की बहुतायत है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों का पता लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश-विदेश में विज्ञापनों द्वारा विदेशी तथा आंतरिक पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ओर ध्यान दिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) औसत पर्यटकों के लिये हिमाचय प्रदेश में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां;

(ख) हिमाचल प्रदेश में कोई पर्यटन सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, विकास के लिये पर्यटक रुचि के स्थानों का निर्धारण कर लिया गया है ।

(ग) साधनों की तंगी के कारण पर्यटन विभाग विदेशों में देश के पर्यटक आकर्षणों का समग्र रूप से ही प्रचार करता है । इसी प्रकार देशीय पर्यटकों के उपयोग, के लिये विशिष्ट कार्य-कलापों/घटनाओं के प्रचार के लिये एक सीमित आधार पर विज्ञापन दिये जाते हैं । इस प्रकार यद्यपि किसी राज्य विशेष के बारे में कोई विशिष्ट प्रोत्साहन कार्य नहीं किया जाता, तथापि यह कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटक आकर्षणों का फोल्डरों, पोस्टरों और डाक्यूमेंटरी फिल्मों जैसी पर्यटन प्रचार सामग्री के माध्यम से व्यापक रूप में प्रचार किया जा रहा है ।

(घ) पांचवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिये निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं :—

1. डलहौजी में एक युवा होस्टल ।
2. धर्मशाला में एक पर्यटक बंगला ।
3. गोविन्द सागर झील की सैर के लिये दो मोटर लोंच ।

मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास के लिये पंचवर्षीय वृहद् योजना

3278. **श्री सुरेन्द्र विक्रम:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास के लिये पंचवर्षीय वृहद् योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त हुई, 'पर्स्पेक्टिव प्लान' की जांच की जा रही है।

राज्यों में 'मानीटरिंग' पद्धति

3279. **श्री पी० राजगोपाल नायडू:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे एक मानीटरिंग पद्धति का विकास करें जिसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के उतार-चढ़ाव के बारे में जिलों से समय-समय पर प्रतिवेदन मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें उपयुक्त पद्धति का विकास कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) 30 जुलाई, तथा 31 जुलाई, 1977 को हुए राज्यों को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि वे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता के बारे में मानीटरिंग पद्धति का विकास करने के बारे में विचार कर सकते हैं।

(ख) सभी राज्य मूल्यों के आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और उन्हें साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय को भेज रहे हैं। कुछ राज्य जिलों से भी नियमित रूप से मूल्यों के आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। अधिकांश राज्यों में नागरिक पूर्ति विभाग आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के उतार-चढ़ाव और उनकी उपलभ्यता पर नजर रख रहे हैं।

CHEATING OF STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR, MUZAFFARNAGAR, U. P.

3280. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a Director of Maruti Ltd. and the former Chairman of Meerut Municipal Corporation, Shri Vidya Bhushan took an amount of Rs. 45 lakhs from the State Bank of Bikaner & Jaipur, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh by cheating the bank in the name of steel plant and purchased shares of Maruti factory for Rs. 22 lakhs, out of this amount; and

(b) if so, the action taken by Government to enquire into this bungling and punish the guilty persons ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b). The State Bank of Bikaner & Jaipur has reported that M/s Rainbow Steel Ltd. of Muzaffarnagar, of which Shri Vidya Bhushan is Chairman and which has

working capital arrangements with the bank, has cheated the Muzaffarnagar branch of the bank by disposing of stocks pledged/hypothecated to it and by unauthorised delivery of goods without retirement of bills. This fraud was detected by the new Manager while taking charge of the branch. The bank has reported that though the Chairman of the company who was asked to explain the shortage has stated that this diversion was for the purpose of payment towards the cost of a Thermal Power Plant acquired by the Company, it is not in a position to specifically confirm this statement. The bank has also reported that it has already taken certain steps to strengthen its security. The Chief Vigilance Officer of the bank who had investigated into the matter is reported to be of the view that the irregularities could not have occurred without the connivance of the staff. The bank has, therefore, suspended the then Branch Manager and four other employees. The bank has also handed over the case to CBI for investigation.

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा विनिमयकर्त्ता

3281. **प्रो० दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एजेंसियों को विदेशी मुद्रा विनिमयकर्ताओं के रूप में परमिट देने की नीति क्या है ;

(ख) क्या यह नीति है कि मुद्रा विनिमयकर्ता के रूप में किसी गैर-सरकारी एजेंसी को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो हमारे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यह कार्य करने की गैर-सरकारी एजेन्सियों को अनुमति क्यों दी जाती है ; और

(घ) क्या इस नीति को अन्य हवाई अड्डों पर भी लागू किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (घ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो चारों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों का प्रबंध करता है की नीति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पर मुद्रा विनिमयकर्ता (मनी चेंजर) के रूप में कार्य करने के लिए यथासंभव केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों को ही लाइसेंस दिया जाए अन्य एयर-पोर्टों पर भी जहां ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; इसी नीति का अनुसरण किया जाता है ।

(ग) केवल बम्बई एयरपोर्ट पर ही, भारतीय स्टेट बैंक के अलावा एक प्राइवेट पार्टी भी मुद्रा विनिमय सुविधाएं प्रदान करती है। बम्बई एयरपोर्ट पर भी प्राइवेट पार्टी के पट्टे (लीज) को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । ताकि केवल भारतीय स्टेट बैंक ही सभी चारों एयरपोर्टों पर मुद्रा विनिमयकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करें ।

दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के एयरपोर्टों पर, केवल भारतीय स्टेट बैंक ही मुद्रा विनिमय सुविधाएं प्रदान करता है ।

पंजाब नेशनल बैंक की मऊ छावनी शाखा द्वारा ऋण देने के बारे में शिकायतें

3282. **श्री डा० सुब्रहमण्यम स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पंजाब नेशनल बैंक की मऊ शाखा छावनी द्वारा मैसर्स हरदेव मोतीलाल एण्ड संस को कई लाख रुपयों का ऋण दिए जाने के बारे में शिकायत का पता है हालांकि रीजनल मैनेजर यह जानता था कि उस पार्टी ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया और यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दिये गये ऋणों का वापस भुगतान नहीं किया है;

(ख) उस शिकायत की सचाई क्या है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि जून और जुलाई, 1977 मास में मैसर्स हरदेव मोती लाल एण्ड संस और उनसे सम्बद्ध कन्सर्नों ने, जो कि उसकी मऊ छावनी शाखा के साथ कारोबारी सम्बन्ध रखती थीं, जाली मोटर परिवहन रसीदों को भुगा कर, जिनपर कि वास्तव में माल भेजा नहीं गया था, बैंक के साथ बिल खरीद खातें में धोखा धड़ी की थी। बैंक ने आगे सूचित किया है कि उसकी 26 जुलाई, 1977 को इस धोखे का पता चला और बैंक के हित की सुरक्षा के लिये शीघ्र ही कार्रवाई की गयी। बैंक ने यह भी बताया है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक को पहले से इस बात का पता नहीं था कि यह पार्टी भारतीय स्टेट बैंक तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया को धोखा दे चुकी है। और इसका पता भी उसी समय चला जब पंजाब नेशनल बैंक में ही यह धोखा पकड़ में आया।

बैंक आफ इंडिया और आंध्र स्टील कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता के बीच विवाद

3283. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उत्पादक कारखानों और मिलों के वित्तपोषण के बारे में बैंक आफ इण्डिया और आंध्र स्टील कारपोरेशन लि० कलकत्ता के बीच विवाद चल रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद का ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या इस विवाद के कारण कम्पनी ने अपना यूनिट बन्द कर दिया है जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं।

(घ) क्या कम्पनी के बोर्ड और प्रबन्ध समिति में बैंक के सभी मनोनीत निदेशकों ने इस बीच त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बैंक के भारी पूंजी निवेश को वसूल करने, यूनिटों को चलाने तथा चल रहे विवाद को सुलझाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा हैं तथा बैंक ने कितनी पूंजी लगाई हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ) यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा दिल्ली में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में सम्मेलन

3284. **डां० बापू कालदाते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि '

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधीन नई दिल्ली में बड़ी संख्या में होटलों को वर्ष 1976 और जनवरी से मार्च 1977 तक सार्वजनिक संस्थाओं को अपने सम्मेलन अथवा बैठकें करने के लिये दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन होटलों का उपयोग किया; और

(ग) होटलों के परिसरों के उपयोग के लिये प्रत्येक संस्था ने कितना कितना किराया दिया ?

पर्यटक और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : अपने व्यापार के रूप में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल संस्थाओं सरकारी कम्पनियों, निजी सैक्टर की कम्पनियों, मंत्रालयों, एसोसिएशनों, व्यापार निकायों, राजदूत आदि सहित विभिन्न पार्टियों को सम्मेलन/बैठक संबंधी सुविधाएं ,किराये पर देते हैं ।

(ख) और (ग) : सूचना संलग्न विवरण में दे दी गयी हैं । **ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० पी० सं० 1312/77)**

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा 1975 और 1976 में व्यापार मेलों में भाव लेना

3285. **श्री बालक राम:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और 1976 के दौरान समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किन व्यापार मेलों में भाग लिया;

(ख) क्या सम्बद्ध अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या जो सुझाव दिये गये थे और कमियां बताई गई थी उन पर कोई कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो क्या इस सम्बन्ध में लापरवाही के लिये उत्तरदायी निर्धारित करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) एक विवरण अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जो सुझाव कार्यान्वित करने योग्य थे उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है । जिन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर कार्यवाही की गई वे ये हैं; महत्वपूर्ण मेलों में बार बार भाग लेना, उस देश की भाषा में प्रचार साहित्य प्रकाशित करना जिसमें मेला आयोजित होता है, टोकियो में एक व्यापार संवर्धन कार्यालय की मंजूरी देना, प्रदर्शन सामग्री भेजने में सावधानी बरतना तथा पश्चिम यूरोप में एक विदेशी कार्यालय खोलने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही आरंभ करना ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

अनुबन्ध 1

1975

1. तीसरी अन्तर्राष्ट्रीय हिम शीतित खाद्य उद्योग प्रदर्शनी, टोकियो (जापान) जून 3–7, 1975 ।
2. ब्रसेल्स खाद्य तथा घरेलू उपस्कर व्यापार मेला, 1975, ब्रसेल्स (बेल्जियम) अक्तूबर 4–19, 1975 ।
3. अनुगा मेला 75, कोलोहन (पश्चिम जर्मनी) सितम्बर 13–18, 1975 ।

1976

1. रोका '76 अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेला, यूटरेज (नीदरलैंड) फरवरी 16–20, 1976।
2. चौथा अन्तर्राष्ट्रीय हिम शीतित खाद्य उद्योग, प्रदर्शनी, टोकियो (जापान) जून 15–19, 1976।
3. इकोफा मेला "76 (पश्चिम जर्मनी) सितम्बर 16–22, 1976।
4. ब्रसेल्स खाद्य तथा घरेलू उपस्कर व्यापार मेला, 1976, ब्रसेल्स (बेल्जियम) अक्तूबर 2–17, 1976।
5. सीएल मेला, पैरिस (फ्रांस) नवम्बर 15–20, 1976।

SCHEME TO PROVIDE JOBS FOR UNEMPLOYED TRAINED PILOTS

3286. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of trained pilots unemployed in the country; and

(b) whether Government propose to formulate a scheme to provide them jobs ?

THE MINITER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) There are about 200 unemployed trained pilots in the country at present.

(b) The following steps have already been taken by Government to assist the unemployed commercial pilots in securing employment :

(i) Rules for direct recruitment to the post of Assistant Aerodrome Officer in the Civil Aviation Department have been amended to make unemployed Commercial Pilots eligible for employment. 72 such unemployed pilots have so far been appointed as Assistant Aerodrome Officer as a result of this step.

(ii) Indian Airlines, Air India and International Airports Authority of India have also been advised to utilise these unemployed Commercial Pilots wherever possible.

(iii) Ministry of Agriculture would consider unemployed commercial pilots for conversion training for crop spraying operations. That Ministry have also recently created 19 posts of Field Officer for this purpose.

(iv) State Government have also been requested to give consideration to C.P.L. holders for employment under them wherever possible.

(v) In the matter of ensuring recruitment to the post of pilots, relaxation of age-limit will be given by Indian Airlines to un-employed commercial pilots in deserving cases.

RISE IN THE PRICES OF CASHEWNUTS AND WALNUTS

3287. SHRI RAM LAL RAHI : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the prices of cashewnuts and walnuts at national level have gone up two-fold the prices in 1973-74 and 1974-75;

(b) if so, the facts in this regard;

(c) whether factors like lower production, general price rise are responsible therefor; and

(d) whether Government propose to augment cashewnut and walnut production in the country and the measures being taken for the development thereof as also the steps taken so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) & (b) There has been a spurt in the prices of cashewnuts and walnuts over the prices prevailing in 1973-74 and 1974-75. The details are given in Annex-I. [Placed in Library. *See* No. LT-1313/77]

(c) No official estimates about the producton of cashewnuts and walnuts are available. The general rise in prices may have to some extent been responsible for increase in the prices of these commodities.

(d) Government has formulated programmes for the development of cashewnuts and walnuts, details of which are given in Annex-II. [Placed in Library. *See* No. LT-1313/77]

जिस विमान में मंत्री और जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उनके केबिन से धुआं निकलना

3288. **श्री पी० के० देव:** क्या **पर्यटन और नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस विमान से उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज और जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर दिल्ली से पटना जा रहे थे उनके केबिन से धुआं निकलने के क्या कारण थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : जिस विमान में उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नांडीज़ तथा जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर दिल्ली से पटना की यात्रा कर रहे थे, उसके केबिन से कोई धुआं नहीं आ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि डि-प्रैशराइज़ेशन के कारण जमे हुए वाष्प (moisture) को ही धुआं समझ लिया गया था।

चाय का निर्यात

3289. **श्री के० बी० चेतरी:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चाय के निर्यात में वृद्धि करने का नहीं है; और

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख) : सरकार की यह सुनिश्चित करने की कोशिश रहती है कि घरेलू खपत के लिए हर समय और उचित दामों पर पर्याप्त मात्रा में चाय उपलब्ध हो सके। आन्तरिक खपत के लिये मांग का अनुमान लगाने के बाद, इस वर्ष निर्यात के लिए चाय की मात्रा 22.50 करोड़ कि० ग्रा० निश्चित की गई है। चाय की थैलियोंई, इंस्टेंट चाय तथा पैकेट वाली चाय जैसी मूल्य वर्धित मदों का निर्यात करके चाय से अपनी निर्यात आय बढ़ाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं का एकाधिकार वितरण जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांग की गई है।

3290. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे देश में जन-साधारण की पहुंच की दम आवश्यक वस्तुओं के एकाधिकार वितरण पर विचार कर रही है जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांग की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

IMPORT OF EDIBLE OIL

3291. SHRI RAGHAVJI : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the quantum of edible oil imported during the period from 1-4-77 to 30-10-77 and the names of persons through whom it was imported indicating the quantity separately;

(b) the average purchase price of these imported edible oil F.O.B., Bombay; and

(c) the quantity of edible oils in tons for which licences have already been issued but against which oils have not been received so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) A statement showing the quantity of edible oils actually imported during April 77 to June 77 is laid on the Table of the House. Data beyond June, 1977 is not yet available. These statistics are maintained by commodities/Countries and not according to individual importers.

(b) The actual import statistics are recorded on C.I.F. basis for the country as a whole. Hence, separate figures for Bombay are not available. However, the average unit value (c.i.f. basis) for each type of edible oil is laid on the Table of the House.

(c) Licences for the import of edible oils are issued on the basis of value and not quantity. Data on the extent of utilization of individual licences are also not maintained.

STATEMENT

(a) *Quantity of edible oils imported during April 1977 to June 1977.*

Edible Oils	*Quantity* (Thousand Kilograms)
Palm oil	40113
Coconut oil	956
Soyabean oil	72208
Rapeseed oil	64618
Groundnut oil	491
TOTAL	178386

(b) *Statement showing average unit value of edible oils improved during April 77 to June 77.*

Edible Oil	*Average Unit Values* (CIF basis) Rs. per kg.
Palm oil	5.27
Coconut oil	6.48
Soyabeen oil	5.11
Rapeseed oil	5.49
Groundnut oil	7.99

Note :Figures are provisional and subject to revision.

TREASURE RECOVERED IN JAIPUR FROM JAIGARH AND MOTI DOONGARI

3292. SHRI RAM NARESH KUSHWAH : Will the Minister OF FINANCE be pleased to state :

(a) the reasons why the treasure recovered in Jaipur from Jaigarh and Moti Doongari etc. was not deposited or was deposited in short quantity;

(b) the place where the remaining treasure has been kept;

(c) the persons responsible therefor; and

(d) the action taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (d) Excavations for locating 'hidden treasure' were undertaken only at Jaigarh Fort. This was done during the period June November, 1976. No treasure was found.

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल का संकट

3293. **श्री शिवाजी पटनायक**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि मूल्य नियन्त्रण आदेश जारी होने के पश्चात् से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) इस बात की रिपोर्ट मिली हैं कि 30-9-1977 के सरसों का तेल (कीमत नियन्त्रण)

आदेश 1977 द्वारा निश्चित किए गए 10 रुपए प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर सरसों का तेल उस समय उपलब्ध न था। जबकि उसकी वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही थी।

(ख) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। राज्य सरकारों की मांग के अनुसार 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम के अन्तिम खुदरा मूल्य पर बदल तेल के रूप में परिष्कृत रेपसीड तेल की मांग पूरी करने की व्यवस्था की गई है।

OPENING OF BRANCHES OF NATIONALISED BANKS IN RURAL AREAS

3294. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA
SHRI RAMESHWAR PATIDAR
SHRI PHOOL CHAND VERMA } Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme for opening branches of nationalised banks in rural areas;

(b) if so, the criteria for selecting places for opening the branches; and

(c) the number of branches proposed to be opened during the next three years ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The public sector banks have been advised to strengthen their branch network in the rural areas. Towards this end, the Reserve Bank of India require the commercial banks to open 4 offices at unbanked rural centres to become entitled to open two branches—one each at a metropolitan centre and another banked centre.

In view of the need for rural development and removal of regional imbalances, a Committee has been appointed by the Reserve Bank of India to assess the present pattern of branch expansion of public sector banks and to suggest future course of action. The report of the Committee is awaited.

(b) While selecting places for branch opening, banks have been advised to give priority to centres in unbanked areas, unbanked block headquarters and unbanked centres in districts where the population coverage of rural and semi-urban branches is relatively poor. Within these priorities, banks assess the availability of infra-structural facilities. growth potential, particularly potential for agricultural lending in the surrounding areas etc. before deciding upon the precise locations of their rural branches.

(c) Branch expansion is undertaken by the banks on the basis of 3-year rolling plans, firm plan being available only for the first year. Firm plans for 1978 are yet to become available. However, the Reserve Bank of India have reported that as at the end of September, 1977, licences/allotments for opening 2333 rural offices were pending with the banks.

भारत मूल के व्यक्तियों के लिये व्यक्तिगत सामान नियमों का उदार बनाना

3295. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यक्तिगत सामान जो कि भारत मूल का व्यक्ति एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष के पश्चात् वापस भारत आने पर अपने साथ ला सकता है; सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत मूल के व्यक्तियों के भारत वापस आने पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उनके लिए जो अनावश्यक कठिनाइयां पैदा की जाती हैं उन्हें दूर करने के लिए नये नियम किस तिथि से लागू किये जाने हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों और उनके असबाब को शीघ्र निकासी के उपायों की जांच करने तथा उनके बारे में सिफारिश करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। असबाब नियमों में संशोधन, ढील देने और सरलीकरण के बारे में उसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इन सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा।

EXPORT OF COTTON

3296. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cotton was exported from the country last year; and

(b) if so, the country-wise value of the cotton together with the rate at which it was exported to each ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय हवाई अड्डों पर विमान अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

3297. **श्री यशवन्त बोरोले**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं कि विमान अपहरण की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए विमान अपहरणकर्ता भारतीय हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमान में न बैठ सकें।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : यद्यपि किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट उपायों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा, तथापि अपहरण से सुरक्षा संबंधी ऐसे वर्तमान उपायों को कड़ा कर दिया गया है जैसे परिचालन क्षेत्रों के प्रवेश स्थलों का नियंत्रण, यात्रियों की शारीरिक तलाशी तथा उनके हाथ के सामान की छानबीन, बोर्डिंग वार्डों पर स्टैम्प लगाने में अधिक सावधानी एव चौगिर्दी परिसीमा की पर्याप्त सुरक्षा इयादि।

COMPULSORY DEPOSIT SCHEME

3298. SHRI SUSHIL KUMAR DHARA : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount of money Government had to pay to employees etc. after scrapping the Compulsory Deposit Scheme;

(b) the reaction of employees to the appeal made by Government that the employees should invest maximum amount of Compulsory Deposits in Government new bonds carrying 13 per cent interest and the value of bonds actually purchased by the employees; and

(c) how the market prices reacted following the release of amount by Government on account of scrapping of Compulsory Deposit Scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA): (a) Because of the decision of the Central Government to discontinue impounding of half of the additional dearness allowance under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 with effect from 6th May, 1977, the amount released from future impounding in favour of employees is estimated at around Rs. 50 crores per month. However, in so far as repayment of compulsory deposits already made by employees under the Act is concerned, this is to be made in five equal annual instalments in the manner prescribed under the Act. The total amount (towards principal) due for repayment in the current financial year by way of third instalment of additional wages deposits and the second instalment of additional dearness allowance deposits is approximately Rs. 232 crores.

(b) Reference, presumably, is to the National Development Bonds introduced on 31st August, 1977 which have yielded a total collection of about Rs. 7.5 crores upto 15th October, 1977. As investment in these Bonds is open to the general public and is *not* confined to the employees covered by the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974, no separate statistics as to the investment made by the employees in these Bonds are available. It is not therefore possible to assess the degree of response to the Scheme from the employees.

(c) Several forces on the supply and demand sides simultaneously operate in the economy and influence the price behaviour. It is, therefore, difficult to assess the impact on the market prices of only one factor, namely, discontinuance of compulsory deductions and repayment of deposits under the Act.

दिल्ली से मद्रास और मद्रास से दिल्ली के लिये बिना रास्ते में रुकने वाली उड़ानें

3299. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् सदस्यों तथा जनता के अन्य प्रतिनिधियों से दिल्ली से मद्रास और मद्रास से दिल्ली के लिए बिना रास्ते में रुकने वाली उड़ान को फिर से चालू करने के बारे में प्राप्त हुये अभ्यावेदनों पर इस बीच कार्यवाही पूरी कर ली है ;

(ख) हैदराबाद तथा नागपुर पर उड़ानों को रोकने के कारण अब तक कितनी हानि हुई है; और

(ग) दिल्ली से मद्रास और मद्रास से दिल्ली के लिए बिना रास्ते में रुकने वाली उड़ान को सरकार द्वारा कब तक चालू करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली / नागपुर/ मद्रास उड़ानों के परिचालनों के पहले दो महीनों यानि जुलाई और अगस्त, 77 में 1976 की इसी अवधि के मुकाबले में अनुमानित लाभप्रदत्ता कुछ थोड़ी सी कम थी। इस सेवा की लाभप्रदत्ता में सितम्बर, 1977 में सुधार हुआ और इस अवधि में यह सितम्बर, 1976 के मुकाबले में कुछ थोड़ी सी अधिक थी। मद्रास/ हैदराबाद/ दिल्ली सेवा हमेशा ही हैदराबाद के मार्ग से परिचालित की जाती रही है और इसके कारण इसके परिचालन में कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) 2 नवम्बर, 1977 से इंडियन एयरलाइन्स ने सप्ताह में चार दिन अर्थात् सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार के लिये दिल्ली/मद्रास/ दिल्ली की सीधी उड़ान चालू कर दी है। बाकी तीन दिन यह उड़ान नागपुर के मार्ग से ही परिचालित की जाती रहेगी।

बम्बई हाई परियोजना के लिये वार्डले बैंक से ऋण

3300. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम
श्री डी० डी० देसाई } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई परियोजना के लिए वार्डले बैंक के साथ 500 लाख यूरोपीय डालर के ऋण के बारे में कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के सिंडीकेट के साथ जिसमें वार्डले ग्रुप भी शामिल है, 5 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण के लिए एक करार किया है।

(ख) इस ऋण करार पर 7 नवम्बर, 1977 को हस्ताक्षर किये गये थे। यह ऋण सात वर्षों में चुकाया जाएगा जिसमें तीन वर्ष की रियायती अवधि शामिल है। ब्याज की दर लंदन की अन्तर्बैंक प्रस्तावित दर से 1 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा बैंकों द्वारा सामूहिक रूप से दी जाने वाली रकम पर आधे प्रतिशत की दर से एक•बार में प्रबन्ध शुल्क देना होगा और न निकाली गई रकम पर आधे प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क भी देना होगा। इस ऋण के लिए गारंटी भारत सरकार ने दी है।

पत्तनों तथा रेलवे यार्ड के गोदामों में दावे रहित खाद्य तेल

3301. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वाणिज्यक तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पत्तनों तथा रेलवे यार्डों के गोदामों में विगत दो मासों से दावे-रहित पड़े खाद्य-तेल की कुल मात्रा कितनी है; और

(ख) ऐसे दावे-रहित खाद्य तेल की कुल कितनी मात्रा राज्यों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की गई है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एयर लाइन्स पायलट्स एसोसियेशन के अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा की गई अपील

3302. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री नटवरलाल बी० परमार } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों में विमान अपहरण की हो रही घटनाओं की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोई चर्चा हुई थी;

(ख) क्या एयरलाइन्स पायलट्स एसोसिएशन के अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने भी इस बारे में कोई अपील की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इंटरनेशनल फेडरेशन आंफ एयरलाइन्स पायलट्स एसोसिएशन ने निर्णय किया कि अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा विमान अपहरण को रोकने के लिये पारित किये गये अभिसमय (convention) को लागू करने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन को तत्काल बुलाने के एसोसिएशन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती तो 25 अक्तूबर के 12.00 बजे (जी० एम० टी०) से वाणिज्यिक उड़ानें 24 घंटे की अवधि के लिये विश्व व्यापी

6—988LSS/77

स्तर पर रोक दी जायेंगी। तदुपरांत, इस आवेदन के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू अधिवेशन की कार्यसूची में एक अतिरिक्त मद, अर्थात् 'अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन की सुरक्षा' शामिल कर ली गयी । अब इस विषय पर एक संकल्प (Resolution) सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न।

विवरण

संकल्प

संयुक्त राष्ट्र महासभा,

यह स्वीकार करते हुए कि परिचालन (आपरेशन) की सुरक्षा को गारंटी प्रदान करने वाली स्थितियों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सिविल हवाई यात्रा का सुचारु रूप से संचालित होना सभी लोगों के हित में है और राज्यों के बीच मैत्री पूर्ण संबंध बनाए रखता है ;

25 नवम्बर, 1970 के अपने संकल्प 2645 (XXV) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि विमान सेवा के अपहरण (हाईजैकिंग) के कार्य अथवा सिविल विमान यात्रा में अनुचित हस्तक्षेप, यात्रियों और विमान चालकों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल देते हैं और उनके मानवीय अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं ;

अपने 12 दिसम्बर, 1969 के पूर्ववर्ती संकल्प 2551 (XXIV) और साथ ही 9 सितम्बर, 1970 के सुरक्षा परिषद के संकल्प 286 (1970) और 20 जून, 1972 के सुरक्षा परिषद् के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए :—

(1) विमान अपहरण के कार्यों अथवा बल प्रयोग या धमकी द्वारा विमान सेवा यात्रियों में हस्तक्षेप करने के कार्यों की तथा हिंसा के ऐसे सभी कार्यों की, जो यात्रियों, विमानचालकों और विमान के विरुद्ध किन्हीं व्यक्तियों अथवा राज्यों द्वारा किए जाते हों, पुनः पुनः प्रबल रूप से भर्त्सना करती है।

(2) सभी राज्यों से अनुरोध करती है कि वे उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट प्रकार के कार्यों की रोकथाम के लिए, जिनमें हवाई अड्डों पर अथवा एयरलाइनों द्वारा सुरक्षा प्रबंधों में सुधार तथा साथ ही साथ प्रासंगिक सूचना का आदान प्रदान भी शामिल है, संयुक्त राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन और संयुक्त राष्ट्र की संबंधित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठायें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा संयुक्त राष्ट्र को तत्संबंधी घोषणाओं; रीतियों और संकल्पों में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बरतते हुए किसी राज्य की प्रभुसत्ता या क्षेत्रीय अखडता पर आक्षेप किए बिना तथा संयक्त राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के सहयोग से यह सुनिश्चित करते हुए कि सिविल विमानन में कार्यरत यात्रियों, विमानचालकों और विमान का प्रयोग किसी भी प्रकार के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा, संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करें।

(3) उन सभी राज्यों से, जो अभी सहयोगी नहीं हुए हैं, अपील करती है कि वे टोकियो में 14 सितम्बर, 1963 को हस्ताक्षरित अपराधों और विमान पर हुए कुछ अपराधों

तथा अन्य कार्यों संबंधी कन्वेंशन, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्तक्षारित विमान के अवैध कब्जे का प्रतिनिवारण करने से संबंधित कन्वेंशन, 23 सितम्बर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अवैध कार्यों का प्रतिनिवारण करने से संबंधित कन्वेंशन पर अपना अनुसमर्थन अथवा सहमति प्रदान करने के लिए अविलम्ब विचार करें ।

(4) हवाई यात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट प्रकार के कार्यों की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन से कन्वेंशन के अनुबद्ध 17 का पुष्टिकरण भी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संस्था से अविलम्ब अधिकाधिक प्रयास करने का अनुरोध करती है ।

(5) सभी देशों की सरकारों से अपील करती है कि वे अपहरण संबंधी असामान्य परिस्थितियों का गंभीरता के साथ अध्ययन करें।

DEVELOPMENT OF PLACES OF TOURIST INTEREST AT BHAGALPUR

3303. DR. RAMJI SINGH : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government do not consider it appropriate from the point of development of tourist to develop ancient Mandrachal, Champakshetra in Bhagalpur, the Huan Tsang's time cave, Kughaghat (Bhagalpur) and ancient Vikramshila University as places of tourist interest;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to take action for the development of these places and if so, the details thereof; and

(d) whether Central Government would set up a tourist centre there and include Bhagalpur in the air map of the civil aviation department ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) to (c) Mandrachal, Champakshetra, Huan Tsang's cave, Kughaghat and Vikramshila University are among the many tourist attractions in which the country abounds. However, limited resources necessitate a selective approach to the development of tourist centres. In view of this, and the emphasis in the Central Sector being on the development of tourist centres which stimulate international tourism, there are no proposals at present in the Central Sector to develop the centres mentioned above.

(d) For the reasons given above, there are also no proposals in the Central Sector at present to set up a tourist centre at Bhagalpur or air-link it.

तिरुनेलवेली तथा रामनाथपुरम जिलों में ग्रामीण बैंक

3304. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेली तथा रामनाथपुरम जिलों में ग्रामीण बक खोले गये है और यदि हां, तो बैंक किन-किन स्था ों पर काम कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में किसानों को दिये गये ऋणों का स्वरूप एवं ऋण राशि का शाखावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) रामनाथपुरम और तिरुनेलवेली जिलों के लिए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 9 मार्च, 1977 को स्थापित

किया गया है जिसका मुख्यालय सात्तूर में है। अक्तूबर, 1977 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने अपनी 24 शाखाओं के मार्फत कुल 55.01 लाख रुपये की राशि वितरित की थी, जिसमें से 43.97 लाख रुपये 5179 छोटे/सीमांतिक किसानों और कृषिक मजदूरों को और 11.04 लाख रुपये 1911 ग्रामीण शिल्पियों और अन्यों को दिये गये थे। शाखावार वितरण की 28-10-1977 की स्थिति नीचे दी जा रही है :—

शाखा का नाम	वितरित राशि
	(लाख रुपये)
1. सात्तूर	16.54
2. पडयकयल	4.17
3. इडिंदकरै	3.86
4. नडुवक्करुची	2.12
5. उपत्तूर	1.01
6. मणिमुत्तार	1.85
7. शंकरलिंगपुरम्	2.03
8. पुरुनड़ि	4.75
9. पुण्यपुरम्	0.78
10. शिवशैलम्	1.49
11. मेलक्करंदै	0.40
12. नड़यानेरि	1.68
13. कुन्नूर	2.34
14. बैलंवट्टि	2.43
15. कुदंगै	0.75
16. तिरुनेलवेलि टाऊन	2.59
17. मेलपरलच्चि	1.55
18. वट्टपिडारम्	1.51
19. अक्कानायकनपेट्टै	0.74
20. तिरुवेंगडम्	1.08
21. कुरुविकुलम्	0.31
22. मेट्टुकुंडु	0.38
23. कलकुरुचि	0.64
24. रामनाथपुरम्	0.01
जोड़	55.01

मक्का (मेज) से खाद्य तेल का निकाला जाना

3305. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अन्य आधुनिक देश मक्का (मेज) से खाद्य तेल निकालने के बारे में जांच कर रहे हैं ; और

(ख) क्या हमारे देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में इस प्रकार का अनुसंधान कार्य करने की कोई ऐसी योजना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व के कुछ आधुनिक देश पहले से ही मक्का का तेल तैयार कर रहे हैं।

(ख) मक्का से खाने का तेल निकालने की टैक्नालाजी हमारे देश में पहले से ही उपलब्ध है। यद्यपि वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि मक्का का तेल का उत्पादन 1,000 से 1,500 मीटरी टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

निर्यात में कमी होने के कारण कच्चा अभ्रक निकालने में कमी

3306. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता**) : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम 'मिटको' के माध्यम से परिष्कृत अभ्रक का निर्यात सारणीबद्ध किये जाने के बाद से कच्चा अभ्रक निकालने में कमी हुई है ;

(ख) वर्ष 1971 में कच्चे अभ्रक का उत्पादन कितना था और वर्ष 1976 में इसका कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या उत्पादन में अत्यधिक कमी 'मिटको' के माध्यम से परिष्कृत अभ्रक के निर्यात में कमी होने के कारण हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार परिष्कृत अभ्रक के निर्यात को सारणीबद्ध प्रक्रिया को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) 1969 से, अर्थात् 1972 में मार्गीकरण लागू करने के 3 वर्ष पहले से, विभिन्न कारणों से अपरिष्कृत अभ्रक के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ख) अपरिष्कृत अभ्रक का उत्पादन 1971 तथा 1976 में क्रमशः 15,099 मे० टन तथा 9,356 मे० टन था।

(ग) तथा (घ) 1972-73 में मार्गीकरण के पश्चात् परिष्कृत अभ्रक के निर्यात, मात्रा एवं मूल्य दोनों में 1971-72 के निर्यातों से कभी अधिक तथा कभी कम रहे। अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि परिष्कृत अभ्रक के निर्यातों में मिटको के माध्यम से इसका मार्गीकरण करने

के पश्चात् गिरावट आई है। सरकार परिष्कृत अभ्रक के निर्यातों का मार्गीकरण समाप्त करने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है।

LOSS SUFFERED DUE TO EXPORT OF SUGAR THROUGH FOREIGN FIRMS

3307. SHRI YADVENDRA DUTT : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the Ministry are considering to change the Parliamentary Resolution (1970) the matter of the Sugar exported abroad through State Trading Corporation as a result of which Government of India suffered considerable loss and the foreign firms earned large profit; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b) Certain complaints against the former Chairman, STC and some other Executives pertaining to sugar deals handled by the STC have been received. These are being investigated by the appropriate authorities.

EXPORT POLICY RESOLUTION, 1970

3308. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the Ministry are considering to change the Parliamentary Resolution (1970) an export policy;

(b) whether the Ministry has formulated a new export policy resolution; if so, when it is likely to be presented before Parliament; and

(c) in what respects it will be different from the Export Policy Resolution of 1970 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The new Export Policy Resolution is still under consideration. It will also take into account the report of Dr. P. C. Alexander Committee which has been set up to suggest suitable changes in the export policies and procedures.

NUMBER OF SMUGGLERS RELEASED AFTER EMERGENCY

3309. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the number of smugglers released after the emergency;

(b) the number of cases of economic offences against them and the policy adopted by Government in this regard;

(c) the amount of arrears to be realised from these smugglers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA): (a) The number of smugglers who had been detained under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and later released during 21-3-1977 to 26-11-1977 is 2213.

(b) & (c) Particulars are being collected and will be laid on the Table of the House.

ग्राल इंडिया डिफेंस एकाउन्ट्स एसोसिएशन, पुणे से ग्रभ्यावेदन

3310. **श्री ग्रार० के० महालगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्राल इण्डिया डिफेन्स एकाउन्ट्स एसोसिएशन पुणे (महाराष्ट्र) से दिनांक 10 ग्रगस्त, 1977 का ग्रभ्यावेदन प्राप्त हुग्रा; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अभ्यावेदन पर विचार किया गया और एसोसिएशन को उचित रूप से सूचित कर दिया गया है ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में भारतीय मशीनों औजारों की मांग

3311. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में भारतीय मशीनी औजारों की बहुत मांग हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से वहां कोई प्रतिनिधिमण्डल भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य कौन है और उसका कार्यक्रम क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग, ब्रसेल्स की वित्तीय सहायता के अन्तर्गत इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने सितम्बर/अक्तूबर, 1977 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को 10 सदस्यों का एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल भेजा था ।

(ग) सदस्यों की सूची संलग्न है । उन्होंने फ्रैंकफर्ट, ब्रसेल्स, हनोवर, कोपनहेगन, पैरिस तथा लन्दन का दौरा किया ।

विवरण

मध्य सितम्बर, 1977 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भेजे गये 10 व्यक्तियों के उच्च शक्ति वाले भारतीय मशीनी पुर्जों सम्बन्धी प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम तथा पता	क्रमांक	नाम तथा पता
1.	श्री एच० सी० गांधी, महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, व्यावर रोड, अजमेर-305003 ।	3.	ब्रिगेडियर टी० ए० अब्राहम, प्रबन्ध निदेशक, पराग टूल्स लि०, 6-6-8/32, कवादागुड़ा रोड़ सिकन्दराबाद ।
2.	श्री एम० एस० असलेकर, महाप्रबन्धक, कापर इंजीनियरिंग लि०, कंसट्रक्शन हाउस बालचन्द हीराचन्द मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई ।	4.	श्री डी० सी० जैन, महाप्रबन्धक, हैवी मशीन टूल्स प्लांट, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० प्लांट प्लाजा रोड, पोस्ट ध्रुव, रांची- 834004 (बिहार) ।

क्रमांक	नाम तथा पता	क्रमांक	नाम तथा पता
5.	श्री गोविन्द राम मंगा, निदेशक, एमटीप मशीन टूल्स प्रा० लि० 5वीं मंजिल, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 ।	8.	श्री कृष्ण कुमार महेश्वरी, अध्यक्ष, भारत फ्रिट्स वर्नर प्रा० लि० मशीन टूल्स मैन्यूफैक्चरर्स, पीनिया, पो० यशवन्थोपुर, बंगलौर-560026 ।
6.	श्री एस० बी० वाजपेयी, उपमहा प्रबन्धक, परफैक्ट मशीन टूल्स कम्पनी प्रा० लि०, बल बिल्डिंग, सर पी० एम० रोड, फोर्ट, बम्बई-400001 ।	9.	श्री गोविन्द राव, पार्टनर, नारायण इंजीनियरिंग वर्क्स, नता इमली, वाराणसी ।
7.	श्री विनोद के० आनन्द, महाप्रबंधक, बेको इंजीनियरी कम्पनी लि०, 23/7, दिल्ली मथुरा रोड, बल्लभगढ़, (हरियाणा) ।	10.	श्री रामनाथन, पिलानिअप्पन, निदेशक, प्रोडक्टोविटी ऐलीमेंट्स प्रा० लि० बी०-14, अम्बातुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, मद्रास- 600058 ।

दक्षता अवरोध पार करने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि देना

3312. **श्री वसंत साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियोंद्वारा अपने वेतनमानों में संतोषजनक ढंग से दक्षता अवरोध पार करने के अवसर पर उनकी सेवा की सराहना के रूप में उन्हें अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे आदेश कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए उक्त आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

रेलवे उपकरणों के निर्यात-आदेश

3313. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे उपकरणों के विदेशों से प्राप्त वर्तमान निर्यात-आदेशों और वहां रेलवे लाइनों का निर्माण करने में भारतीय विशेषज्ञता के उपयोग का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) ऐसे और अधिक ठेके प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० के पास 2646.8 लाख रु० मूल्य के रेल उपस्कर के निर्यात क्रयादेश हैं जिनमें रेल बैगन, सवारी डिब्बे, रेल इंजन तथा उसके पुर्जे शामिल हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन क्रयादेशों के ब्यौरे दिए गए हैं।

इस समय भारत के पास, विदेशों में रेल की पटरियों के निर्माण के लिए अपनी विशेषज्ञता के उपयोग के लिए कोई क्रयादेश नहीं है।

(ख) दोनों ओर से दौरों के द्वारा तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों की मदद से संभावित खरीदारों के साथ संपर्क कायम रखे जा रहे हैं। भारत द्वारा पहले ही 50 करोड़ रु० मूल्य के आफर दिये जा चुके हैं और उनके विषय में कोशिशें जारी हैं।

विवरण

क्रमांक	देश	मद	अनुमानित मूल्य (दस लाख रु० में)
(क)	**माल डिब्बे**		
1.	ईरान	163 माल डिब्बे	110.23
2.	तंजानिया	30 माल डिब्बे	
3.	जाम्बिया	30 टैंक वैगन	
4.	श्रीलंका	30 माल डिब्बे	
5.	उगान्डा	250 माल डिब्बे	
6.	नाइजीरिया	50 माल डिब्बे	
7.	बंगला देश	66 होपर वैगन	
(ख)	**सवारी डिब्बे**		
1.	फिलीपाइन्स	30 सावारी डिब्बे	93.22
2.	उगान्डा	20 सावरी डिब्बे	
3.	नाइजीरिया	32 ब्रेक वैन	
(ग)	**रैल इंजन**		
1.	तंजानिया	9 डीजल इंजन	48.60
(घ)	**विविध हिस्से पुर्जे**		
1.	विभिन्न देश		12.63
		योग	264.68

मैसर्ज ला मेडिका, ड्रग डील कारपोरेशन तथा मैडिपैक द्वारा औषधियों का आयात

3314. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मैसर्स ला मेडिका ड्रग डील कारपोरेशन और मेडिपैक फर्मों द्वारा प्रेडनी सोलोन, एनल्जिन तथा निग्रासाइनामाइड औषधियों का आयात किये जाने के सम्बन्ध में इनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त फर्मों द्वारा विभिन्न औषधियों के आयात तथा उनके निष्टान से सम्बन्धित मामले की जांच की है ;

(ग) क्या सरकार को इन फर्मों के अवैध व्यापार से कोई हानि हुई है और यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) जी, हां ।

(ख) , (ग) और (घ) : शिकायतें मिलने से पूर्व तथा स्वतन्त्र रूप से ही, बम्बई सीमा शुल्क गृह ने 1973 में. मैसर्स ला मेडिका और मैसर्स ड्रग डील कारपोरेशन द्वारा औषधियों के अवैध आयात के तीन मामलों का पता लगाया था । इन तीनों मामलों में सी० शु० समाहर्ता, बम्बई ने माल जब्त कर लिया था और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत इन फर्मों पर दण्ड भी लगाया था । समाहर्तों के आदेशों के खिलाफ इन फर्मों द्वारा दायर की गई अपीलें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के पास विचारधीन पड़ी हैं ।

इन फर्मों द्वारा क्रय प्रत्यक्ष करों के अपवंचन के आरोप की शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है । कर अपवंचन की मात्रा का पता, जांच-पड़ताल पूरी होने पर ही लगेगा ।

प्रवर्तन निदेशालय भी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के संभावित उल्लंघन की जांच-पड़ताल कर रहा है ।

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक ने भी, लाइसेंस वर्ष अप्रैल-मार्च, 1973 से अप्रैल-मार्च, 1977 तक के लिए, तीनों फर्मों और उनके निदेशकों द्वारा, राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम अथवा किन्हीं अन्य ऐसी एजेंसियों के जरिये आयात लाइसेंस, सीमा शुल्क निकासी परमिट तथा आयातित सामग्री का आबंटन, प्राप्त किये जाने पर रोक लगा दी है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अदा किया गया परिवहन व्यय

3315. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में अयस्क की ढुलाई के लिए कोठारी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को कितनी धनराशि अदा की गई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अयस्क के परिवहन के लिए कोठारी (ट्रान्सपोर्ट कम्पनी) से कोई करार नहीं किया है । अतः खनिज धातु तथा व्यापार निगम द्वारा उन्हें किसी तरह का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

खनिजों का निर्यात

3316. **श्री एन० के० शेजवालकर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह-अयस्क, ताम्बा, पीतल तथा अन्य खनिज विदेशों को निर्यात किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77 में कच्चे खनिजों के रूप में निर्यात किये गये उपरोक्त खनिजों का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां । तांबे को छोड़कर /पीतल खनिज नहीं है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खनिजों की किस्म	1976-77 के दौरान निर्यात	
प्रमुख खनिज	(मूल्य लाख रूपयों में)	
1. लोह अयस्क ख० तथा धा० व्यापार निगम, गोआ के निर्यातक	14885.00 9000.00	23885.00
2. अभ्रक (साधित)	1737.00	
3. कोयला	1573.13	
4. मैंगनीज अयस्क	2143.00	
गौण खनिज		
1. बाक्साइट	51.35	
2. क्रोम अस्यक	2670.00	
3. बैराइट्स	860.58	
4. सिली मेनाइट	4.42	
5. कायनाइट	66.82	
6. संगमरमर	7.52	
7. अन्य इमारती पत्थर	322.93	
8. पाकुर पत्थर	17.93	
9. अन्य ग्रेनाइट	368.86	
10. जिपसम	16.21	
11. चूने का पत्थर	62.39	
12. रेत	0.81	
13. डोलौमाइट	6.61	
14. बेंटोनाइट	59.83	
15. नमक	142.03	
16. स्फटिक	25.69	
17. फेल्सपार	28.75	
18. स्टोएटाइट टुकड़े	9.73	
19. स्टोएटाइट चूरा	56.80	
20. इल्मेनाइट	208.74	
21. टिटेनियम	7.57	

कनाडियन उर्वरकों के लिये करार

3317. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कनाडियन उर्वरकों के लिए 27 करोड़ रुपए के मूल्य के करार पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : जी, हां। कनाडा की सरकार के साथ 6 अक्तूबर, 1977 को उर्वरकों तथा उर्वरक सामग्रियों (म्यूरिएट आफ पोटाश, यूरिया तथा सल्फर) के आयात तथा उनके भाड़े के खर्च को पूरा करने के लिए 3.20 करोड़ कनाडी डालर (27.05 करोड़ रुपए) के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऋण पर कोई ब्याज, सेवा प्रभार या बचनबद्धता प्रभार नहीं लगेगा और यह 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाया जाना है। ऋण के अन्तर्गत अब तक 2.3 करोड़ कनाडी डालर के मूल्य के म्यूरिएट आफ पोटाश के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं। आशा है कि मार्च, 1978 के अंत तक इस सामग्री का पूरा-पूरा लदान कर दिया जाएगा। शेष रकम के लिए खनिज एवं धातु व्यापार निगम और आर्डर देने पर विचार कर रहा है।

तमिलनाडू में वत्स्य प्रशीतक संयंत्र (फिश फ्रिजिंग प्लांट) और मछलियों आदि का निर्यात

3318. **कुमारी अनन्तन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 3 वर्षों में निर्यात प्रयोजनों के लिये तमिलनाडू में गैर-सरकारी क्षेत्रों तथा सरकारी क्षेत्रों में मत्स्य प्रशीतक संयंत्रों को चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल मात्रा क्या है और तमिलनाडु से मछली, झींगा मछली, मेढकों आदि का कितनी राशि का निर्यात किया गया है ; और

(ग) इनका निर्यात किन-किन देशों को किया गया था ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। विगत तीन वर्षों में तमिलनाडु में निर्यात प्रयोजनों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में 11 तथा राज्य क्षेत्र में एक प्रशीतक संयंत्र चालू किये गये है।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

तमिलनाडु स्थित पत्तनों के जरिए समुद्री उत्पादों के निर्यात मात्रा : मे० टन में
मूल्य : लाख रु० में

मद		निर्यात			
		1974•	1975	1976	स्थान
जमे हुए श्रिम्प	मात्रा	2582	2362	3764	सं० रा० अमरीका, जापान,
	मूल्य	760	1140	2041	पश्चिम यूरोप
मेंढक की जमी हुई टांगे	मात्रा	274	222	626	सं० रा० अमरीका, जापान,
	मूल्य	52	40	156	पश्चिम यूरोप, सिंगापुर
लोबिस्टर की जमी हुई पूंछ	मात्रा	4	63	38	सं० रा० अमरीका, पश्चिम
	मूल्य	1	19	19	यूरोप
सुखाई हुई मछली	मात्रा	1305	1975	3240	सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया
	मूल्य	37	58	102	
सुखाए हुए प्राउन	मात्रा	27	11	5	हांग कांग मलयेशिया,
	मूल्य	2	1	2	सिंगापुर, आस्ट्रेलिया
शार्क पंख तथा मछली -उदर	मात्रा	97	92	99	सिंगापुर, हांगकांग, सं० रा०
	मूल्य	26	29	55	अमरीका, पश्चिमी यूरोप
अन्य	मात्रा	131	240	193	सं० रा० अमरीका, यूरोप,
	मूल्य	11	47	39	यूरोप कनाडा, सिंगापुर
योग	मात्रा	4420	5865	7965	
	मूल्य	889	1334	2414	

तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री उत्पादों के लिए प्रशीतागार

3319. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पाया है कि समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण तटवर्ती क्षेत्रों में प्रशीतागारों का विकास करने में सिथिल रहा है जिनके फलस्वरूप उसे अपने उत्पादन में हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गोआ, केरल, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में ऐसे प्रशीतागार निर्मित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है,

(ग) क्या अपने निजी ट्रालर लाने वाले आसामियों को प्रस्तावित तटवर्ती प्रशीतागारों में अपने उत्पाद जमा करने की सुविधायें प्रदान की जायेंगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) तथा (ख) : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कोचीन तथा कलकत्ता में हिमशीतित गोदामों के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं तथा पारादीप, विशाखापत्तनम, और मद्रास में हिमशीतित गोदामों के लिए स्थान निश्चित किए हैं। परन्तु इन सभी स्थानों पर यह पाया गया कि उपलब्ध क्षमताएं वर्तमान मांग से अधिक हैं। अतः उद्योग की सलाह से कोचीन तथा कलकत्ता में हिमशीतित गोदामों के लिए आरंभ में प्रस्थापित क्षमताओं को कम करने का निर्णय किया गया है। यह भी निश्चय किया गया है कि नए गोदामों के प्रभाव का आगे मूल्यांकन होने तक अन्य प्रमुख पत्तनों पर हिमशीतित गोदाम सुविधाओं के सृजन की प्रस्थापना स्थगित कर दी जाये।

(ग) समुद्री उत्पाद उद्योग में लगे हुए सभी व्यक्तियों को गोदाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री और उनके दल द्वारा एयर इंडिया के विमान द्वारा यात्रा

3320. **श्री के० मालन्ना**
श्री सी० के० जाफर शरीफ
श्री के० लकप्पा

} क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया का विमान जिसमें हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री और उनका दल मास्को गया था, जनता के लिये था और राष्ट्रीय कैरियर की पुस्तक में वह एक निर्धारित उड़ान थी, परन्तु वास्तव में उसका मार्ग बदल दिया गया था, चार्टर उड़ान को पुनः निर्धारित किया गया था जिससे एयर इंडिया को 4 लाख रुपये से अधिक की हानि हुई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विमान का मार्ग बदला गया था और रूस की एक सप्ताह की औपचारिक दौरे पर गये प्रधान मंत्री और उनके दल को लाने के लिये उसकी उड़ान पुनः निर्धारित की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे और नियमों के अनुसार सीटें बुक करने की प्रक्रिया के बारे में ब्यौरा क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख): एयर इंडिया के जिस विमान से प्रधानमंत्री तथा उनके दल के लोगों ने हाल ही में मास्को की यात्रा की थी उसके मार्ग और समय दोनों में ही परिवर्तन हुआ था। एयर इंडिया को 4 लाख रुपये से अधिक की हानि नहीं हुई।

(ग) ए० आई० 127 पर बुक किये गये यात्रियों की कुल संख्या 27 थी परन्तु बाद में टिकटों के "कैंसलेशन" के कारण उन यात्रियों की संख्या जो अंततः विमान पर सवार हुए 8 रह गयी थी। क्योंकि दिल्ली पहुंचने पर उड़ान संख्या ए० आई०-127, को यदि उसमें कोई खराबिया हों तो उन्हें दुर करने के लिए 4 घंटे के लिए भूमि पर रोक दिया गया था, इस उड़ान से यात्रा करने वाले सभी 8 यात्रियों ने बदल कर लंदन रवाना होने वाली एयर इंडिया की एक दूसरी उड़ान संख्या ए० आई०-109 द्वारा जाने की इच्छा प्रकट की। अंत में ए० आई० -127 10 यात्रियों के

साथ रवाना हुई जिसमें प्रधान मंत्री और उनके दल के लोग सम्मिलित थे। इस उड़ान से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गयी थी।

सरकार द्वारा तस्करों से जब्त की गई सम्पत्ति

3321. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास तस्करों के रूप में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं और ऐसे कितने व्यक्तियों के विरुद्ध (1) कचहरियों में मुकदमे और (2) जांच कार्य चल रहे हैं ;

(ख) तस्कर एवम् विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने तस्करों से कितने मूल्य की सम्पत्ति जब्त की है ; और

(ग) श्री जय प्रकाश नारयण द्वारा तस्करों से गैर-कानूनी गतिविधियां छोड़ने के लिए की गई अपील के क्या परिणाम निकले और सरकार का उन मामलों में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चला है कि 31-10-1977 तक, तस्कर और विदेशी-मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन समक्ष अधिकारियों द्वारा जब्त की गयी सम्पत्तियों का मूल्य 3.54 करोड़ रुपये है।

(ग) सम्भवतः, प्रश्न का संकेत 100 से अधिक तस्करों द्वारा तस्करी छोड़ने और सरकार के तस्करी-विरोधी प्रयासों में उसकी मदद करने की श्री जयप्रकाश नारायण के समक्ष प्रतिज्ञा किये जाने की ओर है। सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि ये तस्कर शान्त हैं और उन्होंने तस्करी की गतिविधियां फिर से शुरु नहीं की हैं। फिर भी, सरकार उनके क्रिया कलापों पर निगरानी रखे हुए है।

LOAN ADVANCED TO VILLAGE FARMERS BY STATE BANK OF INDIA, NAUGACHIA

3322. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV: Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of the loans advanced to village farmers by State Bank of India, Naugachia in Bihar during the years 1976-77 and 1977-78 as also the amount of the loans advanced to businessmen during the said period; and

(b) whether the functioning of the said bank is proving to be a hindrance in the expansion of small industries; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this direction ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The amount of loans advanced by the State Bank of India, Naugachia, Bihar to farmers and businessmen are as follows :—

(Rs. in lakhs)

	1976-77		1977-78 From 1-4-77 to 31-10-77	
	Amount	No. of a/cs-Units financed.	Amount	No. of a /cs. Units financed.
Farmers	7·49	275	7·77	334
Businessmen	2·43	121	2·92	126

(b) & (c) The Naugachia Branch of the State Bank of India advanced the following loans to small industries :—

(Rs. in lakhs)

	1976-77	1977-78 (From 1-4-1977 to 31-10-1977)
Amount of advance to small industries . .	1·32	175
No. of units financed . .	115	121

The Naugachia Branch has thus increased the amount of its aodvances and the number of accounts in the sectors of agriculture, trade and industry as between 1976-77 and 1977-78, and is thereby attempting to meet the credit requirement of development in different sectors of the economy in the area of its operation.

सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का अन्तरण

3323. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि लेखों को, जो अलग-अलग महालेखाकारों द्वारा रखे जा हैं, "लेखों का विभागीकरण" योजना के अन्तर्गत अलग-अलग वेतन तथा लेखा कार्यालयों के अन्तरण बिना समुचित मिलान करने का विचार हैं ;

(ख) यदि हां, तो वेतन तथा लेखा अधिकारियों के कार्यालयों के लिए गलत लेखों का मिलान करना कहां तक संभव होगा विशेषकर जबकि उनके अपने-अपने महालेखाकार इतने समय से उनका मिलान अभी तक नहीं कर पाए हैं ; और

(ग) लेखों का अन्तरण उनका समुचित मिलान करने के बाद न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्र में चरणों में क्रियान्वित की गई लेखाओं के विभागीकरण की योजना के अन्तर्गत, मार्च, 1976 तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखाओं के रखने की जिम्मेदारी महालेखाकारों की थी और उसके पश्चात् विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्ध वेतन तथा लेखा अधिकारियों की है। महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के सिवाय सभी अन्य महालेखाकार भी वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखा विवरणियों को जारी करने के लिए जिम्मेदार थे और यह कदम पूरा होने के पश्चात् अभिदाताओं के खातों में बकाया रकमों और गुमशुदा क्रेडिटों/ डेबिटों तथा बकाया अग्रिमों आदि के ब्यौरों के लेजर कार्डो / पनेलियों को वेतन तथा लेखा अधिकारियों को अन्तरित किया जाना था। अधिकांशत: लेखे पहले ही महालेखाकारों से प्राप्त हो चुके हैं। महालखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखाओं को "जैसा भी है जहां भी है" के आधार पर वित्त मंत्रालय को अन्तरित कर दिया गया था।

(ख वेतन तथा लेखा अधिकारियों को अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे महालेखाकारों द्वारा अन्तरित अंशदाताओं के लेखाओं में गुमशुदा क्रेडिटों/ डेबिटों का पता लगाने के लिए कार्यवाही शुरु करें और और इस संबंध में जिसकी सूचना / सहायता की आवश्यकता हो उनसे प्राप्त करें। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए वेतन तथा लेखा अधिकारियों को आनुषांगिक साक्ष्य के आधार पर गुमशुदा क्रेडिटों /डेबिटों को समायोजित करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है ।

(ग) केन्द्र में लेखाओं के विभागीकरण किए जाने तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को लेखाओं को रखने की जिम्मेदारी से अवन्मुक्त किए जाने पर यह सम्भाव्य नहीं होता कि केवल गुमशुदा क्रेडिटों/डेबिटों के समायोजन के प्रयोजन के लिए ही भविष्य निधि की बकाया रकमों को उसके पास रहने दिया जाए। इसके अलावा, बकाया रकमों का अन्तरण आवश्यक हो गया क्योंकि विभागीकरण के पश्चात् महालेखाकारों के लिए केन्द्रीय सरकार की बकाया रकमों पर कार्यवाही करना सम्भव नहीं रह गया था जिनके बिना प्रत्येक व्यक्ति के खाते में गुमशुदा क्रेडिटों/डेबिटों को समायोजित नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3324. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक या अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी संवर्गों और अथवा लिपिक एवं निचले ग्रेडों के संवर्गों के कर्मचारियों ने अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1977 तक सांकेतिक लम्बी हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा यह हड़तालें कितने समय तक रहीं, हड़ताल करने के क्या कारण थे और यदि ऐसी हड़तालों के परिणास्वरूप कोई रियायतें दी गई हैं तो वे क्या हैं ; और

(ग) सरकार ऐसी हड़तालों को बिल्कुल न होने देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन) ने जो भारतीय बैंकिंग उद्योग की ओर से बैंक कर्मचारियों के साथ वेतन वृद्धि के लिए बातचीत कर रहा है सूचना दी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक कर्मचारियों ने उद्योग स्तर पर आन्दोलन का कार्य क्रम आरम्भ किया हुआ है जिसमें 18,29 अगस्त, और 13 सितम्बर, 1977 की दो घण्टों के लिए सांकेतिक हड़ताल और 27 सितम्बर, 1977 को पूरे दिन की हड़ताल शामिल थी। वेतन में वृद्धि, बोनस की अदायगी और दफ़्तर के समय में पदाधिकारियों को ट्रड यूनियन कार्य करने के लिए छोड़ा जाना। (जिसे ट्रेड यूनियन अधिकारों के पुन: स्थापन के रूप में उल्लिखित किया गया है) बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांगें हैं। 27 सितम्बर, 1977 को पूरे दिन की हड़ताल में राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक समूह के अधिकारियों ने भी भाग लिया जो वेतनमानों, भत्तों और बैंक में अधिकारियों के प्राधिकारों के मानकीकरण पर पिल्लै समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वित किए जाने के विरुद्ध मुख्य रूप से विरोध कर रहे थे।

भारतीय बैंक संघ ने बैंक कर्मचारियों के संगठनों को सलाह दी है कि जब तक सरकार की आय और वेतन नीति की घोषणा नहीं होती वेतन की बढोतरी पर बात चीत करना समय से पूर्व होगा। जहां तक वेतनमानों, भत्तों और अधिकारियों के प्राधिकारों के मानकीकरण पर पिल्लै समिति की रिपोर्ट का संबध है सरकार पिल्लै समिति की सिफारिशों की कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर चुकी है और राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनकी क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दे चुकी है।

मैसर्स "हिमको" लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा द्वारा आयकर का भुगतान

3325. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज (सोनीपत) हरियाणा ने वर्ष 1973 से प्रति वर्ष आयकर की कितनी राशि अदा की है ;

(ख) क्या इस कम्पनी ने आयकर की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी राशि बकाया है तथा उसे वसूल न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) मैसर्स हिमको लैबोरेटरीज, सोनीपत द्वारा 1973 से अदा की गई आयकर की रकम वित्तीय-वर्ष -वार नीचे दी गई हैं :—

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान अदा की गई कर की रकम
1973-74	कुछ नहीं
1974-75	कुछ नहीं
1975-76	कुछ नहीं
1976-77	कुछ नहीं
1977-78	257 रुपये

(ख) और (ग) : 20 सितम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार, इस कम्पनी से 1,126 रुपये की रकम प्राप्त होनी थी। यह मांग 9 जून, 1977 को जारी की गई थी और इस रकम को वसूल करने के लिए विधिसम्मत उपाय किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्ता-कार्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षण

3326. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या वित्त मंत्री केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों के आरक्षण के बारे में 5 अगस्त, 1977 के अन्तारांकित प्रश्न संख्या 6298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1976 से 30 जून, 1977 की अवधि के दौरान विभिन्न समाहर्ता-कार्यालयों/सीमा-शुल्क गृहों में ग्रुप बी से ग्रुप ए में और ग्रुप सी ग्रुप बी में भरे गये पदों की कुल संख्या कितनी है और इन पदों पर नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित ऐसे पदों की संख्या कितनी है, जिन्हें पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक बनाये रखा गया ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा इन पदों को भरने के लिए सरकार कोई विशेष कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) (1) समूह 'ख' से समूह 'क' में पदोन्नतियां प्रत्येक समाहर्तालय/सीमाशुल्क गृह के लिये अलग तौर से नहीं कर के अखिल भारतीय आधार पर की जाती हैं। भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, समूह 'क'

में समूह 'क' के पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु समूह 'ख' के अधिकारियों का पैनल तैयार करने के लिये विभागीय पदोन्नति सीमित अप्रैल/मई, 1976 में बैठी थी और पदोन्नति के आदेश 10 जून, 1976 को जारी किये गये थे। चुने गये अधिकांश अधिकारियों ने समूह 'क' के पदों का कार्यभार 1 जुलाई, 1976 के बाद ही सम्भाला। इन पदोन्नतियों के संबंध में मांगी गयी सूचना का विवरण-पत्र अनुबन्ध-I पर है (**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1314/77**)।

(2) जून, 1976 में की गयी नियमित पदोन्नतियों के अलावा, सौ-सौ अधिकारियों के दो बैचों की तदर्थ पदोन्नतियां जून, 1976 और मार्च 1977 में की गयी थीं। इन तदर्थ पदोन्नतियों में पांच अनुसूचित जाति के अधिकारी भी शामिल हैं।

(3) विभिन्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालियों और सीमाशुल्क गृहों में 1 जुलाई, 1976 से 30 जून, 1976 तक समूह 'ग' के अधिकारियों की संख्या का, जिन्हें समूह 'ख' के पदों पर पदोन्नत किया गया, विवरण-पत्र अनुबन्ध-II पर है (**ग्रंथालय में रखा गया देखिय संख्या एल० टी० 1314/77**)।

(ख) कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार, समूह 'ख' के अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा भरी जानी वाली समूह 'क' में रिक्तियों को तथा समह 'ग' के अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली समूह 'ख' में रिक्तियों को आगे ले जाने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों में समूह 'ख' के अधिकारियों की समूह 'क' सेवा के निम्नतम स्तर में पदोन्नति के लिये और समूह 'ग' के अधिकारियों की समूह 'ख' के पदों में पदोन्नति के लिये विचार का दायरा सामान्यत: भरी जाने वाली रिक्तियों के तीन गुना होता है। परन्तु कार्मिक और प्रशासनिक विभाग सुधार विभाग के सामान्य अनुदेशों के अनुसार तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से विचार दायरे का उच्चतर ग्रेड में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के पांच गुना तक विस्तार किया जाता है, यदि सामान्य विचार दायरे के अन्दर पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कोटे (अनुसूचित जाति के लिये) 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन जाति के लिये $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक नहीं पहुंचती है। इसके अलावा, अपदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये और निर्धारित कोटे में आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को, सामान्य वर्ग के "आउटस्टैंडिंग" अथवा "वैरी गुड" अधिकारियों की संख्या नजरअंदाज करते हुए, पैनल में शामिल किया जाता है।

PAYMENT OF INCOME TAX BY M/S NALIKOOL PRIVATE LIMITED, HOOGHLI, CALCUTTA

3327. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have received some complaints against M/s Nalikool Private Limited, Nalikool, Hooghli Head Office 2, India Exchange Place, Calcutta in connection with the irregularities being committed by them;

(b) if so, the nature of complaints and the action taken by Government thereon;

(c) whether it is a fact that the proprietors of the Company have recently burnt a large volume of company's important documents or account books;

(d) if so, the main reasons therefor; and

(e) the amount of income tax paid by the share-holders and proprietors of this company since its inception, yearwise, the amount outstanding against them on this account and the action being taken by Government to recover the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA) : (a) Yes, Sr.

(b) The complaints, allege, *inter alia,* evasion of income-tax through various devices.

Search and seizure operations have been conducted by the Income-tax authorities in November, 1977 in the factory and Head Office of M/s Nalikool (P) Ltd., the office and residential premises of the Managing Director, Shri K. Bhuteria, former Secretary Shri A. C. Bhuteria as also the residence of Shri S. B. Singh Dugar, Director.

These operations have led to the seizure of a large number of books of account/ documents, besides cash of Rs. 1.8 lakhs. Six lockers have also been sealed.

(c) & (d) During the search of the factory premises of M/s Nalikool (P) Ltd., the Cashier of the Company stated that some books of account were burnt under instructions from the Head Office. Issue of such instructions was, however, denied by Shri A. C. Bhuteria. The matter is under investigation.

(e) A statement giving the information presently available is annexed.

Statement

Out of the 7,500 shares of M/s. Nalikool (P) Ltd., 7,150 shares are held by S/Shri K. Bhuteria, A. C. Bhuteria and N. M. Gandhi. The requisite information in respect of them for and from the assessment year 1961-62 onwards is as follows :—

(*i*) SHRI K. BHUTERIA :

Assessment Year	Demand paid	Amount outstanding
	(Rs.)	(Rs.)
1	2	3
1961-62	12522	
1962-63	6871	
1963-64	7698	
1964-65	6473	
1965-66	7986	
1966-67	7166	
1967-68	7771	
1968-69	8492	
1969-70	27143	
1970-71	24982	
1971-72	19547	
1972-73	30438	
1973-74	24183	
1974-75	27772	
1975-76	242*9	
1976-77 Advance tax paid and tax deducted at source	29050	

(*ii*) SHRI A.C. BHUTERIA :

1961-62	1590	
1962-63	2130	
1963-64	3479	
1964-65	1409	
1965-66	1391	Nil
1966-67	2700	
1967-68	4363	
1968-69	2435	
1969-70	4396	
1970-71	2717	
1971-72	8969	Nil
1972-73	4885	
1973-74	2394	
1974-75	3514	

1	2	3
(*iii*) SHRI NATHMAL GANDHI :		
1961-62	No demand	
1962-63	15	
1963-64	308	
1964-65	711	
1965-66	321	
1966-67	1542	
1967-68	462	Nil
1968-69	272	
1969-70	608	
1970-71	960	
1971-72	1556	
1972-73	916	
1973-74	920	920 Recovery proceedings have been initiated.

SPECIAL PLAN FOR DEVELOPMENT OF TOURIST CENTRES IN RAJASTHAN

3328. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a special plan for the development of tourist centres in the Rajasthan State with a view to attracting maximum number of tourists there; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(b) whether it is proposed to develop Bharatpur, Sawai Madhopur, Alwar, Bikaner, Mount Abu, Chittorgarh, Jaisalmer etc. cities in the near future because these cities are very important from historical point of view and for wild life sanctuaries there, if so when the development work will be started there and the details in this regard; if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) & (b) The Department of Tourism has not formulated any special plan for the development of tourist centres in Rajasthan. However, it was decided in the State Tourism Ministers Conference held on 31-8-1977 that the State Governments would prepare perspective plans for tourism development in their States for consideration of schemes to be taken up in the Central and State sectors in the Sixth Plan. The tourist centres to be taken up for development in Rajasthan and other States will depend upon the resources made available for the Tourism sector in the Sixth Plan.

PROPOSED CENTRAL ASSISTANCE TO U.P. HILL DEVELOPMENT CORPORATION

3329. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the amount of assistance and grants proposed to be given by the Central Government to the Uttar Pradesh Hill Development Corporation during the financial year 1977-78; and

(b) the development programmes for which the assistance or the grants would be utilised by the Corporation ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The Central Department of Tourism has no funds to be given as a grant to the Uttar Pradesh Hill Development Corporation during the financial year 1977-78.

(b) Does not arise.

एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारंटी कारपोरेशन को एक निर्यात बैंक के रूप में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव

3330. **श्री डी० अमात :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारन्टी कारपोरेशन (निर्यात ऋण और गारन्टी निगम) को एक निर्यात बैंक के रूप में पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) निर्यात ऋण तथा निगम गारंटी को निर्यात बैंक के रूप में पुनर्गठित करने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है। परन्तु एक भारतीय विदेश व्यापार बैंक स्थापित करने की योजना है जिसका अंग निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम बन सकता है। इस योजना पर विचार अभी इतनी प्रारम्भिक अवस्था में है कि इस समय कोई उपयोगी ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

EXPORT OF SHOES AND CHAPPALS TO FOREIGN COUNTRIES

3331. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the names of the firms which were given licences for the export of shoes and chappals to foreign countries during 1976-77 and 1977-78; and

(b) the foreign exchange earned by Government through these firms ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) No export licence is required for export of shoes and chappals to foreign countries. Export of all types of footwear is however canalised through the STC.

(b) The estimated figures of foreign exchange earned by the export of all types of footwear during 1976-77 and 1977-78 are as under :

Year	Value in Rs. crores
	Footwear/components)
1976-77 . . .	28·79 (FOB)
1977-78 (estimated) (April-October)	10·82 (Sale value)

EXPORT OF JUTE TO FOREIGN COUNTRIES

3332. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to export jute to foreign countries through the S.T.C. and also set up Government agencies to purchase jute to ensure reasonable price to jute growers in the country; and

(b) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b) In view of limited availability, there is no proposal to export raw jute through the State Trading Corporation. Jute Corporation of India has been set up for procurement of raw jute mainly for ensuring adequate return to the growers.

RECONSTITUTION OF HINDI COMMITTEE OF MINISTRY OF FINANCE

3333. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Hindi Committee of Finance Ministry has been reconstituted;

(b) if so, the names of the Members of this Committee and the criteria adopted in their appointment to the Committee;

(c) whether Members of Parliament have also been included in the reconstituted Committee;

(d) whether Government propose to appoint some Members of Parliament as Advisers; and

(e) if so, the details of the proposal ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c) The proposal to re-constitute the Hindi Salahkar Samiti of the Finance Ministry is under consideration of the Government.

(d) & (e) Yes, Sir. According to the guidelines, four Members of Parliament, two from the Lok Sabha and two from the Rajya Sabha, are to be nominated as members of the Hindi Salahkar Samiti.

दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा अशोका होटल में स्टार नाइट का आयोजन

3334. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा अशोका होटल में स्टार नाइट का आयोजन किये जाने के बारे में 29 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5392 के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांचाधीन बताये जाने वाले मामले की प्रगति क्या है; और

(ख) किस बैंक में शेष राशि जमा की गई थी और इसके संचालन का तरीका क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभी मामले की जांच पूरी नहीं की है, और इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है।

(ख) दिल्ली फ्लाइंग क्लब ने यह सूचना दी है कि अशोक होटल में 'स्टार नाइट' के आयोजन से एकत्रित की गई धनराशि दिल्ली फ्लाइंग लिमिटेड के नाम स्टेट बैंक आंफ सौराष्ट्र, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में जमा कराई गई थी। यह खाता, जिसमें मियादी जमा (fixed deposit) और बचत बैंक लेखा (Saving Bank Account) दोनों शामिल हैं, क्लब के अध्यक्ष श्री बी० आर० चोपड़ा और सचिव श्री जी० बी० सक्सेना के संयुक्त हस्ताक्षरों से चलाया जा रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा ट्रेवल एजेंटों को अदा किया गया कमीशन और टिकटों की बिक्री

3335. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री दिल्ली में ट्रेवल एजेन्सियों द्वारा विमान टिकटों की बिक्री के बारे में 29 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5375 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमान टिकटों की बिक्री के लिए ट्रेवल एजेंसियों को कोई कमीशन/छूट दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमीशन / छूट की दर क्या है और गत दो वर्षों में (1975-76 और 1976-77) में दिल्ली में विभिन्न एजेन्सियों को कुल कितनी राशि अदा की गई ; और

(ग) विमान टिकटों की बिक्री पर कम आय की पूर्ति के लिए इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा स्वयं बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) नियुक्त किये गये एजेंटों को अन्तर्देशीय यात्रा टिकटों तथा कार्गो परिवहन की बिक्री पर 5 प्रतिशत तथा अन्तर्राष्ट्रीय टिकटों की बिक्री पर 8 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है। दिल्ली में मान्यता प्राप्त विभिन्न ट्रैवल ऐजेंटो को 1975-76 में 37.68 लाख रुपये तथा 1976-77 में 46.85 लाख रुपये की कुल राशि कमीशन के रूप में प्रदान की गई।

(ग) ट्रेवल एजेंटों को दिया गया कमीशन किसी भी एयरलाइन का एक आम व्यापारिक खर्च है। ट्रेवल एजेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में उदारतापूर्वक 'क्रेडिट' सुविधा प्रदान करना, दस्तावेजों का ग्राहकों को वितरण, रेल तथा होटलों का आरक्षण आदि सुविधाएं शामिल हैं। ट्रेवल एजेंट और अधिक बिक्री के प्रभावी माध्यम के रूप में भी काम करते हैं तथा एयरलाइनों के उपरले खर्चों (ओवरहैड एक्सपेंसिस) को भी बचाते हैं। जैसे-जैसे कारपोरेशन की सेवाओं की क्षमता में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे इंडियन एयरलाइन्स के कार्यालयों द्वारा तथा साथ ही साथ ट्रेवल एजेंटों द्वारा की जाने वाली बिक्रियों में भी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

नई दिल्ली स्थित इंडियन एयरलाइन्स का सिटी बुकिंग आफिस

3336. **श्री माधवराव** सिन्धिया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री इण्डियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली के सिटी बुकिंग आफिस का स्थान बदला जाने के बारे में 29-7-77 के अतारांकित प्रश्न सं० 5309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यालय भवन (बुकिंग आफिस) के लिए पहले दिये गये तथा अब दिए जा रहे किराए का अन्तर उसकी आय का समानुपातिक है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस अन्तर को पूरा करने के लिए जिससे इण्डियन एयरलाइन्स की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

LOANS ADVANCED BY NATIONALISED BANKS FOR AGRICULTURE PURPOSE

3337. SHRI S. S. SOMANI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of loan advanced by the nationalised banks for agricultural purpose during the last three years and the amount of loan, out of it, which has not been realised; and

(b) the percentage of loan advanced to farmers to the total loan advanced to priority sector ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The amount outstanding of loans advanced by public sector banks to agriculture for the last three years is as follows :—

(Rs. in crores)

	As on the 12st Friday of		
	March 1975	Mrach 1976	March 1977
State Bank of India Group	239·86	325·80	469·84
14 Nationalised Banks . .	488·25	634·58	766·80
Total	728·11	960·38	1236·64

It is presumed that the term amount not realised refers to overdues. The position of overdues from June, 1974 to June, 1976 is as follows :—

(Rs. in lakhs)

	June, 1974		June, 1975		June, 1976	
	Amount of overdues	% to demand	Amount of overdues	% to demand	Amount of overdues	% to demand
State Bank of India Group .	2684·27	48·6	4014·15	42·2	5011·59	43·6
Nationalised Banks	7718·56	52·4	10784·67	53·4	13656·90	51·5
Total . . .	10402·83	51·3	14798·82	49·8	18668·49	49·1

(b) The percentage of agricultural advances to total advances made to the priority sectors is as follows :—

(Rs. in lahks)

	March 1975	March 1976	March 1977
State Bank of India Group	36·0	40·7	44·0
14 Nationalised Banks	38·4	39·6	38·8
Total	37·6	40·0	40.6

बोनस के मामले में कर्मचारियों के असहयोग के कारण इंडियन एयरलाइन्स को हानि

3338. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि बोनस के मामले पर आन्दोलन कर रहे कर्मचारियों के असहयोग के कारण इंडियन एयरलाइन्स को सितम्बर, और अक्तूबर, मास में कितनी हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या जो उड़ानें उक्त अवधि में रद्द की गई थी वे समझौता हो जाने के पश्चात् फिर से प्रारंभ की गई ;

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स की दक्षता में बहुत अधिक गिरावट आई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या हालही में उड़ानें भरने के तत्काल पश्चात् यांत्रिक खराबी के कारण उड़ानें रोकनी पड़ी थीं ; और

(ड़) यदि हां, तो कितनी बार और प्रत्येक मामले के कारण क्या है और कुल कितनी हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) बोनस समस्या के बारे में कर्मचारियों के असहयोग आंदोलन के कारण इंडियन एयरलाइन्स को हुई हानि के बारे में इंडियन एयरलाइन्स ने कोई अलग से सूचना नहीं रखी है। सितम्बर-अक्तूबर, 1977 के दौरान सेवाओं को रद्द करने के कारण लगभग 28 लाख रुपए के राजस्व की हानि होने का अनुमान लगाया गया है, जोकि अक्तूबर, 1977 में सेवा से दो विमानों के हटा लेने के कारण लगभग 11 लाख रुपए प्रतिमास की आवर्ती (Recurring) हानि होने के अलावा है।

(ख) जैसे-जैसे विमानों पर पीछे का पड़ा हुआ बकाया कार्य क्लीयर होता जायेगा वैसे वैसे आन्दोलन के कारण काटी गयी उड़ानों को क्रमश: उत्तरोत्तर बहाल कर दिया जायगा।

(ग) जी नहीं। यद्यपि उड़ानों में विलम्ब तथा उनके रद्द किये जाने की घटनाएं हुई थी, परन्तु तकनीकी कार्य कुशलता पर जिससे सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, कोई असर नहीं पड़ा है।

(घ) और (ड़) सितम्बर तथा अक्तूबर, 1977 के दौरान, (कुल 14,255 उड़ानों में से) केवल 10 अवसरों पर ही विमानों को, खराबियों को दूर करने के लिए वापस बेस पर लौटना पड़ा था। केवल एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में, खराबियों को दूर करने के बाद उड़ानों का परिचालन किया गया तथा इससे राजस्व की कोई हानि नहीं हुई। एक अवसर पर, सेवा को रद्द करना पड़ा। तथा केवल दो यात्रियों को छोड़कर सभी ऐसे यात्रियों को, जिन्होंने अपनी यात्राएं रद्द की थी ; इंडियन एयरलाइन्स तथा इसके पूल पार्टनरों की दूसरी सेवाओं पर जगह दे दी गयी थी।

विश्व बैंक से सहायता

3339. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान विश्व बैंक से भारत को कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई इससे कौन-कौन सी परियोजनाएं लाभान्वित हुई और उनसे किस प्रकार की उत्पादिकता उपलब्ध हुई ; और

(ख) जून, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है और इससे कौन से राज्य तथा कौन सी परियोजनायें लाभान्वित होंगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विश्व बैंक समूह से 30 जून, 1977 को समाप्त होने वाले बैंक के राजकोषीय वर्ष के दौरान 81.90 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से बातचीत की गई थी। इन परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध I के विवरण में दिया गया है। ये परियोजनाएं कृषि के क्षेत्र की, जिसमें मीन उद्योग सिंचाई और ऊर्जा शामिल है, उत्पादकता बढ़ाने और शहरी, परिवहन और दूरसंचार के क्षेत्रों में आधार भूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए तैयार गई की हैं। इस वर्ष में नई तथा चालू दोनों किस्म की परियोजनाओं के लिए कुल 64.21 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता प्रतिपूर्ति की गई।

(ख) विश्व बैंक समह ने 30 जून, 1978 को समाप्त होने वाले अपने राजकोषीय वर्ष में 110 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजना सहायता देने का संकेत दिया है। इनमें से नई परियोजनाओं के लिए 31 अक्तूबर, 1977 तक 20.8 करोड़ अमरीकी डालर के करारों पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का विवरण अनुबन्ध II में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ बैंक के राजकोषीय वर्ष 1977 के दौरान किये गये करार

अनुबन्ध-I

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राशि (लाख अमरीकी डालर) विश्व बैंक	परियोजना क्षेत्र
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (राज्य वित्त निगम) परियोजना	40.00	अखिल भारतीय
2.	राष्ट्रीय बीज परियोजना	25.00	पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश
3.	छठी दूरसंचार परियोजना	80.00	अखिल भारतीय
4.	बंबई नगर परिवहन परियोजना	29.00	महाराष्ट्र
5.	गुजरात मीन उद्योग परियोजना	14.00	गुजरात
6.	बाम्बे हाई पाइपलाइन परियोजना	150.00	महाराष्ट्र
	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ		
7.	केरल कृषि विकास परियोजना	30.00	केरल
8.	उड़ीसा कृषि विकास परियोजना	20.00	उड़ीसा
9.	सिंग्रौली सुपर थरमल पावर परियोजना	150.00	उत्तर प्रदेश
10.	मद्रास नगर विकास परियोजना	24.00	तमिलनाडु
11.	गुजरात मीन उद्योग परियोजना	4.00	गुजरात
12.	पश्चिम बंगाल कृषि अनुसंधान तथा विस्तार परियोजना	12.00	पश्चिम बंगाल
13.	मध्य प्रदेश कृषि तथा अनुसंधान परियोजना	10.00	मध्य प्रदेश
14.	दूसरी कृषि पुनर्वित्त विकास निगम परियोजना	200.00	अखिल भारतीय
15.	पेरियार वैगाई सिंचाई परियोजना	23.00	तमिलनाडु
16.	असम कृषि विकास परियोजना	8.00	असम
	कुल जोड़	819.00	

अनुबन्ध II

विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ बैंक के वित्त वर्ष 1978 के दौरान किये गये करार

(31 अक्तूबर, 1977 तक)

लाख अमरीकी डालर

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राशि	परियोजना क्षेत्र
	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक		
1.	बारहवीं भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम परियोजना	800.00	अखिल भारतीय
	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ		
2.	महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना	700.0	महाराष्ट्र
3.	उड़ीसा सिंचाई परियोजना	580.0	उड़ीसा
	कुल जोड़	2080.0	

RAID CONDUCTED ON M/S NALIKOOL PRIVATE LIMITED, NALIKOOL, DISTRICT HOOGHLY

3340. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether a raid was conducted on the office of M/s Nalikool Private Limited, Nalikool, District Hooghly by Income-tax Department of Intelligence Department during the last three years;

(b) if so, the main objective of the raid and the types of material or objectionable documents recovered by Government indicating the details thereof;

(c) whether complaints were lodged with the regional Income Tax Department (Intelligence, Inspection) in regard to the bungling being made by the shareholders or the employees in the company; and

(d) if so, the extent to which bungling and irregularities were committed there during the last three years indicating the nature thereof and the names of the persons who committed these bunglings and irregularities and the action taken on the complaints ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLA): (a) & (b) Search and seizure operations have been conducted by the Income-tax authorities under section 132 of the Income-tax Act, 1961, in November, 1977 in the factory and Head Office of M/s Nalikul (P) Ltd., the office and residential premises of the Managing Director Shri K. Bhuteria, former Secretary Shri A. C. Bhuteria as also the residence of Shri S. B. Singh Dugar, Director.

These operations have led to the seizure of a large number of books of account/documents, besides cash of Rs. 1.8 lakhs. Six lockers have also been sealed.

(c) Such complaints were received by the Intelligence Wing of the Income-tax Department at Calcutta regarding S/Shri K. Bhuteria and A. C. Bhuteria.

(d) The extent of evasion and the nature of irregularities committed would be known on completion of the investigations, which are in progress.

AGENCIES OF LIFE INSURANCE CORPORATION

3341. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state; whether 90 per cent agencies of the Life Insurance Corporation of India are in the names of wives of the persons who actually work as agents and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : No, Sir. Out of about 1,42,000 agents on the rolls of the LIC on 31-3-1977 only about 32,000 were ladies. Agents of the LIC are governed by the provisions of the Agents Regulations and the provisions of the Regulations relating to recruitment, training and examination of agents are designed to prevent creation of benami agencies. The agents are required by the Regulations to be actively engaged in the procuration and servicing of the business. If the LIC finds that an agent is not so engaged, it terminates the agency.

PRESENTATION OF PURSE TO SHRI SANJAY GANDHI BY BANK OF RAJASTHAN

3342. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state whether presentation of a purse of Rs. 70,000 to Shri Sanjay Gandhi during his Jaipur visit and contribution worth lakhs of rupees in the form of advertisements for youth congress magazines by the Bank of Rajasthan Limited is not misuse of public money ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : Reserve Bank of India reported that the allegation relating to the presentation of purse to Shri Sanjay Gandhi by the Bank of Rajasthan is not borne out by the information contained in the records of the Bank. Reserve Bank have also reported that, while the Bank has been donating small amounts, mostly the publishing advertisements in souvenirs brought forth by cultural associations and social organisations etc., the allegation that it has contributed lakhs of rupees in the form of advertisements for Youth Congress magazines is not supported by the records of the Bank.

APPOINTMENT OF SHRI RAM VILAS GUPTA IN BANK OF RAJASTHAN

3343. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state the reasons for taking into service Shri Ram Vilas Gupta by the Bank of Rajasthan Limited in contravention of rules of the Bank, who was found guilty in an embezzlement case by Sheopur Court ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : The Bank of Rajasthan is a bank in the private sector. Appointments of posts in the private sector banks is a matter entirely within the bank's jurisdiction.

2. However, the bank has reported to the Reserve Bank of India that the antecedents of Shri Ram Vilas Gupta were not known to them at the time of his appointment. In December 1975, the bank learnt that Shri Ram Vilas Gupta was working as Nakadar in Municipal Committee, Sheopur Kalan, Madhya Pradesh, prior to 3rd September, 1964. He was alleged to have misappropriated a sum of Rs. 118.80 and was suspended from service. Subsequently he was dismissed and prosecuted in a criminal court under Section 409 of the Indian Penal Code. However, he was acquitted of this charge.

3. Thereafter, Shri Ram Vilas Gupta filed a civil suit against the Municipal Committee for a declaration that he continued to be in service of the Committee and was entitled to wages and other benefits. The Civil Court held that the Municipal Committee had validly dismissed the employee and that the suit was barred by limitation. Shri Gupta has filed an appeal against the decision of the Lower Court in the Court of District Judge, Sheopur Kalan, which is pending. Since the matter is *sub judice*, the bank has indicated that they propose to review the position in the light of the judgement of the appellate court as and when it is received.

APPOINTMENT OF SHRI T. C. JAIN IN BANK OF RAJASTHAN

3344. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state the compelling circumstances in which Shri T. C. Jain who was compulsorily retired by Government of Rajasthan, was appointed on the highest salary in the Bank of Rajasthan ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : The Bank of Rajasthan is a bank in the private sector. Appointment of officers in private sector banks is an administrative matter entirely within the jurisdiction of the bank concerned.

The Bank of Rajasthan has reported to the Reserve Bank that they were in need of an officer experienced in labour laws and personnel matters and they appointed Shri T. C. Jain as Manager (Personnel) first on contract for 2 years and later on regular appointment with the approval of their Board of Directors. Shri Jain joined the bank with the prior approval of the State Government and there was nothing unusual or irregular in his appointment.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत स्टर्लिंग चाय कम्पनियों को विदेशी "इक्विटी" की अनुमति

3345. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टार्लिंग चाय कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियों में 74 प्रतिशत शेयर पूंजी रखने की अनुमति है जबकि अन्य कम्पनियों के मामले में यह 40 प्रतिशत है ;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ;

(ग) स्टार्लिंग चाय कम्पनियों से, अपनी शेयर पूंजी को 74 प्रतिशत तक घटाने के लिए क्या अन्तिम तारीख दी जा रही है; और

(घ) देश में कौन सी स्टर्लिंग चाय कम्पनियां चल रही हैं और उनमें से कितनी कम्पनियां दी गयी अन्तिम तिथि तक अपनी शेयर पूंजी को कम कर देगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनिधिम, 1973 की धारा 29 के प्रशासन के लिए निर्धारित मार्ग निदेशों के अन्तर्गत भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों को, संबंधित कंपनियों के कार्यकलाप के स्वरुप के अनुसार यथास्थिति 74 या 51 या 40 प्रतिशत अनिवासी शेयर रखने की अनुमति दी जा सकती है। हमारे देश के निर्यात में चाय की जो स्थिति है उसके कारण चाय कंपनियों को 74 प्रतिशत अनिवासी शेयर रखने की अनुमति दी गई है।

(ग) भारतीयकरण के लिए निर्धारित समय सीमा अधिकांश मामलों में इस वर्ष के अंत तक और अन्य मामलों में अगले वर्ष की पहली छमाही में समाप्त हो जाएगी।

(घ) 29-7-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5335 के उत्तर दिये गये ब्योरों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सभी कंपनियों ने भारतीयकरण के अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और वे विचाराधीन हैं।

नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं के लिए वैकल्पिक निर्यात एजेंसी की स्थापना

3346. **श्री वी० के० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि लाइसेंसशुदा निर्यातकों द्वारा अलेप्पी तथा इसके आसपास के क्षत्रों से निर्यात होने वाली नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं का एक बड़ा प्रतिशत वस्तुत: छोटे कारखानों के मालिकों द्वारा निर्मित होता है, और

(ख) क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक निर्यात एजेंसी की स्थापना पर विचार करेंगे कि वास्तविक उत्पादकों को उचित मूल्य मिलें और उनके द्वारा काम पर रखे गए कामगारों को उचित मंजूरी मिले ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) कयर बोर्ड अपनी खरीद कीमत (प्रवर्तन) योजना 1976 के माध्यम से उत्पादकों को उचित कीमतें और कामगरों को उचित मजूरी दिलाना चाहता है।

कन्याकुमारी जिले (तमिलनाडु) में काजू उद्योग

3347. श्री कुमारी अनन्तम : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले में काजू के अभाव के कारण काजू के कार्य में लगे बहुत से उद्योग पिछले कुछ वर्षों से बेकार पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) ऐसी खबरें मिली हैं कि साधित करने के लिए कच्चे काजू की कमी के कारण तमिलनाडु तथा दूसरे राज्यों में कुछ एककों को कुछ अवधियों के लिए बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है ? उद्योग की न्यूनतम आवश्यकता लगभग 3 लाख मे० टन है, जबकि काजू के स्वदेशी उत्पादन का अनुमान 1.4 मे० टन से 1.85 लाख मे० टन के बीच है। मांग तथा उपलब्धता के बीच 1.5 लाख मे० टन का अंतर आयातों से पूरा किया जाना है। चालू वर्ष में जनवरी से अक्तूबर की अवधि के दौरान केवल 61,995 मे० टन कच्चे काजू का आयात हुआ है, जबकि 1976 की उसी अवधि के दौरान 67,698 मे० टन तथा 1975 में 1,35,815 मे० टन और 1974 की उसी अवधि के दौरान 1,77,289 मे० टन कच्चे काजू का आयात हुआ था।

(ख) भारत सरकार ने काजू के अन्तर्गत क्षेत्र के विस्तार के लिए राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र दोनों में तथा साथ ही देश में काजू के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से विद्यमान काजू बागानों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए योजनाएं आरंभ की हैं। इसके अलावा भारतीय काजू निगम काजू बागानों की राज्यों द्वारा प्रायोजित, जीवनक्षम तथा निर्यात अभिमुख योजनाओं के लिए 4 करोड़ रुपये तक की राशि उपलब्ध कराने के लिए राजी हो गया है। ऐसा मालूम हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में काजू की उपज सुधारने के लिए वर्धित प्रचार, पौधे उगाने के बगीचों की स्थापना करके तथा दूसरे अनुसंधान एवं विकासात्मक प्रयासों द्वारा काजू के बागानों को सुधारने के लिए प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था की योजनाएं आरंभ करने के लिए कार्यवाही की है।

भारतीय काजू निगम ने 1977-78 फसल से लगभग 30,000 मे० टन काजू के आयात के लिए संविदाएं भी की हैं और उसे आशा है कि वह वर्ष 1978 में इससे भी अधिक मात्रा काजू का आयात कर सकेगा। ऐसी संभावना है कि उपयुक्त उपायों से साधित करने वाले एककों को कच्चे काजू की उपलब्धता में सुधार होगा।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम में परिवहन ठेकेदार

3348. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्थानों से अयस्क का परिवहन करने के लिए खनिज एवं धातु व्यापार निगम में कितने परिवहन ठेकेदार काम कर रहे हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने उनको कितनी राशि अदा की ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) विभिन्न स्थानों से अयस्क का परिवहन करने के लिए चालू वर्ष के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदारों की संख्या छः है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नियुक्त विभिन्न ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	भुगतान की गई अनुमानित राशि (करोड़ रु० में)
1974–75	4.35
1975–76	5.63
1976–77	4.32
	14.30

तस्करी के माल की बिक्री रोकने का प्रस्ताव

3349. **श्री पी० के० कोडियान**
श्री डी० वी० चन्द्र गौड़ा } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तस्करी के माल की बिक्री के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के माध्यम से तस्करी के माल की बिक्री पहले ही रोक दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी गोदामों में इस समय तस्करी के माल का कितना स्टाक है और उसे किस प्रकार निपटाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है कि जब्त किये गये तस्करी के सामान को भारत में नहीं बेचा जाना चाहिए बल्कि इसकी बजाए उसे निर्यात अथवा नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

(ख) जी, हां। नाशवान वस्तुओं के अलावा, जब्तशुदा तस्करी के माल की बिक्री, मिलिट्री कैंटीनों को छोड़कर, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ तथा अन्यों को हाल ही में स्थगित कर दी गई है।

(ग) पकड़े गये तथा जब्तशुदा तस्करी के माल का सीमाशुल्क कार्यालयों के मालगोदामों में वर्तमान स्टाक लगभग 43 करोड़ रुपये का बताया जाता है। तस्करी के माल के निपटान के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस का लाभ

3350. श्री डी० अमात : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को केन्द्रीय सरकार तथा संबद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों की ओर से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस का लाभ देने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विभिन्न संघों/महासंघों से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस का लाभ देने के लिए मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस का लाभ देने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एयर इण्डिया द्वारा "कोम्बी" विमान का चलाया जाना

3351. श्री डी० अमात : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया का विचार "कोम्बी" विमान चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े व्यापार गृहों को दी गई अग्रिम धनराशि

3353. डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1 अप्रैल, 1977 से 1 अक्तूबर, 1977 तक पांच सर्वोच्च व्यापार गृहों को दी गई अग्रिम धनराशि में से कुल कितनी धनराशि बकाया है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु उद्योगों को कितनी अग्रिम धनराशि दी थी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

8—988LSS/77

पाकिस्तान से ऋण की वसूली के लिए कदम

3354. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के समय पाकिस्तान के साथ हुए वित्तीय करारों के अधीन पाकिस्तान द्वारा भारत को अब तक ऋण के रूप में कुल कितनी राशि अदा करनी है और इस ऋण पर आज तक भारत को मिलने वाले ब्याज की कुल राशि कितनी है ; और

(ख) इस ऋण को वसूल करने के लिये गत छः महीनों के दौरान क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : भारत का पाकिस्तान पर विभाजन के समय का कर्ज 300 करोड़ रुपए है ; विभिन्न समयों पर किये गये प्रयत्नों के बावजूद कर्ज की ठीक-ठीक रकम के बारे में अभी तक दोनों देशों में सहमति नहीं हुई है। दिसम्बर 1947 में विभाजन संबंधी जो व्यवस्था की गई थी उसके अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा यह कर्ज, मूल रकम और ब्याज ($2\frac{7}{8}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से) 15 अगस्त 1952 से शुरू कर के बराबर बराबर की 50 किस्तों में भारतीय रुपयों में चुकाया जाना था। चूंकि पाकिस्तान ने मूल अथवा ब्याज की कोई राशि नहीं चुकाई है इसलिए ब्याज की सामान्य दर ($2\frac{7}{8}$ प्रतिशत) पर भी ब्याज की इकट्ठी हुई राशि अब कर्ज की मूल राशि से ज्यादा हो गई है।

(ख) इस मामले को निपटाने के लिए पिछले छः महीनों में कोई नये प्रयास नहीं किए गए हैं।

75 एकाधिकार व्यापार गृहों के साथ सम्बद्ध कम्पनियों पर आयकर, धनकर तथा उपहार कर की बकाया राशि

3355. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 75 एकाधिकार व्यापार गृहों के साथ कितनी कम्पनियां सम्बद्ध हैं ;

(ख) इन कम्पनियों पर आय-कर, धन-कर तथा उपहार-कर की आज तक की कुल कितनी बकाया राशि है ; और

(ग) इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए गतः छः महीनों में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) संशोधित औद्योगिक लाइसेन्स नीति को दृष्टि में रखते हुए, जिसकी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा फरवरी 1973 में की गई थी, 'एकाधिकार-घराने' पद से, जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है, उन उपक्रमों का अर्थ लगाया जाता है जो एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और जिनके पास अपने आप में अथवा अपने अन्तः सम्बंधित उपक्रमों के साथ मिलकर कम से कम 20 करोड़ रु० की परिसम्पत्तियां हैं जिसके कारण उन पर उक्त अधिनियम की धारा 20 (क) (i) अथवा (ii) के उपबन्ध लागू होते

हैं। उक्त अधिनियम की धारा 26 के अधीन 31-12-1976 तक पंजीकृत कम्पनियों की संख्या, जो अभी भी रजिस्टर में दर्ज थीं, 1033 थी, और इनमें से ऐसी कम्पनियों की संख्या 980 थी, जो उक्त अधिनियम की धारा 20(क) द्वारा शासित होती हैं।

(ख) इन सभी कम्पनियों के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों पर स्थित सम्बंधित आय-कर अधिकारियों से अपेक्षित सूचना इकट्ठी करने में काफी समय और श्रम लगेगा जो प्राप्त किये जाने वाले संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

लेकिन, जहां प्रत्येक मामले में आय-कर की बकाया मांग 10 लाख रुपये से अधिक की है अथवा जहां प्रत्येक मामले में धन-कर अथवा दान-कर की बकाया मांग 25,000 रुपये से अधिक की है, उन मामलों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध है। इस सूचना के अनुसार, पूर्वोक्त 980 कम्पनियों में से :—

(i) 31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार, 47 कम्पनियों में प्रत्येक के मामले में 10 लाख रु० से अधिक की **आय-कर** की मांग बकाया थी और 31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार, इन 47 कम्पनियों के मामले में आय-कर की बकाया की कुल रकम 24.20 करोड़ रु० सकल बकाया के रूप में और 7.23 करोड़ रु० शुद्ध बकाया के रूप में थी।

(ii) 31-3-1977 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक मामले में 25,000 रु० से अधिक की **धन-कर** की मांग एक कम्पनी के विरुद्ध बकाया थी, जिसमें 96,000 रु० की रकम अन्तर्ग्रस्त थी ; और

(iii) 31-3-1977 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक मामले में 25,000 रु० से अधिक की **दान-कर** की मांग किसी भी कम्पनी के विरुद्ध बकाया नहीं थी।

(ग) कर की बकाया का तथ्य एक निरन्तर चलते रहने वाला तथ्य है। यद्यपि किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बाकी पड़े कर की वर्ष के अन्त तक पर्याप्त मात्रा में वसूली/कमी हो जाती है, तथापि बकाया रकमें मुख्यतया इस वजह से पुनः बढ़ जाती हैं कि वर्ष के दौरान जारी की गई कर की नयी मांग के एक भाग की अनेक कारणों से पूरी तरह वसूली नहीं की जा सकती है और वह रकम वर्ष के अन्त तक कर की नयी बकाया बन जाती है।

प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए कर की बकाया को वसूल करने के लिए सम्बन्धित आय-कर प्राधिकारियों द्वारा आय-कर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुसार समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(क) कर की अदायगी विलम्ब से करने के कारण ब्याज लगाना ;

(ख) कर की अदायगी नहीं करने के कारण अर्थ दण्ड लगाना ;

(ग) बाकीदार को प्राप्य रकमों का अधिग्रहण ; तथा

(घ) चल/अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण तथा उनकी बिक्री।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भारत द्वारा निर्यात

3356. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय चाहता है कि भारत अपना निर्या कम करे ; और

(ख) क्या जनेवा में टैरिफ और व्यापार का सामान्य करार संबंधी 'मल्टी फाइव समझौते का नवीकरण शीघ्र ही होने वाला है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग)

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने उन्हें होने वाले हमारे निर्यातों में सामान्य प्रकार की को कटौती करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। जहां तक वस्त्रों का संबंध है, यूरोपीय आर्थि समुदाय इस समय सभी सप्लायरों के आयात प्रवेश को 1976 के स्तरों पर स्थिर करने आधार पर, भारत सहित सभी सप्लायर देशों के साथ अपने द्विपक्षीय करारों के नवीकर के बारे में बातचीत कर रहा है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हमारे वस्त्र संबंधी करा के नवीकरण के लिए वार्ताएं चल रही हैं।

(ख) गाट के अंतर्गत बहु-रेशा करार के नवीकरण के लिए जो 31 दिसम्बर, 197 को समाप्त होना है, बातचीत चल रही है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारतीय बैंकों में जमा कराई गई धनराशि

3357. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीयों ने, जब विदेशी मुद्रा की आमद ब गई है तो, भारतीय बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती के निर्णय बारे में असंतोष व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और विदेश में रहने वाले भारतीयों को विदेशों के बैंकों में धन जमा कराने के बजाय भारतीय बकों अधिकाधिक धन जमा कराने के प्रति आकर्षित करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सिंडीकेट बैंक द्वारा मैसर्स सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी को दिया गया ऋण

3358. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि सिंडीकेट बैंक ने प्रतिभूति सम्बन्धी उचित प्रक्रिया अपनाये बिना बम्बई की मेसर्स सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी को ऋण की बहु बड़ी राशि दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मामले की जांच की है और यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मसर्स बड़ौदा इलैक्ट्रिक मीटर ए/सी को भी काफी धन दिया गया है और यदि हां, तो क्या इस बारे में भी उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सिण्डीकेट बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्स सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी तथा बड़ौदा इलैक्ट्रिक मीटर लि० को ऋण सुविधाओं की मंजूरी दे दी है। बैंक ने दिये गये अग्रिमों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की है।

बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं तथा व्यवहार के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रशासित करने वाले नियमों के उपबन्धों के अनरुप भी, बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों से सम्बन्धित सूचना प्रत्यक्ष प्रकट नहीं की जाती ।

करों की चोरी के लिए दोषी पाये गये उद्योग

3359. **श्री के० मालन्ना**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि एक 'विशष सीमा' तक करों की चोरी के लिये दोषी पाये गये उद्योगों को सार्वजनिक हैसियत अथवा सरकारी संरक्षण न दिया जाय ;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उन कर अपवंचकों की किसी सूची की घोषणा की है जो सरकार और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कच्चे माल की सप्लाई और अन्य लाभ बन्द करने और उनके आयात लाइसेंस रद्द करने के कोई आदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने सिफारिश की है कि कर-अपवंचन को रोकने की दृष्टि से अनुसूचित बैंकों को चाहिए कि वे कर-अपवंचकों को 25,000 रु० से अधिक की ऋण सुविधाएं नहीं दें। सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हुए यह निर्णय किया है कि :

(i) आय/धन के छिपाये जाने के लिए लगाये गये अर्थदण्ड के ऐसे गम्भीर मामलों के बारे में, जिनमें कोई अपील दायर नहीं की जाती है अथवा अपील दायर की जाती है परन्तु दण्ड सम्बन्धी आदेश को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आंशिक रूप से अथवा पूर्णत: उपयुक्त ठहराया जाता है; तथा

(ii) ऐसे सभी कर-दाताओं के बारे में, जिन्हें आयकर विभा द्वारा इस्तगासे की कार्यवाही की जाने पर किसी न्यायालय द्वारा कर सम्बन्धी धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाया गया हो, एक सूची बैंकिंग विभाग को भेजी जाय। बैंकिंग विभाग

अनुसूचित बैंकों को इस आशय के उपयुक्त अनुदेश जारी करेगा कि इस तरह के कर-अपवंचकों को इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक 1 लाख रु० से अधिक की ऋण सुविधा नहीं दी जाय ।

(ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायगी ।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस देना

3360. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्ही सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है और यदि हां, तो उन सार्वजनिक उपक्रमों के नाम क्या हैं और उसके कारण क्या हैं ;

(ख) किन्हीं उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस देने की कसौटी क्या है ; और

(ग) क्या सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को तथा देश में सभी सरकारी कर्मचारियों तथा अर्धसरकारी कर्मचारियों को भी बोनस देने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : जो सरकारी उद्यम बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के सीमा-क्षेत्र में आते हैं, उनके कर्मकारी अधिनियम में निर्धारित की गई मात्रा में बोनस पाने के हकदार हैं । लेकिन जिन सरकारी उद्यमों पर बोनस अदायगी अधिनियम, उसकी धारा 20 में निर्धारित शर्तें पूरी न करने के कारण लागू नहीं होता, उनके कर्मचारियों के बारे में सरकार ने यह निर्णय दिया है कि उन्हें उतनी ही राशि का अनुग्रही भुगतान कर दिया जाय जितनी कि बोनस अदायगी अधिनियम लागू होने की स्थिति में उन्हें बोनस मिलता । अनुग्रही भुगतान सम्बन्धी यह निर्णय 1976 के किसी भी दिन से प्रारम्भ होने वाले लेखा-वर्ष के लिए किया गया है । कर्मचारियों को बोनस/अनुग्रही राशि के भुगतान के बारे में वास्तविक सूचना 135 उद्यमों से प्राप्त हुई है। इन उद्यमों में से जिन उद्यमों में बोनस/अनुग्रही राशि का भुगतान कर दिया गया है, या किया जा रहा है, उनके नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-1315/77**] ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों में पूंजी-निवेश

3361. श्री चित्त बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों में कुल कितना पुंजी-निवेश किया गया है; और

(ख) ऐसे पूंजी-निवेश के मोटे तौर पर क्या मापदंड हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत

की गई वित्तीय सहायता की 30 सितम्बर, 1977 की स्थिति का राज्यवार वितरण संलग्न I और II में दिया गया है।

अन्य अखिल भारतीय सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा भारतीय विविध बीमा निगम के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना जहां तक सम्भव है इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य यदि हो तो उस मापदण्ड से है जो वे वित्तीय संस्थाएं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपनाती है कि उन के द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता औद्योगिक विकास में विभिन्न राज्यों अथवा क्षेत्रों के बीच विद्यमान क्षेत्रीय विषमता को कम करने में मदद दे।

उद्योग को वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता उन के द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्थान पर निर्भर होती है। संस्थाओं का स्वयं परियोजना के स्थान के चयन पर कोई सीधा नियंत्रण नही है क्योंकि स्थान का निर्धारण संप्रवर्तक (प्रोमोटर) द्वारा किया जाता है और/अथवा औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन सरकार द्वारा जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस में अंकित होता है। तथापि वे किसी परियोजना विशेष को सहायता मंजूर करते समय उस के स्थान की उपयुक्तता, उस की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, उस की वित्तीय और वाणिज्यिक सक्षमता, प्रबन्धकों की परियोजना को सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने की योग्यता तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परियोजना के आर्थिक औचित्य की जांच करती है।

ये संस्थाएं पिछड़े क्षेत्रों आदि के तकनीकी उद्यमकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को सहायता देने पर विशेष ध्यान देती हैं। वे इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि कोई भी औद्योगिक परियोजना विशेषकर जो पिछड़े क्षेत्र में हो, संस्थागत सहायता की कमी की वजह से समाप्त न हो। विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों मे स्थित औद्योगिक परियोजनाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से रियायती शर्तों पर सहायता प्राप्त करने की हकदार हैं। वे इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि औद्योगिक विकास में (i) विभिन्न राज्यों के बीच अथवा (ii) विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्याप्त विषमता उत्तरोत्तर कम हो।

विवरण-I

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता की 30 सितम्बर, 1977 की स्थिति का राज्यवार वितरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(करोड़ रुपये)
	स्वीकृत रकम
1. आंध्र प्रदेश	136.13
2. असम	38.35

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत रकम
. . बिहार	83.25
4. गुजरात	354.55
5. हरयाणा	58.59
6. हिमाचल प्रदेश	11.92
7. जम्मू और कश्मीर	19.32
8. कर्नाटक	159.96
9. केरल	81.75
10. मध्य प्रदेश	71.79
11. महाराष्ट्र	451.77
12. मणिपुर	00.30
13. मेघालय	4.09
14. नागालैण्ड	1.01
15. उड़ीसा	46.21
16. पंजाब	54.98
17. राजस्थान	80.07
18. सिक्किम	--
19. तमिलनाडु	283.83
20. त्रिपुरा	1.72
21. उत्तर प्रदेश	203.77
22. पश्चिम बंगाल	173.62
23. संघ राज्य क्षेत्र	
(क) अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.22
(ख) अरुणाचल प्रदेश	0.56
(ग) चंडीगढ़	3.21
(घ) दिल्ली .	40.61
(ङ) मीजोरम . . .	--
(च) गोआ, दमण और दीव .	64.27
(छ) दादरा और नगर हवेली . . .	0.89
(ज) पांडीचेरी	6.68
(झ) लक्ष द्वीप/मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह .	--
जोड़	2434.43

टिप्पणी :

वित्तीय सहायता में निर्यात, हामीदारी, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के शेयरों और ऋण पत्रों में भिदान, औद्योगिक ऋण और निर्यात ऋणों का पुनर्वित्त, हुण्डियों को पुनः भुनाना और गारंटी सहित प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं।

विवरण-II

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी०)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता (निवल) को 30 सितम्बर, 1977 की स्थिति का राज्यवार वितरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत रकम (करोड़ रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	53.88
2.	असम	11.04
3.	बिहार	32.41
4.	गुजरात	47.41
5.	हरियाणा	27.45
6.	हिमाचल प्रदेश	2.09
7.	जम्मू और कश्मीर	1.40
8.	कर्नाटक	45.75
9.	केरल	20.23
10.	मध्य प्रदेश	17.76
11.	महाराष्ट्र	132.19
12.	मेघालय	2.84
13.	नागालैण्ड	0.50
14.	उड़ीसा	16.45
15.	पंजाब	13.56
16.	राजस्थान	28.45
17.	तमिलनाडु	82.19
18.	त्रिपुरा	0.80
19.	उत्तर प्रदेश	79.45
20.	पश्चिम बंगाल	54.47
21.	अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	0.42
22.	दिल्ली	6.59
23.	गोआ, दमन और दीव	4.75
24.	पांडीचेरी	1.89
	जोड़	683.17

टिप्पणी :

वित्तीय सहायता में प्रत्यक्ष ऋण हामीदारी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के शेयरों और ऋण-पत्रों में प्रत्यक्ष अभिदान और गारंटी शामिल है ।

राज्यों की जनसंख्या की तुलना में दिया जाने वाला केन्द्रीय करों का अंश तथा उन्हें दिया जाने वाला सांविधिक अनुदान

3362. श्री चित्त बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1967–77 की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को उसकी कुल जनसंख्या की तुलना में केन्द्रीय करों का कितने प्रतिशत अंश दिया गया और उन्हें कितने प्रतिशत सांविधिक अनुदान दिया गया ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें मांगी गयी सूचना दी गयी है––

विवरण

राज्य	1967–77	
	केन्द्रीय करों और सांविधिक अनुदानों में कुल हिस्से का प्रतिशत	1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	7.99	8.04
असम	4.16	2.70
बिहार	8.97	10.41
गुजरात	4.14	4.93
हरियाणा	1.35	1.86
हिमाचल प्रदेश	1.37	0.64
जम्मू और कश्मीर	2.25	0.85
कर्नाटक	4.64	5.41
केरल	4.88	3.94
मध्य प्रदेश	6.05	7.70
महाराष्ट्र	8.41	9.31
मणिपुर	0.80	0.20
मेघालय	0.55	0.19
नागालैंड	1.46	0.10
उड़ीसा	5.84	4.05
पंजाब	1.96	2.50
राजस्थान	5.38	4.76
तमिलनाडु	6.41	7.61
त्रिपुरा	0.88	0.29
उत्तर प्रदेश	14.07	16.32
पश्चिम बंगाल	8.44	8.19
सभी राज्य	100.00	100.00

टिप्पणी:––1967–77 की अवधि में कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया और कुछ नए राज्य अर्थात् असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बनाए गए। ऐसे मामलों में कुल हिस्से की जो प्रतिशतताएं दी गयी हैं वे (इन राज्यों के पुनर्गठन से पहले की अवधि की अथवा बाद की जैसी भी स्थिति रही हो) इन्हें राज्य का दर्जा मिलने की तारीख से, संबंधित अवधि के दौरान जिन वास्तविक रकमों की अदायगी इन्हें की गयी है उन्हें हिसाब में लेने के बाद निकाली गयी है।

बेगमपेट हवाई अड्डे पर हवाई माल काम्पलेक्स

3363. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार बेगमपेट हवाई अड्डे पर हवाई माल काम्पलेक्स बनाने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ;

(ग) राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की निर्यात योग्य वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना से राज्य को निर्यात वृद्धि में किस सीमा तक सहायता मिल सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। एक 'इंटेग्रेटेड एयर कार्गो काम्प्लेक्स' स्थापित किया गया है जिसने 17-11-1977 से हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे के निकट कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार के वाणिज्य एवं निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय ने जिसने हैदराबाद में एयर कार्गो काम्प्लेक्स की स्थापना करने के लिए यातायात संबंधी सर्वेक्षण किया था, अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया था कि बेगमपेट हवाई अड्डे पर 'इंटेग्रेटेड एयर कार्गो काम्प्लेक्स के माध्यम से इसके परिचालन के पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्षों के दौरान क्रमशः 1200 लाख रुपए, 1400 लाख रुपए तथा 1640 लाख रुपये के मूल्य का निर्यात होगा। मूल्य विषयक इन पूर्वानुमानों का संबंध ऐसे 12 वर्गों के पदार्थों से है जिनकी विमानों द्वारा निर्यात की संभावनाएं काफी अधिक है, जैसे ताज़ी सब्जियां, ताजा फल, तैयारशुदा भोजन, पोल्ट्री तथा पोल्ट्री प्रौडक्ट्स, हैंडलूम्स, सिसे सिलाए कपड़े, दस्तकारी का सामान, रसायन, इंजीनियरी का सामान तथा शीशा व शीशे का सामान।

इंटेग्रेटेड एयर कार्गो काम्प्लेक्स के बेगमपेट हवाई अड्डे के पास होने से एक्सपोर्ट कार्गो के डाकूमेन्टेशन और निरीक्षण का कार्य "एग्जिट प्वांइट' के बजाय उत्पादन स्थल के निकटतर होने के कारण अधिक आसानी से हो सकेगा और इसलिए निर्यातकर्ताओं के हित में अत्यधिक लाभकारी होगा और निर्यात व्यवसाय में अधिकाधिक उद्यमियों को आकृष्ट करेगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध की गई जांच

3364. **श्री के० राममूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्टेट बैंक आफ इंडिया के जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध जांच की तथा यह जांच किन आरोपों के आधार पर की गई;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किन कर्मचारियों/धिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया ;

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने बैंक के किन कर्मचारियों/अधिकारियों के मामले में उन पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया ;

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किन कर्मचारियों/अधिकारियों के मामलों में जांच करने के बाद उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की है ;

(ङ) स्टेट बैंक आफ इंडिया ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद किन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की अथवा की है ; और

(च) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बावजूद बैंक के किन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई अथवा नहीं की गई; और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (च) यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

TOURIST DEVELOPMENT OF BUDDHIST PILGRIM PLACES OF U.P.

3365. SHRI UGRASEN : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the action being taken by Government for the tourist development of prominent Buddhist pilgrim places of Uttar Pradesh such as Pawa Nagar, Shrivasti, Navgarh, Kapilvastu, Piparahwa; and

(b) whether the countries such as Sri Lanka, Burma, Thailand, Cambodia, Japan etc., have also given an assurance for assistance for the development of these Buddhist pilgrim places

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The Central Department of Tourism proposes to take up the development of major Buddhist centres such as Bodhgaya, Rajgir, Nalanda, Sarnath, Kushinagar and Sravasti. To begin with master plans (land-use plans) of Rajgir, Nalanda, Sarnath, Kushinagar and Sravasti have been prepared, and that of Bodhgaya will be taken up during 1977-78. Based on these master plans, tourist facilities such as different types of accommodation, cafetaria, car park, etc. will be developed, measures for environmental improvement will be taken to enhance the natural setting of the monuments.

(b) The question does not arise, as no assistance has been requested from the Governments of Sri Lanka, Burma, Thailand, Cambodia, Japan, etc. for the development of places of Buddhist pilgrimage in the country.

CREDIT FOR RURAL DEVELOPMENT BY NATIONALISED BANKS

3367. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have asked the banks to advance more credit for rural development; and

(b) if so, the extent thereof and from what date ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) Government have advised the public sector banks to make every effort to deploy about 60% of the total deposits mobilised by them through their rural and semi-urban branches in those very areas by the end of March, 1979. The Government have also asked the public sector banks to ensure that 33-1/3rd per cent of their total advances by the end of March, 1979 should be made to the priority sectors, including agriculture.

PROPER FUNCTIONING OF YOUTH HOSTELS

3368. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that youth hostels are not functioning satisfactorily; and

(b) if so, the steps being taken by Government for their improvement ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) While the youth hostels are being managed well, their occupancy is not satisfactory.

(b) A Study Team is being constituted by the Government to suggest measures for

further improvements in the functioning and increase in the occupancy of youth hostels. In addition the Team will study the functioning of Tourist Bungalows and Travellers Lodges managed by the State Government Tourist Departments and India Tourism Development Corporation.

राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातू व्यापार निगम के प्रबन्धकों के विरुध शिकायतें

3369. **चौधरी बलबीर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कितने अधिकारियों को मुअत्तल किया गया तथा त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये तथा उपरोक्त अधिकारियों में से कितनों को सेवा में बहाल किया गया तथा कितनों को बहाल किया जाना है ;

(ख) उन प्रबन्धकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं हैं, उनको मुअत्तल करने के आदेशों का ईमानदारी से पालन किया ; और

(ग) सरकार को राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों से कार्मिक डिवीजन में प्रबन्धकों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तीस बड़े उद्योग गृहों की ओर आयकर की बकाया राशि

3370. **चौधरी बलवीर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 अक्टूबर, 1977 को, चण्डीगढ़ से प्रकाशित दैनिक 'दि ट्रिब्यून) में छपे इस समाचार की ओर गया है कि 30 बड़े उद्योग-गृहों की ओर आय-कर के रूप में 26.17 करोड़ रुपये की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो इतनी बड़ी बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मुद्रा स्फीति रोकने के उद्देश्य से इस बकाया राशि को तुरन्त वसूल करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) जी, हां। जिन प्रत्येक अलग-अलग मामलों में आयकर की बकाया की रकम 10 लाख रुपये से अधिक है, उनके सम्बन्ध में, इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित 63 मामलों में, 31-3-77 की स्थिति के अनुसार, बाकी बड़ी सकल आयकर की मांगों की रकम 26.17 करोड़ रुपये थी। आयकर की शुद्ध बकाया की तद्नुरूपी रकम 11.44 करोड़ रुपये थी।

'ख) तथा (ग) 31-3-77 को 26.17 करोड़ रुपये की जो मांग बकाया पड़ी थी उसे 30-9-77 तक कम करके 21.65 करोड़ रुपये तक ला दिया गया है : करों की वसूली

सामान्यतः मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने में सहायक होती है, किन्तु भारत में सरकारी व्यय की कुल मात्रा पर विचार करते हुए, ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि पूर्वोक्त रकम से मुद्रा-स्फीति के दबाव में कोई महत्वपूर्ण अन्तर आयेगा। लेकिन, प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया रकम को वसूल करने के लिये असम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार समय समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। इन उपायों में ये उपाय शामिल हैं :—

(क) कर की अदायगी विलम्ब से करने के कारण ब्याज लगाना ;

(ख) कर की अदायगी नहीं करने के कारण अर्थदण्ड लगाना ;

(ग) बाकीदार को प्राप्य रकमों का अधिग्रहण ; तथा

(घ) चल/अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा उनकी बिक्री।

निर्यात किये जाने वाले अभ्रक के उत्पाद

3371. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता कस्टमस पब्लिक नोटिस संख्या 192 दिनांक 25-9-72 के अनुसार निर्यात टैरिफ की मद 25 के अधीन अभ्रक पर आधारित टोस्टर ऐलीमेंट्स और अभ्रक से बने इलैक्ट्रानिक सब असम्बलीज पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता ;

(ख) क्या उपरोक्त पब्लिक नोटिस मई, 1975 तक लागू रहा था ;

(ग) यदि हां, तो इस पब्लिक नोटिस का कलकत्ता कस्टम्स नोटिस संख्या 40 दिनांक 28 मई, 1975 द्वारा किन परिस्थितियों में रूपभेद किया गया था जिससे इन मदों पर 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क लग गया और जिसका उनके निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा और जिसके परिणामस्वरूप इन अभ्रक उत्पादों का उत्पादन बन्द हो गया ; और

(घ) क्या अभ्रक उद्योगों की सहायता करने और सस्ते सिन्थेटिक उत्पादों के मुकाबले में अभ्रक उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिये, मई, 1977 में जारी किया गया पब्लिक नोटिस संख्या 40 रद्द कर देने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) सार्वजनिक सूचना सं० 192, दिनांक 25 सितम्बर, 1972 को जारी करके कस्टम हाउस, कलकत्ता ने अधिसूचित किया था कि अभ्रक से बने टोस्टर के एलीमेंटों के आधार, अभ्रक के तैयार वाशर तथा अभ्रक से बनी इलैक्ट्रानिक सब असेंबलीज जैसी मदों के वर्गीकरण के प्रश्न पर समीक्षा करने के बाद विनिश्चय किया गया था और कि ये मदें निर्यात टैरिफ की मद 25 के अंतर्गत नहीं आयेंगी।

सार्वजनिक सूचना सं० 40 दिनांक 25 मई, 1975 इस बात को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी कि यदि अभ्रक से बनी वस्तु एक बार मशीन, उपकरण तथा सहायक सामान का अभिज्ञातव्य अंग बन जाए तो वह अभ्रक नहीं कहलायेगा और निर्यात टैरिफ की मद 25 के अंतर्गत नहीं आयेगा। उपर्युक्त को देखते हुए, इस सार्वजनिक सूचना को रद्द करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

DEVELOPMENT OF PLACES OF TOURIST INTEREST IN BIHAR

3372. SHRI R. L. P. VERMA : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there are hundreds of temples with thousands of artistic idols Shewaitember and Digambar dieties on the Parsnath hill (Gridih) and in its terai area in Bihar where Jains from all over the country come for darshan and other people also visit the place;

(b) whether 'Surya Kund' in the Barkatta block in Hazari Bagh is situated and surrounded by scenic beauty having many sulphuric hot water-falls there and the hot water-falls of Giridih are also located at beautiful spot;

(c) whether the Government of India have any scheme for the development of these beautiful spots; if not, whether Government propose to develop these Centres to attract Indian and foreign tourists and earn revenue there; and

(d) whether the Government will conduct a survey about the utility of these spots through exports ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a), (b) and (c) Parsnath hill and 'Surya Kund' in Bihar would no doubt be included among the many places of scenic beauty and places of historical, archaeological and rel gious importance, in which the country abounds. However, limited resources necessitate a selective approach to the development of tourist centres. In view of this, and the emphasis in the Central Sector being on the development of tourist centres which stimulate international tourism, there are at present no proposals in the Central Sector to develop the centres mentioned above.

(d) There is no proposal in the Central Sector to undertake a survey of the above centres, again due to limited resources and other priorities.

FOREIGN EXCHANGE EARNED DUE TO EXPORT OF JUTE

3373. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) the foreign exchange earned by Government from the Jute Industry during the last two years;

(b) the names of the firms which have been given licences for the export of jute products to foreign countries; and

(c) whether jute products have been exported to foreign countries through Government agencies also ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Foreign Exchange earned by the export of jute goods during 1975-76 and 1976-77 has been as under :—

Year	*Value (Rs. lakhs)*
1975-76	24932
1976-77	19924

(b) No licence is required for the export of jute products from India to permissible destinations.

(c) State Trading Corporation of India and Jute Corporation of India have also been permitted to export jute goods.

चाय पर से निर्यात शुल्क का हटाया जाना

3374. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से चाय पर से निर्यात शुल्क उठा लेने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां ।

(ख) परिस्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है तथा निर्यात शुल्क के पुन: समायोजन के प्रश्न पर यदि और जब कभी आवश्यक होगा, विचार कर लिया जाएगा।

DEVELOPMENT OF 'SURKUTI RUNAKTA' AS PLACE OF TOURIST INTEREST

3376. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop 'Surkuti Runakta a place near Agra as a place of tourist interest during the Sur Panchshati year (500th Anniversary of Surdas);

(b) whether it is a fact that crores of persons from the country and abroad will visit this place in 1978 to pay their homage to this great poet;

(c) the schemes to develop this area keeping in view this celebration;

(d) whether 'Surpanchshati Rashtriya Samaroh Samiti' (National Celebration Committee on 500th Anniversary of Surdas) has submitted any propisal in this regard; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) (a) There is no proposal at present to develop 'Surkuti Runakta' as a tourist centre in the Central Sector.

(b) No definite information is available as to how many People will visit the 'Surkuti Runakta' during 1978, but it is understood that a large number of visitors are expected to pay their homage to the great poet.

(c) and (d) The Central Department of Tourism has no schemes in connection with the 500th Anniversary of Surdas, nor any schemes have been received from the Surpanchshati Samaroh Samiti.

(e) Does not arise.

STATE TRADING CORPORATION

3377. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the name of goods in which the State Trading Corporation is dealing;

(b) the names of goods being exported and imported through this Corporation;

(c) the profit earned by the Corporation each year during the last three years; and

(d) the schemes of the Corporation for increasing its trade in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b) A statement is enclosed.

(c) The profit (after tax) earned by the Corporation during the last three years is given below :—

Year	(*Rs. lakhs*)
1974-75	645.99
1975-76	570.39
1976-77	944.33

(d) The Corporation proposes to take the following steps for increasing its future trade :—

(i) Promote more value added items.

(ii) Extend the consortia approach to a larger number of products specially manufactured in the small scale sector.

(iii) Identify new items for inclusion in its export basket.

(iv) Locate new markets for the existing range of products.

(v) Extend assistance particularly to units in the small scale sector in the form of machinery, raw material assistance.

(vi) Provide assistance in the creation of infra-structure required for export quality production.

(vii) Carrying out detailed country/commodity plans in close co-ordination with the branches and foreign offices.

Statement

The following are the main items of export and import in which STC is dealing :—

Items of Import	Items of Export
	Tobacco
Dry Fruits	Coir Products
Brewery Hops (c)	Coffee
	Natural Rubber (c)
Cork wood (c)	Opium (c)
Gum Arabic (c)	Lemon Gas Oil.
Peppermint Oil	Kuth Roots (c)
	Henna powder
	Rice (c)
Live-Stock	Spices
Various edible oils (canalised for Vanaspati industry only)	Barley
	Processed Foods
	Tea
Muttan Tallow (c)	Wheat Bran
Caprolactum (c)	Peanuts
	Walnuts
Polyester Filament Yarn (c)	Caster Oil (c)
DMT (c)	Winseed Oil
MEG (c)	Live Stock
	Fresh & Chilled meat
Woollen R (c)	Dried Fish (c)
	Marine Products
Newsprint (c)	Cement (c)
Books (c)	Shellec (c)
	Salt (c)
	Semi-processed Leather (c)
	Finished Leather
	Leather Footwear (c)
	Leather Components
	Other Footwear (c)
	Woollen Knitwear (O.G. Shade) (c)
	Uniforms and Misc. items
	Jute goods
	Readymade garments
	Art Silk Fabrices.
	Cotton & Woollen Textiles
	Construction material
	Cosmetics
	Toiletries
	Sports Goods.
	Vacuum Flasks
	Departmental Stores
	Hospital Equipment
	Dry Batteries
	Silverware and other Misc. items
	Sugar (c)
	Silver (c)

Raw Material Assistance Centre

Photogrphic equipment
Photo grahic Goods
Industrial Paper & Board
Chemicals/Pharma ceuticals
Pesticides items on stock and sale.
Domestic
Imported Cars

N.B. : (c) Stands for items canalised through STC.

प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण

3378. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे उत्पादकों द्वारा प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के खर्च को ध्यान में रखते हुए उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार छोटे उत्पादकों के प्रति न्याय करने के लिये 1 अप्रैल, 1978 से नया उचित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां ।

(ख) रबड़ का संशोधित न्यूनतम मूल्य जो 6 अगस्त, 1977 को अधिसूचित किया गया था वह मार्च, 1978 के अंत तक की अवधि के लिए है । तथापि, 31 मार्च, 1978 से पहले स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से फालतू रबड़ का निर्यात

3379. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तबर, 1977 तक माण्डा में कितनी रबड़ फालतू बची पड़ी रही ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को फालतू रबड़ का निर्यात करने के निदेश दिये हैं ; और

(ग) क्या सरकार सभी संभव स्रोतों के माध्यम से रबड़ का असीमित मात्रा में आयात करने की अनुमति दे देगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1977-78 के अंत में देश में प्राकृतिक रबड़ की वेशी मात्रा 12,000 मे० टन के आस पास होने का अनुमान है । अक्तूबर, 1977 के अंत के वेशी रबड़ के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) अभी तक रबड़ के निर्यात केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होते हैं । 1977-78 के दौरान राज्य व्यापार निगम को आरंभ में 5,000 मे० टन की मात्रा का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । राज्य व्यापार निगम को रबड़ की और अधिक मात्रा का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत करने की प्रस्थापना विचाराधीन है ।

केरल में "थेक्काडी" के निकट हवाई अड्डा

3380. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की केरल के इडुक्की जिले में "थेक्काड़ी" जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है, के निकट छोटा हवाई अड्डा खोलने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऊपर (क) को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में कार्य कर रहे केरल वासियों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

3381. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्य कर रहे केरल वासियों ने वित्तीय वर्ष 1976-77 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ; और

(ख) क्या भारत सरकार का विचार केरल सरकार को अन्य देशों के सहयोग से केरल में उद्योग स्थापित करने के लिए उपरोक्त विदेशी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति देने का है ।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ऐसे विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में भारत भेजी गई आमदनी का राज्य-वार ब्यौरा दिया गया हो ।

(ख) जी, नहीं । विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की उनके गुणदोषों के आधार पर जांच की जाती है और ऐसा करते समय इस बात का विचार नहीं किया जाता कि विदेशी मुद्रा किसी राज्य विशेष के निवासियों द्वारा भेजी या प्राप्त की गई है ।

FOREIGN EXCHANGE EARNED BY LAKE PALACE HOTEL, UDAIPUR

3383. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by Lake Palace Hotel, Udaipur from tourists during 1975-76 and 1976-77; and

(b) whether the management of the Hotel follow all Government rules in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Lake Palace Hotel, Udaipur is a private sector hotel. However, the amount of foreign exchange earned by the hotel, as reported by the hotel management, was Rs. 27.33 lakhs and Rs. 54.73 lakhs during 1975-76 and 1976-77 respectively.

(b) The Department of Tourism is not aware of the hotel having contravened any Government rules in this regard.

लेक पैलेस होटल उदयपुर के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष

3384. श्री लालजी भाई : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेक पैलेस होटल, उदयपुर के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष का विदेशी पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) उदयपुर का लेक पैलेस होटल एक प्राइवेट पार्टी का होटल है और उसका प्रबंध भी प्राइवेट पार्टी द्वारा ही

किया जा रहा है। परन्तु उसके कर्मचारियों में किसी प्रकार के असंतोष की ओर इस मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है। इसलिये विदेशी पर्यटकों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

INCREASE IN CHARGES OF LAKE PALACE HOTEL, UDAIPUR

3385. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the extent to which Lake Palace Hotel, Udaipur has increased its charges during the past one year;

(b) the main reasons for this increase; and

(c) whether the salaries of the employees have also been increased in the same proportion ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The Lake Palace Hotel, Udaipur has not increased its tariff during the past one year.

(b) and (c) Does not arise.

सूखे मेवों के आयात से सम्बन्धित नीति को उदार बनाना

3386. श्री लखनलाल कपूर
श्री के० प्रधानी } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977-78 में सूखे मेवों की आयात नीति को उदार बनाया गया है, यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारी मात्रा में सूखे मेवों के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन-किन फर्म/पार्टियों को लाइसेंस दिये गये और वे कितने-कितने मूल्य के थे; और

(ग) क्या यह सच है कि कोई नया व्यक्ति आयात लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र नहीं है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के व्यापार निर्बन्धात्मक और एकाधिकार की नीतियां समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। 1977-78 की आयात नीति के अनुसार मेवों के आयात लाइसेंस मुक्त रूप से दिये जाते हैं। अफगानिस्तान आदि के साथ हुई व्यापार व्यवस्थाओं के अधीन भी आयात पहले की तरह हो रहे हैं। मुक्त लाइसैंसिंग नीति के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को मेवों के लिये आयात लाइसैंस अधिक से अधिक 10,000 रु० मूल्य के लिये जारी किये जाते हैं।

(ख) मुक्त लाइसैंसिंग नीति के अन्तर्गत सितम्बर, 1977 तक जारी किये गये लाइसैंसों की संख्या तथा उनके मूल्य निम्नोक्त हैं :—

संख्या	मूल्य (करोड़ रु० में)
4889	5.93

अफगानिस्तान आदि के साथ हुई व्यापार व्यवस्थाओं के अधीन 1974-75 , 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान मेवों के आयात के लिये जारी किये गये आयात लाइसैंसों की संख्या तथा उनके मूल्य निम्नोक्त थे:—

अवधि	संख्या	मूल्य (करोड़ रु० में)
1974–75	5434	13.19
1975–76	3535	13.44
1976–77 . . .	3355	12.64

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किये गये लाइसैंसों के ब्यौरे बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसैंसिज, इंपोर्ट लाइसैंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसंसिज में प्रकाशित किये जाते हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को सप्लाई की जाती हैं।

(ग) जी नहीं। उदार बनाई गई नीति के अधीन सभी व्यक्ति स्टाक तथा बिक्री के लिये मेवों के आयात लाइसैंस प्राप्त करने के पात्र हैं।

आयकर, धन कर और सम्पदा शुल्क की 25 लाख रुपये से अधिक बकाया राशि वाली फर्में

3387. श्री लखनलाल कपूर
श्री ईश्वर चौधरी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर, धन-कर और सम्पदा-शुल्क की बहुत अधिक बकाया राशि इकट्ठी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें 25 लाख रुपये से अधिक देने हैं, यह धनराशि कब से देनी है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) आयकर, धन-कर और सम्पदा शुल्क की रकमें, जो 31-3-1977 की स्थिति के अनुसार बकाया पड़ी थीं, नीचे दी गई है:—

	आयकर	धन-कर	सम्पदा शुल्क
		(आंकड़े :	करोड़ रुपयों में)
सकल बकाया .	873.56	52.75	15.56
शुद्ध बकाया . . .	569.84	33.82	9.24

(ख) इस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर, जिन फर्मों (अर्थात् भागीदारी की कम्पनियों) के विरुद्ध 31-3-1977 को आय-कर की 25 लाख रु० से अधिक की रकमें बकाया थीं, उनके नाम तथा उनके बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार, ऐसी कोई फर्म नहीं थी जिसके विरुद्ध 25 लाख रु० से अधिक का धन-कर अथवा सम्पदा-शुल्क बकाया था।

विवरण

क्र० सं०	फर्म का नाम	बकाया पड़ी सबसे पुरानी मांग की तारीख तथा रकम		वसूली के लिए किये गये उपाय
		दिनांक	रकम	
			(लाख रु० में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै० चमन लाल एण्ड ब्रदर्स, बम्बई	20-2-71	0.29	कर की बकाया को वसूल करने के लिए सम्बंधित
2.	मै० गणेश नारायण ओंकारमल, बम्बई	कर-निर्धारण वर्ष 59–60 (तारीख उपलब्ध नहीं है)	0.64	आयकर प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति पर निर्भर करते
3.	मै० गंगाधर बैजनाथ, कानपुर	17-10-42	2.52	हुए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनु-
4.	मै० गुरुनानक फाइनेन्स कम्पनी, दिल्ली-1	11-11-75	2.03	सार समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं । किये
5.	मै० गिरिलाल मामचंद एण्ड कं०, गाजियाबाद	27-3-74	28.00	जाने वाले उपायों में निम्न-लिखित उपाय शामिल हैं :–
6.	मै० हिन्दुस्तान जनरल एजेंसीज, कलकत्ता	23-6-64	0.01	(क) कर की विलम्ब से की जाने वाली अदायगियों पर
7.	मै० जे० आर० पिल्लानी, बम्बई	अधिलाभ-कर लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	ब्याज लगाना ; (ख) कर अदा न करने पर अर्थ दण्ड लगाना ;
8.	मै० जैन मैटल इण्डस्ट्रीज, बम्बई ।	21-8-74	2.37	(ग) वाकीदार को प्राप्य धन का अधिग्रहण करना ;
9.	मै० लक्ष्मी वायर एण्ड मैटल इंडस्ट्रीज, नानदेड़	23-7-75	0.03	(घ) चल/अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण करना तथा उन्हें बेचना ।
10.	मै० मधुसूदन गोरधन दास एण्ड कम्पनी, बम्बई	15-3-67	0.78	
11.	मै० मन्नू लाल केदारनाथ, कानपुर	7-3-75	2.72	
12.	मै० मगनलाल हुकमचन्द, इन्दौर	कर-निर्धारण वर्ष 61–62 (दिनांक उपलब्ध नहीं है)	0.01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	मै० पाठक, ब्रदर्स, मेरठ	15-9-73	0.04	
14.	मै० पत्तु पद्मनाभ चेट्टी एण्ड संस, मद्रास	10-5-69	0.35	
15.	मै० रिलायबल ट्रेडर्स, बम्बई	30-3-74	2.81	
16.	मै० राय बहादुर श्रीराम दुर्गा प्रसाद एण्ड फतेहचंद नरसिंह दास (निर्यात) फर्म, नागपुर	15-3-66	0.25	
17.	मै० रामकृष्ण रामनाथ, काम्पटी	15-3-63	0.06	
18.	मै० आर० एन० श्रोफ, नादियाड़	12-3-74	9.59	
19.	मै० श्रीराम एण्ड सन्स, कलकत्ता	22-3-63	0.06	
20.	मै० सूरज मल नागर मल, कलकत्ता	7 वीं सी० ए० पी० कर-निर्धारण वर्ष 46–47 (तारीख उपलब्ध नहीं है)	45.15	
21.	मै० साइनफाइबर सेल्स कारपोरेशन, मोदीनगर	25-9-75	9.66	
22.	मै० साहिब सिंह एण्ड सन्स, बम्बई	18-1-75	0.05	
23.	मै० एस० बी० सुगर मिल्स, बिजनौर	28-5-75	1.08	
24.	मै० श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, तिरुपत्तूर	10-9-76	25.46	
25.	मै० टी० डी० मूर्ति एण्ड कम्पनी, मद्रास	कर निर्धारण वर्ष 68-69 (तारीख उपलब्ध नहीं है)	0.74	
26.	मै० यूनीवर्सल बुक स्टाल, कानपुर	24-3-77	25.62	
27.	मै० वेंकटेश्वर फेरी कम्पनी, राजामुन्द्री	18-11-70	0.42	

अमरीका में चीनी का आयात

3388. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने अपने देश में चीनी के आयात में कमी करने की कुछ कार्यवाही करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यवाही से हमारे देश से चीनी के निर्यात पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या यह उपाय अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के लक्ष्यों के विरुद्ध होगा ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) 12 नवम्बर, 1977 को सं० रा० अमरीका के राष्ट्रपति ने उद्घोषणाएं जारी की जिसके अन्तर्गत चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2,98,125 सैंट प्रति पौड़ (100 डिग्री पोलेरिटी के लिये) कर दिया गया तथा 6.67 सैंट से अनधिक मूल्य के चीनी आयातों पर 50 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर फीस लगा दी गई। 6.67 सैंट प्रति पौंड़ से अधिक लेकिन 10 सैंट प्रति पौंड़ से अनधिक मूल्य के चीनी आयातों पर फीस 10 सैंट तथा चीनी के मूल्य के बीच के अन्तर के बराबर होगी ।

सं० रा० अमरीका द्वारा की गई कार्यवाही का उद्देश्य यह समझा जाता है कि वह थोक घरेलू कीमत को अमरीकी कांग्रेस द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत तक लाना चाहता है। परन्तु, मात्रा सम्बन्धी कोई नये प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये ।

भारत से सं० रा० अमरीका को चीनी के निर्यात करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है । सं० रा० अमरीका को चीनी के निर्यातों की संभावनाएं अधिकांशतः उन प्रतिबन्धों की सीमा एवं किस्म पर निर्भर करेगी जो सं० रा० अमरीका अगले वर्ष के प्रारम्भ से बनाये रखेगा। वह नये अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के लागू होने की संभावनाओं पर तथा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि यह करार अन्तर्राष्ट्रीय चीनी बाजार को स्थिर करने में कहां तक सफल होगा ।

(ग) तथा (घ) चालू अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार में कोई आर्थिक खण्ड और उद्देश्यों का उल्लेख नहीं है क्योंकि यह करार तब तक के लिये अंतरिम रूप में लागू किया गया था जब तक कि आर्थिक खंडों सहित नया करार अंतिम रूप में तैयार न हो जाये ।

व्यापारिक मिशन की भारत यात्रा

3389. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री के० लकप्पा } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या परस्पर व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये चीन का कोई व्यापारिक मिशन भारत आया है अथवा निकट भविष्य में आने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) कुछ चीनी नेताओं ने भारत के साथ व्यापार सम्बन्धों को सुधारने की इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) तथा (ग) भारत के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों द्वारा, जिन्होंने अक्टूबर, नवम्बर, 1977 में कैनटन व्यापार मेले में भाग लिया था, की गई चर्चाओं से ऐसा समझा जाता है कि चीनी राष्ट्रीय आयात निर्यात निगमों के एक प्रतिनिधि मंडल का भारत आना संभव है ।

बैंक आफ अमेरिका द्वारा सहायता की पेशकश

3390. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ अमेरिका भारत को सहायता देने के लिए बहुत उत्सुक है और उसने निवेश के लिए अपनी रुचि बता दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस पेशकश का स्वागत किया है ;

(ग) क्या बैंक के पास कृषि विकास में सहायता देने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भारत कृषि विकास के लिए इस पेशकश को स्वीकार करने के लिए सहमत है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत की सहायता करने के प्रस्ताव के बारे में बैंक आफ अमेरिका से कोई पत्र रिजर्व बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है। अलबत्ता, बैंक आफ अमेरिका ने एर्नाकुलम (कोचीन) में अतिरिक्त शाखा खोलने के लिए एक आवेदन पत्र दिया है ।

(ग) रिजर्व बैंक को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भारत में कृषिक विकास में सहायता करने का उच्चतर का विशेष ज्ञान इस बैंक को है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा का अर्जन

3391. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में और जनता सरकार के पहले छः महीनों में कमाई गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरेवार आंकड़े क्या हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : माननीय सदस्य का अभिप्राय संभवतः निर्यात से होने वाली आय तथा अदृश्य आय की स्थित से है। हमारे विदेशी लेनदेनों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शोधन शेष के आंकड़ों के संकलन के साथ ही उपलब्ध

होता है । अभी तक मार्च, 1976 तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं और वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । इस के बाद की अवधि के लिए महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी द्वारा संकलित पुनः निर्यात सहित निर्यात के केवल अनन्तिम आंकड़े तथा निर्यात-भिन्न सकल प्राप्तियों के अनन्तिम अनुमान उपलब्ध हैं जो नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

	(अप्रैल से सितम्बर तक)		
	1976-77	1976-77	1977-78
निर्यात . .	5143	2330	2585
निर्यात-भिन्न प्राप्तियां (सकल)	1586	774	909
जोड़ . .	6729	3104	3494

राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कार्यकरण

3392. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सभा में यह वचन दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट और अन्य इसी प्रकार की भारत सरकार की वित्तीय संस्थाओं की उनकी नीतियों और कार्यकरण की प्रणालियों के बारे में पूरी जांच की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस प्रकार की जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ग) मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिये थोक व्यापारियों, उद्योगों और उप वाणिज्यिक कम्पनियों तथा निजी निर्यात और आयात एजेंसियों को ऋण देने पर नियंत्रण करने के लिये सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की नीतियों और कार्यचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि सरकार द्वारा निर्धारित किये गए समग्र लक्ष्यों की पुष्टि की जा सके । इस समय सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यचालन की, श्री जेम्स एस० राज और प्रोफेसर एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में अलग-अलग गठित दो समितियों द्वारा विशिष्ट रूप से समीक्षा की जा रही है । इन समितियों की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए, उनके परिचालनों में सुधार करने के समुचित उपाय किये जायेंगे रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों का निरीक्षण और जल्दी-जल्दी करने के लिये राजी हो गया है ।

विवरण
भारत के चालू खाते का शोधन शेष

(करोड़ रुपए)

	1973–74			1974–75			1975–76		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. माल	2350.7	2729.3	−378.6	3179.7	4156.9	−977.2	4177.6	4744.1	−566.5
ख. *अदृश्य मदें	556.4	568.0	−11.6	882.4	557.3	+325.1	1429.6	744.7	+684.9
(i) यात्रा	56.5	17.0	−39.0	94.0	15.1	+78.9	189.6	21.8	+167.8
(ii) परिवहन	144.0	107.4	−36.6	216.3	132.6	+83.7	259.9	195.8	+64.1
(iii) बीमा	21.1	13.6	−7.5	27.3	13.9	+13.4	38.3	24.4	+13.9
(iv) निवेश आय	41.9	304.8	−262.9	94.1	259.3	−165.2	116.2	285.5	−169.3
(v) सरकार, जिसे और कहीं शामिल नहीं किया गया	32.8	21.9	−10.9	74.6	30.2	+44.4	104.3	32.6	+71.7
(vi) विविध	56.8	91.3	−34.5	96.2	100.0	−3.8	180.1	171.2	+8.9
(vii) गैर सरकारी अंतरण अदायगियां	203.3	12.0	−191.3	279.9	6.2	+273.7	541.2	13.4	+527.8
जोड़ (क और ख)	2907.1	3297.3	−390.2	4062.1	4714.2	−652.1	5607.2	5488.8	+118.4

*सरकारी अन्तरण अदायगियों को छोड़कर।

(ग) और (घ) रिजर्व बैंक की ऋण-नीति इस प्रकार निर्धारित की गई है कि यथा सम्भव मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जा सके, परन्तु साथ ही साथ उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिये निवेश बढ़ाया जा सके तथा आयात द्वारा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति (सप्लाई) बढ़ायी जा सके। बैंकों द्वारा ऋण-प्रस्ताओं के पर्याप्त मूल्यांकन के लिये प्रक्रियायें बना ली गई हैं ताकि उनके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता आवश्यकता पर आधारित हो। गर-सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण वस्तुओं पर दिये गये नियमित ऋणों के प्रयोजन के लिये, रिजर्व बैंक के पास चयनात्मक ऋण नियंत्रण का एक विस्तृत तंत्र भी मौजूद है जिससे कि उसे बैंक ऋणों की सहायता से इन वस्तुओं की सट्टेबाजी के लिये की गयी जमाखोरी का पता लगता है।

अधिकारियों की विदेश यात्रा पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

3393. श्री अनन्त दवे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23-4-77 से 30-9-77 तक सरकार के श्रेणी एक के कितने अधिकारी विदेशों की यात्रा पर गए थे और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी ; और

(ख) क्या वित्त विभाग ने इस धनराशि की मंजूरी दी थी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विदेशों में भेजे गए अधिकारियों पर व्यय के अनुमानों की वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा करके स्वीकृति दी जाती है।

SILIGURI TEA AUCTION COMMITTEE

3394. SHRI CHATURBHUJ : Will the MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Siliguri Tea Auction Committee (Siliguri Chai Nilam Samiti) has presented to him any recommendations;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Yes, Sir.

(b) Main points raised in the recommendation are as follows :

(1) With a view to reducing ex-factory sales, a penal rate of sales tax should be levied on stock transfers and ex-factory sales or sales on consignment basis to other States.

(2) There should be uniform rate of State sales tax on tea.

(3) In view of the decline in tea prices in international markets, the export duty should be abolished.

(4) In view of the substantial increase in production, the restriction on exports may be removed.

(5) A major portion of the revenue from export duty may be set apart to form a tea development fund for development of tea plantation and improving housing facilities for tea labour.

(6) Agricultural income tax rate in the States should not exceed the rate of Central Income Tax.

(c) These suggestions are under consideration.

JEWEL INDUSTRY

3395. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state whether it is a fact that the Jewel Industry of the be pleased to state whether it is a fact that the Jewel Industry of the country is facing hard competition from other countries and if so, the steps being taken by Government to give protection to this industry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : The overall exports of Gem & Jewellery during 1976-77 are estimated of the order of Rs. 266.92 crores as against Rs. 129.68 crores in 1975-76. The increase, specially in diamond exports has been encouraging as it stood at about Rs. 231.05 crores during 1976-77 as against Rs. 99.08 crores in 1975-76. Exports of precious/semi precious stones, also are estimated to have increased from Rs. 18.78 crores in 1975-76 to Rs. 24.33 crores in 1976-77. While gem & jewellery exports have generally shown good progress in the recent past in the face of international competition, Government have taken the following steps *inter alia* in the interests of the industry and further growth of exports :

(i) Duty drawback : There is 5% auxiliary import duty on imported rough diamonds. In order to make our exports of polished diamonds competitive in the world market, Government has allowed refund of duty drawback at the rate of 3% on export of polished diamonds made against imported rough diamond of a certain caratage.

(ii) With a view to increase rough diamond resources particularly to the small scale sector of the trade for export purposes. Government has recently sanctioned setting up a new Public Limited Company under the name and style of M/s. Hindustan Diamond Company with its head office at Bombay under the Indian Companies Act, 1956.

As regards import duty incidence on other precious and semi precious stones etc. the matter is kept under continual review.

PRODUCTION OF OPIUM IN CHHABRA (RAJASTHAN)

3396. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the estimated annual production of opium in Chhabra, Rajasthan; and

(b) the schemes being implemented for opjum growers with a view to increase the production of opium in this area ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The production of opium in Chhabra Tehsil in Kota District (Rajasthan) during the current 1977-78 Crop-Year is estimated around 22 metric tonnes at 70° consistency under normal weather conditions.

(b) There is no specific scheme for opium growers for increasing the production of opium in Chhabra Tehsil as such. However, research work is being done at various centres so as to increase the per hectare yield of opium and its morphine content and the results thereof are communicated to the opium growers by the officers of the Narcotics Department.

EMPLOYMENT FOR TRAINED PILOTS DURING CURRENT YEAR

3397. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) state-wise number of trained un-employed pilots at present;

(b) the number of unemployed pilots provided employment last year; and

(c) the number of unemployed pilots proposed to be provided employment during the current year ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The information on state-wise number of trained unemployed pilots is not available, as statehood of the candidates for C.P.L. is not indicated in any of the documents leading to the issue of a licence.

(b) 12.

(c) 13 unemployed pilots have already been employed in the current year. Another 19 vacancies are also proposed to be filled shortly by Ministry of Agriculture and Irrigation for which the unemployed pilots are eligible for consideration.

INCREASE IN PRICES OF SWEET IN DELHI DURING DIWALI

3398. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of COMMERCE AND CVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the shopkeepers in the capital have arbitrarily charged prices of sweets recently on the occasion of Dipawali;

(b) if so, whether Government propose to take measures to check the practice of selling articles to the common people by increasing prices thereof arbitrarily; and

(c) if so, whether Government propose to provide facilities to the people by taking interest in giving some special concession or in arranging the sale of sweets etc. at controlled rate on such occasions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) It has been reported that prices of some items of sweets were increased on the occasion of last Diwali.

(b) Delhi Administration has fixed the prices of certain essential articles under the provisions of the Delhi Essential Articles (Prices Control) Order, 1977. Under this Order sweets are not covered.

(c) At present there is no such proposal under the consideration of the Delhi Administration.

PERCENTAGE OF LOANS ADVANCED BY BANKS FOR AGRICULTURE AND RURAL INDUSTRIES

3399. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the percentage of amount of loans advanced by banks for agriculture and rural industries, yearwise during last three years to date to the total loans advanced by them; and

(b) the amount of loans, out of it, advanced to small farmers owning less than 2 acres of land ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The percentage of loans advanced by banks for agriculture and small-scale industries during last three years to the total loans advanced is as follows :—

(Rs. in Lakhs)

	March 1975	March 1976	March 1977
Percentage of loans to agriculture and small scale industries to total advances	21·5	20·5	20·9

(Separate figures for rural industries are not available).

(b) Direct finance to farmers by all scheduled commercial banks is as follows :—

(Rs. in Lakhs)

Year (as at the end of September)	Upto 2·5 acres		Total advances to agriculture	
	No. of A/cs.	Amount outstanding	No. of A/cs	Amount outstanding
1974	686045	5865·90	1666070	42319·21
1975	917529	9050·66	2145993	54157·52
1976	1402598	14879·92	3187526	76621·73

Reserve Bank of India has indicated that particulars of advances granted to small farmers owning less than 2 acres of land are not separately available.

आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए कदम

3401. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) देश में विभिन्न आयकर दाताओं से आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिये वर्तमान सरकार क्या उपयुक्त कदम उठा रही है ;

(ख) नई सरकार द्वारा शासन संभाले जाने के समय आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी और तब से बाद में इस राशि में और कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या नई सरकार ने उन बड़े व्यापार-गृहों से आयकर की बकाया राशि वसूल करनी है जिनके पिछली सरकार से संबंध थे ;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(ङ) उन कम्पनियों, व्यक्तियों तथा फिल्म उद्योग के लोगों के क्या नाम हैं जिनकी ओर कर की राशि देय है और वह राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1977 और 30 सितम्बर 1977 की स्थिति के अनुसार, आय की बकाया, जिसमें निगम-कर भी शामिल है, नीचे दिए अनुसार हैं :--

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

	31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार	30 सितम्बर 1977 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रल 1977 से 30 सितम्बर 1977 की अवधि में वृद्धि
सकल बकाया	873.56	1047.24	173.68
शुद्ध बकाया	569.84	719.78	149.94

कर की बकाया का तथ्य एक निरंतर चलते रहने वाला तथ्य है । हालाकि किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बाकी पड़े कर की वर्ष के अन्त तक पर्याप्त मात्रा में वसूली/कमी हो जाती है, तथापि बकाया की रकमें मुख्यतया इस वजह से पुनः बढ़ जाती हैं कि वर्ष के दौरान जारी की गई कर की नयी मांग के एक भाग को अनेक कारणों से पूरी तरह वसूल नहीं किया जा सकता है और वह रकम वर्ष के अन्त तक कर की नई बकाया बन जाती है। प्रत्येक मामले की वस्तु स्थिति पर निर्भर करते हुए कर की बकाया को वसूल करने के लिए सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(क) कर की अदायगी विलम्ब से करने के कारण ब्याज लगाना ;

(ख) कर की अदायगी नहीं करने के कारण अर्थ दण्ड लगाना ;

(ग) बाकीदार को प्राप्य रकमों का अधिग्रहण ; तथा

(घ) चल/अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण तथा उनकी बिक्री ।

आयकर अधिकारियों को, आयकर की बकाया वसूल करने/उसमें कमी लाने की कार्य-वाही पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रशासनिक तौर पर कहा गया है। बड़े मामलों में बकाया की वसूली/उसमें कमी लाने की प्रगति पर भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निगरानी रखते हैं ।

(ग) और (घ) ऐसे व्यापारिक घरानों के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है । लेकिन, यदि माननीय सदस्य किन्हीं खास व्यापारिक घरानों से वसूल की गई आयकर की बकाया के बारे में सूचना चाहते हैं तो वह एकत्रित करके प्रस्तुत की जायगी ।

(ङ) जिन व्यक्तियों की तरफ आयकर की बकाया है उन की संख्या बहुत बड़ी है और अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसको एकत्रित करने में काफी समय और श्रम लगेगा । यदि माननीय सदस्य किन्हीं विशेष कर-निर्धारितियों के बारे में सूचना चाहते हैं तो वह एकत्रित करके प्रस्तुत की जायगी ।

AGREEMENT WITH TANZANIA FOR IMPORT OF RAW CASHEWNUTS

3403. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the visit of the Foreign Minister to Tanzania an agreement was concluded for the import of raw cashewnuts; and

(b) if so, the quantity of the cashewnuts to be imported this year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b) No formal agreement was concluded during the visit of the Foreign Minister to Tanzania for import of raw cashewnuts. However, there was a general consensus that subject to the availability of an exportable surplus of raw cashewnuts and provided that India paid a competitive price determined by the weighted index formula, preference would be given by Tanzania to India in its export of raw nuts.

इण्डियन एयर लाइन्स में श्रमिक असन्तोष

3404. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम**
श्री राजकेशर सिंह : } : क्या **पर्यटन और नागरिक विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से इंडियन एयरलाइन्स में श्रमिक असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असन्तोष के मुख्य कारण क्या हैं और विवाद को हल करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) सितम्बर और अक्तूबर, 1977 के महीनों के दौरान, कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा यदाकदा काम बन्द कर देने, एकदम अचानक हड़ताल शुरु कर देने, काम रोक कर बैठ जाने, यिमानुसार काम

करने, आदि जैसे तरीके अपनाए गए जिनमें कुछ अन्य ऐसे कार्य भी सम्मिलित थे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार हड़ताल के कोटि में आते हैं।

इनके मुख्य कारण निम्नलिखित मांगें थीं :--

(i) अनुग्रहिक (ex-gratia) आधार पर 20 प्रतिशत बोनस की अदायगी ;

(ii) दो तकनीशियनों के विरुद्ध निलंबन आदेशों को वापिस लेना ;

(iii) वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी का, जिसने एक चपरासी को कारपोरेशन की कुछ खानपान सामग्री के साथ पकड़ा था, इस आधार पर निलंबन कि उसने चपरासी को मारा था।

(iv) समयो पर भत्ते के बदले छुट्टी के संबंध में कुछ रिवर्तन, और अधिक स्टाफ, बचाव वस्त्र तथा अन्य छोटी-मोटी समस्याएं।

(v) शिफ्टों में काम करने वाले ज़र्मचारियों की न्य संख्या को बनाए रखना।

कई बार बादचीत एवं विचार-विमर्श करने के बाद, काम रोक कर बैठने की हड़ताल 5 अक्तूबर, 1977 की सायं से वापस ले ली गयी तथा "बोनस" समस्या संबंधी आंदोलन को 3 नवम्बर, 1977 को वापस ले लिया गया। इस बात पर सहमति हुई कि उत्पादन से सम्बद्ध फार्मले के बारे में यनियनों के विशेष प्रस्तावों पर बातचीत करने लिए आई०ए०टी०ए०/ए०सी०ई०यू के प्रतिनिधियों तथा प्रबंधकवर्ग के बीच एक संयुक्त बैठक आयोजित की जायेगी। बातचीत चल रही है। इस बीच, यूनियनें 8.33 प्रद्रतशत की दर से अणुग्रहपूर्वक अदायगी स्वीकार करने पर सहमत हो गयी है।

इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधकवर्ग की हमेशा यह कोशिश रही है कि ऐसे विवादों का निपटान द्विपक्षीय बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाए।

दीवाली से पहले वनस्पति के बाजार भाव

3405. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर के महीने के प्रारम्भ में हो राज्य व्यापार निगम ने वनस्पति निर्माताओं को सप्लाई किये गये सोयाबीन तल की कीमत में काफी कमी कर दो थी, परन्तु आम लोगों को सप्लाई किये गये वनस्पति की कीमत में दीवाली से पहले काफी कमी नहीं हुई थी ;

(ख) अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1977 तक की अवधि में प्रत्येक महीने राज्य व्यापार निमम ने वनस्पति निर्माताओं को किन किन दरों पर सोयाबीन तेल दिया था और इन महीनों में से प्रत्येक महीने आम लोगों को किस बाार भाव पर वनस्पति दिया गया था और

(ग) सरकार द्वारा दिये गये वचन के अनुसार दीवाली से पहले वनस्पति के बाजार भाव म कमी न करने के क्या कारण है।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ग) आयातित सोयाबीन तेल का मूल्य पहली नवम्बर, 1977 से 6,500 रुपये से

घटाकर 5,950 रुपये प्रति मीटरी टन किया गया था। उसके अनुरूप ही, उद्योग ने उसी तारीख से वनस्पति घी के 16.5 किलोग्राम टीन के फैक्ट्री मूल्य को उत्पादन शुल्क सहित 158/-रुपये से घटाकर 140/-रुपये करना स्वीकार किया है।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने अप्रैल से नवम्बर, 1977 की अवधि के दौरान वनस्पति घी विनिर्माताओं को सोयाबीन तेल की सप्लाई जिन मूल्यों पर की वह तथा 16.5 किलोग्राम के टीन के उस समय के बाजार भाव संलग्न विवरण में दिये हैं ।

विवरण

	सोयाबीन तेल का मूल्य (रुपये प्रति मीटरी टन)	16.5 कि०ग्राम के वनस्पति घी के टीन का खुदरा मूल्य (जिसमें खुदरा व्यापारी का लाभ तथा स्थानीय कर भी शामिल हैं)*			
					(मूल्य रुपये में)
		दिल्ली		बम्बई	आगरा
		दो ब्राण्ड			
		क	ख		
अप्रैल, 1977	6000.00	159.14	158.61	180.00	173.00
मई, 1977	6000.00	163.55	163.02	172.00	178.00
जून, 1977	6000.00	163.55	163.02	171.25	175.00
जुलाई, 1977	8250.00	159.61	169.01	165.25	162.00
(i) 15% मांग					
(ii) 75% मांग	6500.00				
अगस्त, 1977 (i) तथा (ii)	—वही—	163.55	158.82	167.00	163.00
सितम्बर, 1977 (i) तथा (ii)	—वही—	158.88	155.20	167.25	161.00
31 अक्तूबर, 1977 (i) तथा (ii)	—वही—	151.00	150.20	160.00	158.00
नवम्बर, 1977	5950.00	151.00	150.20	155.00	अप्राप्य

*स्रोत : बाजार सूचना वनस्पति विनिर्माता एसोसिएशन से ली गयी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण : अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें ।

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : I lay on the table of the House a copy each of the following Notifications (Hindi and English version) under sub-section (3) of section 36 of the International Airports Authority Act, 1971 :—

(एक) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 1977, जो दिनांक 18 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संख्या सां० आ० 775 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (लेखे का वार्षिक विवरण) नियम, 1977, जो दिनांक 18 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 776 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। (देखिए संख्या एल० टी० 1299/77]

कम्पनी अधिनियम, 1956

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLY AND COOPERATIVE (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : I lay on the Table of the House a copy each of the following papers (Hindi and English Versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(क) (एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976–77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 1300/77]

(ख) (एक) भारतीय राज्य रसायन तथा भेषज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 1 जनवरी, 1976 से 31 मार्च, 1977 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य रसायन तथा भेषज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 1 जनवरी, 1976 से 31 मार्च, 1977 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[गंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 1301/77]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारीं कीं गईं अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीं जुल्फीकारुल्ला) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

(एक) सा० सां० नि० 562 (ङ) जो दिनांक 9 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 565 (ङ) से 566(ङ) जो दिनांक 11 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 573 (ङ) जो दिनांक 12 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 575 (ङ) और' 576 (ङ) जो दिनांक 16 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 578 (ङ) तथा 579 (ङ) जो दिनांक 18 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 602 (ङ) जो दिनांक 3 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० नि० आ० 608 (ङ) जो दिनांक 3 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 610 (ङ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 611 (ङ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 670 (ङ) जो दिनांक 2 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(2) वित्त अधिनियम, 1977 की धारा 40 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 574 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1302/77] ।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 723 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1303/77]

(4) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23 की उपधारा (5) और धारा 18 की उपधारा, (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1304/77]

लोक लेखा समिति के विवरण

STATEMENTS OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री सी० एम० स्टोफनइदवको: मैं लोक लेखा समिति का निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 176वें प्रतिवेदन (पांचवी लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति (पांचवी लोक सभा) के 192वें प्रतिवेदन के ग्रध्यया 1 में दी गयी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही सम्बन्धी उत्तर ग्रौर ग्रध्याय 5 में दी गई सिफारिशों प्पर सरकार के ग्रन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(2) विदेशों में माइलो की खरीद के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 159वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (पांचवीं लोक सभा) के 199वें प्रतिवेदन के ग्रध्याय 1 में दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी उत्तर ग्रौर ग्रध्याय 5 में दी गई सिफारिशों पर सरकार के ग्रन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(3) सीमा-शुल्क राजस्व की छूट ग्रौर परित्याग—एथिल ग्रल्कोहल के ग्रायात के सम्बन्ध में लोक सभा लेखा समिति के 172वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (पांचवी लोक सभा) के 214वें प्रतिवेदन के ग्रध्याय 1 में दी गयी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही सम्बन्धी उत्तर ग्रौर ग्रध्याय 5 में दी गई सिफारिशों पर सरकार के ग्रन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(4) ग्रामीण रोजगार द्रुत योजना के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 170वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति (पांचवीं लोक सभा) के 228वें प्रतिवेदन के ग्रध्याय 1 में दी गयी सिफारिशों पर की गई कार्य वाही सम्बन्धी उत्तर ग्रौर ग्रध्याय 5 में दी गई सिफारिशों पर सरकार के ग्रन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 127 के उपबन्धों के ग्रधीन मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश दिया जाता है कि राज्य सभा 7 दिसम्बर 1977 की ग्रपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1977 को पास किए गए, ग्रेशम एण्ड केबन आफ इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का ग्रर्जन ग्रौर ग्रन्तरण) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

22वां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं राजधानी एक्सप्रेस के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 195वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

दूसरा और बारहवां प्रतिवेदन

श्री सूरजभान (अम्बाला) : मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) गृह मन्त्रालय—(I) गांव मौलाना बुद्धचुक (जिला पटना) और (II) गांव इमली कौर (जिला बांदा) में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में समिति के 51वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा सुविधाओं के सम्बन्ध में समिति के 53वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बारहवां प्रतिवेदन।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 12 दिसम्बर, 1977 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची से आगे ले जाये गए सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार।

(2) विचार तथा पास करना :—

(क) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन संख्या, 1977

(ख) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में,

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 1977

(3) दो गम्भीर रेल दुर्घटनाओं पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव पर आगे चर्चा

(4) रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा

(5) तवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977 राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में--विचार तथा पास कराना

2. निम्नलिखित मदों को भी लिए जाने का प्रस्ताव है

(क) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रख्यापित लोक सुरक्षा अध्यादेश पर सोमवार 12 दिसम्बर, 1977 को 4 बजे म० प० पर चर्चा

(ख) सुन्दरबन की समस्याओं पर बुधवार, 14 दिसम्बर, 1977 को 4 बजे म० प० पर चर्चा

(ग) फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे पर बंगला शदेश के साथ हुए समझौते पर गुरुवार, 15 दिसम्बर, 1977 को चर्चा।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं सरकारी कार्य के बारे दो बातें कहना चाहता हूं। पहला सरकार ने पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया था कि इस सत्र में अनेक विधेयक जैसे मीसा की समाप्ति, दलबदल रोक विधेयक, संविधान (संशोधन) विधेयक आदि पेश किए जाएंगे परन्तु उन्हें अभी तक पेश नहीं किया गया। सरकार उन्हें सत्र के अन्तिम दिनों में पेश करती है जिससे उन पर विचार करना कठिन हो जाता है। दूसरा, सरकार ने यह नहीं बताया है कि दल बदल रोक विधेयक कब लाया जायेगा। इस संबंध में कोई कानून न होने से कांग्रेस और जनता पार्टी इसका लाभ उठा रही हैं। जनता पार्टी ने गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री चिमन भाई पटेल जैसे व्यक्ति को अपने दल में शामिल कर लिया है यह सब दल-बदल रोक विधेयक न लाये जाने के कारण हो रहा है।

नव निर्माण आंदोलन के दौरान गुजरात में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। यह सब चिमन भाई पटेल के मुख्य मन्त्रिव काल में हुआ था। मुझे यह जानकर धक्का लगा है कि जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को अपना सदस्य बनाया है। इन्हीं चिमन भाई पटेल ने पिछले लोक सभा चुनावों में मुझे हराने की असफल कोशिश की थी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि दलबदल रोक विधेयक लाया जाये ताकि सरकार ऐसे व्यक्तियों को अपने दल में शरण न दे। जनता पार्टी को अपने सिद्धान्त तथा आदर्श के अनुरूप रहना चाहिए।

श्री वयालार रवि (चिरींमकील) : इस सभा में यह आरोप लगाया गया था कि पिछली सरकार ने गुप्तचर विभाग का उपयोग राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों पर निगाह रखने के लिए किया था। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि वर्तमान सरकार भी ऐसा कर रही है। मुझे इस बात की आशांका है कि गुप्तचर विभाग मुझ पर तथा कांग्रेस दल पर निगाह रखे हुए हैं। मैंने इस संबंध में आपसे ध्यानाकर्षण सूचना भेजी थी, हरियाणा सरकार ने अपने 200 आदमी यहां भेजे हैं। केन्द्रीय सरकार के गुप्तचर विभाग और राज्य सरकार की पुलिस के सम्बन्ध में यहां चर्चा की जानी चाहिएं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : :--गृह मंत्री ने पिछली बार चर्चा के दौरान बताया था कि त्रावनकोर के भूतपूर्व रियासत में पुन्नाप्परा वयालर संघर्ष, भूतपूर्व निजाम के विरुद्ध तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह, मालाबार के मोपला विद्रोह को स्वाधीनता संग्राम का अंग नहीं माना जायेगा। इससे इस सभी को दुख हुआ है, हमने इस बारे में सूचनाएं भेजी हैं। अगले सप्ताह इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री मोहम्मद शाफी कुरेशी (अनन्तनाग):मैं जानना चाहता हूं कि क्या अलीगढ़विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक इस सत्र में लाया जायेगा या नहीं। मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा करने के लिए तीन घंटे का समय निर्धारित किया जाये।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिये आचार संहिता बनाने के लिय सुझाव,

श्री श्यामनंदन मिश्र (बगुसराय) : मैं सभा का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे लोगों में काफी चिन्ता उत्पन्न हो गई है। 10 अक्तूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता तैयार करने के लिए कहा गया है। इससे उन लोगों को आशचर्य तथा दुख हुआ है जो हृदय से न्यायापालिका की स्वतंत्रता तथा गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं।

इस सुझाव से, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुशासित किया जाये और उनके लिए एक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए, जिसे न्यायाधीशों की एक समिति लागू करेगी, कही मनोवृत्ति परिलक्षित होती है जो कि आपात स्थिति के दौरान देश के प्रत्येक समुदाय के लिए (निर्धारित) तथा कथित "स्वैच्छिक संहिता" में थी।

उच्चतर न्यायपालिका का इतहास भारीदबाव के समय भी सदैव ऊंचे स्तर का रहा है और समुचित वातावरण में भी इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की भावना रही है। अतः यह परिपत्र जारी करना अवांछनीय ही नहीं है, अपितु यह उनकी सरासर बेइज्जती करना है। इससे न्यायापालिका की न्यायनिष्ठा को भी आघात पहुंचता है जो कि कानून का मुख्य आधार है।

संविधान के अन्तर्गत उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके लिए यह आवश्यक है कि उनमें उंची योग्यता तथा विशिष्ठता हों। इसी तरह संविधान के अन्तर्गत निर्धारित विशेष प्रक्रिया द्वारा ही किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को अपने पद की शपथ भी दिलाई जाती है जिसके अनुसार उन्हें अपना दायित्व ईमानदारी से निभाना पड़ता है। यदि इसके लिए कोई और मापदंड निर्धारित किया जाता तो इसका अर्थ यह होगा कि संगत संवैधानिक उपबंध की गरिमा का अपमान किया जा रहा है या शपथ की पवित्रता का अपमान किया जा रहा है और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चयन की भी उपेक्षा होती है।

परिपत्र पढ़कर मुझें इस बात की बहुत चिंता हुई है कि सरकार उन्हीं व्यक्तियों के हाथ मजबूत करना चाहती है जिन्होंने इस बारे में पेशकश की थी सरकार उनकी सहायता के लिये कानून भी बनाने को तैयार है। अतः मेरी मांग है कि सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करते हुये वक्तव्य दे।

दो कोहनूर मिल्स द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ कथित धोखा धड़ी

श्री ज्योमर्य बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय इस लोक सभा के आरम्भ में मैंने सभा में कहा था कि कपाड़िया बंधुओं की कोहिनूर मिल ने सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के 20 करोड़, बल्कि 26 करोड़ रुपये मार लिये हैं। इस जालसाजी में श्री संजय गांधी, कपाडिया बन्धु, सेंट्रल बैंक के कुछ अधिकारियों और अन्य अधिकारीयों का हाथ था। इसमें रिज़र्व बैंक के दो गर्वनरों का भी हाथ था जिसमें से एक अब कहीं दूसरी जगह गर्वनर है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है तथा उसमें गम्भीर अनियमितताएं पाई गई हैं। अन्य व्यक्तियों के साथ रिजर्व बैंक के वर्तमान डिप्टी गवर्नर और सेंट्रल बैंक के चेयरमैन को भी दोषी पाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस काण्ड में सभी व्यक्तियों के साथ श्री संजय गांधी का बड़ा हाथ था। अतः मेरा निवेदन है कि उक्त रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाये।

कांग्रेस की आनन्द मार्ग के साथ तुलना सम्बधी विदेश मंत्री का कथित वक्तव्य

श्री ओ० पी० अलगेशन (अर्कोनम) : महोदय नियम 377 को निष्काम कर्म कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि हम जो कुछ कहते हैं सरकार पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यह स्थिति अंग्रेजी शासनकाल में तो ठीक थी किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में उस स्थिति को किसी प्रकार आयोजित नहीं ठहराया जा सकता।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि नियम -377 सभा की कार्यवाही को विनियमित करने के लिये है ताकि नियंत्रित करने के लिये। इसके अन्तर्गत हमें संक्षेप में मामला उठाने तथा उसके कारण बताने की अनुमति है। किन्तु कल तब मुझसे उसका विवरण देने के लिये कहा गया जो मैं कहना चाहता था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदस्यों से मामला उठाने से पूर्व वक्तव्य देने का आग्रह न करें।

मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि विदेश मंत्री ने ग्वालियर में प्रैस संवाददाताओं के समक्ष कांग्रेस पार्टी की आनन्द मार्ग से तुलना की। संवाददाताओं के इस प्रश्न ने उत्तर में कि क्या सरकार आनन्द मार्ग पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न का विचार कर रही है, विदेश मंत्री ने कहा कि यदि आनन्द मार्ग पर प्रतिबंध लगाया जायेगा तो हमें कांग्रेस के बारे में भी यही कदम उठाने के बारे में सोचना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। क्या वर्तमान सरकार हम सभी को जेल में बंद करके प्रजान्तत्र चलाने का इरादा रखती है।

सरकारियां जांच आयोग के निष्कर्षो पर कार्यवाही

श्री सी० एन० विश्वनाथ (तिरुपत्तूर) महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं सभा का ध्यान सरकारी या आयोग की ओर दिलाना चाहता हूं जिसने तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा वहां की सरकार के दुष्कृत्यों के बारे में 10 माह पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यदि शाह आयोग भूतपूर्व प्रधान मंत्री को दोषी पाता है तो उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। किन्तु सरकारी या आयोग की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् भी सरकार हम मामले में मौन क्यों है? क्या हम इसे सरकार पक्षपात पूर्ण रवैया मानें? क्योंकि सरकारी या आयोग द्वारा उन लोगों को दोषी पाये जाने पर भी अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई?

(पांच) एक व्यक्ति का भरा हुआ रिवाल्वर लिए हुए प्रधान मंत्री से उज्जैन में मिलने का प्रयास करते हुए कथित गिरफ्तारी

श्री वंसत साठे (अकोला) मैं सदन का ध्यान हाल में हुई एक गम्भीर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया था। समाचार है कि श्री राम कुमार गुप्त को उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके पास एक भरी हुई पिस्तौल थी और वह श्री मोरार जी देसाई से मिलने का यत्न कर रहा था (**व्यवधान**) वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रसिद्ध कार्यकर्ता है। पुलिस ने उसे अन्दर जाने से रोका तथा उससे 32 बोर की पिस्तौल बरामद की तथा उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उसे पुलिस रिहयासत से रिहा करा लिया। यह प्रधान मंत्री की सुरक्षा का प्रश्न है तथा इस मामले को ऐसा नहीं दबाया जाना चाहिये। इस मामले की पूरी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जानी चाहिये।

श्री वयालार रवि : मैंने पोकिंग प्रसारण के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी मैं जानना चाहता हूं कि मेरे उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका प्रस्ताव सोमवार के लिये निश्चित कर दिया है क्योंकि विदेश मंत्री नेपाल जा रहे हैं तथा वह स्वयं उसका उत्तर देना चाहते हैं । इस विधेयक पर आगे चर्चा आरम्भ करते हैं। श्री रवीन्द्र वर्मा (**व्यवधान**) **

**अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्याकारी वृतांत से निकाल दिया गया
**Not recorded

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक जारी
PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL —Contd.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैंने यह बताने का प्रयत्न किया था कि पूर्व अधिनियम के संशोधनों के बावजूद राज्य सरकारों को यह अधिकार था कि जिन संस्थानों में 20 से कम तथा 10 तक कर्मचारी हैं उन पर इस अधिनियम को लागू कर सके।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए]

SHRI M. SATYANARAYANA RAO *in the Chair*

मैं श्री स्टीफन के इस कथन से सहमत हूं कि नियतम मजूरी, उचित मजूरी तथा मजूरी के स्तर के प्रश्नों का स्थगित मजूरी से संबंध है। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि भारत में विशेषकर छोटे श्रमिकों की आय और खर्च में बहुत अन्तर है तथा यह आवश्यक कि मजूरी पाने वाले श्रमिकों की आय के ढांचे में कुछ पचिवर्तन होना चाहिए जिससे आवश्यक वस्तुएं खरीदने में समर्थ हो सकें।

उस अवधि के बारे में प्रश्न उठाया गया जिसके लिये हम 8.33 प्रतिशत निम्नतम बोनस का कानूनी उपबंध आरम्भ कर रहे हैं। 1971 में तथा उसके पश्चात् भी ऐसे अध्यादेश जारी किये गये थे तथा कानून बनाये गये थे जिनमें बोनस की राशि को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत

किया गया था। श्री स्टीफन को उस समय भी ऐसे संशोधन प्रस्तुत करने चाहिये थे किन्तु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। भूतपूर्व सरकार ऐसा कानून बनाने में पूर्णत: समर्थ थी विशेषकर आपातस्थिति के दौरान, किन्तु उस सरकार ने ऐसा कानून नहीं बनाया।

श्री सौगतराम ने कहा है कि हम धारा 34 (3) के अधिनियम से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सत्य नहीं है। धारा 34 (3) को वास्तव में भूतपूर्व सरकार ने आपातस्थिति के दौरान निकाल दिया था इस विधेयक के माध्यम से उस धारा को पुन: सम्मिलित किया जा रहा है। अत: माननीय सदस्य ने बड़ी असावधानी से ऐसा कह दिया है। वास्तव में इस धारा में दो परन्तुक अवश्य जोड़े जा रहे हैं। जिनका होना अत्यन्त आवश्यक है।

इन परन्तुकों को उपबंधित करने का आशय स्पष्ट है। यह सत्य है कि हमें श्रमिकों के हितों की रक्षा अवश्य करनी चाहिये, उन्हें उतनी मजूरी अवश्य दिलानी चाहिये जितने की उन्हें आवश्यकता है। किन्तु साथ ही हमें समाज के अन्य वर्गों ने हितों की रक्षा भी करनी अनिवार्य है। अत: ऐसे उपबन्धों का होना अनिवार्य है जिसके अन्तर्गत सरकार। वैकल्पिक फार्मूलों अथवा वैकल्पिक तरीकों की जांच कर सके।

बोनस की प्रतिशतता में वृद्धि के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। यह प्रश्न भी नया नहीं है तथा मैंने उसका उत्तर भी दे दिया है। ऐसा करना सम्भव नहीं है।

जहां तक पूंजी निवेश भत्ते का प्रश्न है सभा को ज्ञात होगा कि 1965 से विकास छूट दी जानी थी तथा 1976 के वित्त विधेयक में उसके स्थान पर पूंजीनिवेश भत्ता आरम्भ किया गया था। हमने भी उस विधेयक पूंजी निवेश भत्ता ही रखा है।

लाभ हानि के लेखों के बारे में उपबंधों की आलोचना स्थिति के बारे में गलत फहमी के कारण दी गई है। भूतपूर्व सरकार ने जनवरी, 1977 में दो बातों की घोषणा की थी, पहली यह कि प्रत्येक श्रमिक को कम से कम 100 रुपये का बोनस दिया जायेगा तथा दूसरी यह कि श्रमिकों को लाभ-हानि के लेखों की वास्तविकता को चुनौती देने का अधिकार होगा। किन्तु उन घोषणाओं को वास्तव में क्रियान्वित नहीं किया गया। भूतपूर्व सरकार यदि चाहती तो उस बारे में अध्यादेश जारी कर सकती थी किन्तु उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।

औद्योगिक असंतोष के बारे में मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। यह सच है कि देश में औद्योगिक असंतोष है तथा हम उसे दूर करने का हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं तथा करेंगे।

महोदय, इस विधेयक पर हुई चर्चा से यह स्पष्ट है कि 8.33 प्रतिशत बोनस के बारे में सभा में पूर्ण सहमति है तथा उस विधेयक का उद्देश्य भी यही है। बैंकधारी कम्पनियों तथा आई० आर०सी०परभी इस कानून को पुन: लागू किया जा रहा है। संक्षेप में इस विधेयक का क्या उद्देश्य यह है कि जो स्थिति आपात स्थिति से पहले थी उसी स्थिति को पुन: लाया जाये। मैं यह नहीं कहता कि यह विधेयक व्यापक उपाय है जो समस्त स्थिति का मुकाबला कर सके तथापि उसके सीमित उद्देश्य को देखते हुए मुझे आशा है सभा इसको अपना समर्थन देगी।

सम्पत्ति महोदय : प्रश्न यह है कि "बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock)

(मध्यान्ह भोजत के पश्चात् लोक सभा दो बजकर आठ मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at eight minutes past Fourteen of the Clock)

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुये]

SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*

बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम--जारी

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL—Contd.

खण्ड 2

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्डा (दुर्गापुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह व्यवस्था केवल एक वर्ष की अवधि के लिये की जा रही है। बोनस आस्थगित भुगतान नहीं करना। यह अग्रिम भुगतान है जिसे बाद में वापस नहीं किया सकता। अतः यह बोनस पहले भी आस्थगित भुगतान नहीं माना जाता था।

मैं ऐसे अनेकों औद्योगिक प्रतिष्ठान बता सकता हूं जहां 1974-75 के बोनस के विवाद बिना निपटाये रह गये। क्या उस वर्ष के लिये 8.33 प्रतिशत बोनस देने को तैयार हैं? अगले वर्ष के लिये आपने कुछ भी नहीं दिया और 1976-77 के लिये आपने 8.33 प्रतिशत दिया है। प्रश्न यह है कि क्या आप पिछले दो वर्षों के लिये 8.33 प्रतिशत देने को तैयार हैं। जनता पार्टी ने इसका वायदा किया था। हमारी बातें न बतायें।

हमने कुछ निर्णय लिये थे। हमने मुद्रास्फीती को रोकने के लिये इसे जरुरी समझा। आपने हमारी बात को गलत कहा आपको उसी आधार पर वोट मिले। हमें हार का सामना करना पड़ा। आप अपने वायदे की बात करें आपने 8.33 प्रतिशत का स्पष्ट वायदा किया था। यह कहा गया था कि वेतन और बोनस में संबंध है। यदि यह तर्क है तो यह बहुत खतरनाक तर्क है। जब तक हम वेतन नीति का निर्धारण न कर लें तब तक इस बारे में स्थायी निर्णय नहीं दिया जा सकता। भूतलिंगम आयोग द्वारा वेतन नीति पर विचार किया जा रहा है। श्रमिकों को या तो अच्छा वेतन मिलेगा अथवा उन्हें बोनस मिलेगा। भूतलिंगम आयोग ने इस प्रकार का आश्वासन भी दिया है। यदि दोनों में इसी प्रकार का संबंध स्थापित किया जाना है तो इसके विरुद्ध आवाज उठानी होगी।

आप अपनी बात से ही पीछे नहीं हट रहे अपितु आप में इतना साहस भी नहीं है कि आप कह सकें कि आने वाले वर्ष के लिये 4 प्रतिशत अवश्य दिया जायेगा। यदि इस संशोधन का अर्थ है पुरानी स्थिति को बहाल करना तो 1974 से 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी होनी चाहिये। जो भी उपबन्ध किया जा रहा है उसे एक साल के लिये सीमित न रख कर स्थायी रुप दिया जाना चाहिये। इस दृष्टि से जो भी संशोधन है वह एक वर्ष के लिये ही सीमित करते हैं। इसी कारण मेरा कहना है कि संशोधन इस प्रकार से होना चाहिये

"वर्ष 1974-75 के लिये और प्रत्येक आने वाले लेखा वर्ष के लिये। इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। यदि सरकार इसे नहीं मानती तो यह लोगों के साथ विश्वासघात है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यह कहना गलत है कि सरकार की बोनस के बारे में अगले वर्षों के लिये कोई नीति नहीं है पहले भी एक वर्ष के लिये इसी प्रकार के संशोधन किये गये हैं। श्री स्टीफन ने कहा कि 1975-76 में जब संशोधन किया गया था तो उस संशोधन के दो भाग थे--एक का संबंध 1974 से था और दूसरा 1975-76 के बारे में था। मैं नहीं समझता कि इस अवस्था पर मुझे इस चर्चा के ब्यौरे बताने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि अन्तरिम अवधि के लिये बोनस की अदायगी के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है और भविष्य के बारे में कोई उल्लेख है।

जहां तक अन्तरिम अवधि का संबंध है मैं पूरी गंभीरता के साथ यह कहना चाहता हूं कि उसके लिये हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मतदाता भी यह बात जानते हैं।

जहां तक भूतलक्षी प्रभाव से अदायगी करने की बात है सदन को इस बात पर गंभीरता से विचार करना है कि क्या जनता पर भूतलक्षी प्रभाव से दायित्व थोपे जा सकते हैं। मेरे विचार से ऐसा नहीं किया जा सकता।

जहां तक भविष्य की बात है इस विधेयक से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हम केवल एक वर्ष के लिये ही बोनस देना चाहते हैं। वास्तव में यह प्रश्न न्यूनतम वेतन के प्रश्न के साथ सम्बद्ध है। क्या बोनस दिया जायेगा अथवा नहीं, दिया जायेगा तो कितना यह न्यूनतम वेतन के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है जिस की जांच करना आवश्यक है। पूरी बातों को ध्यान में रख कर ही निर्णय किया जायेगा अतः मैं माननीय सदस्य के संशोधन का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : मैं अब खंड दो पर श्री स्टीफन का संशोधन संख्या 19 मतदान के लिय रखूंगा। प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 16,--

"1976" के स्थान पर "1974 और आने वाले प्रत्येक लेखा वर्ष के बारे में" प्रतिस्थापित किया जाये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	21	विपक्ष में	78
Ayes	*21*	*Noes*	*78*

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : मैं अब खंड 2 मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड 4

Clause 4

सभापति महोदय : श्री प्रसन्नभाई मेहता क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (मखनगर) : जी नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

खंड 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खंड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

खंड 6

Clause 6

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं :

श्री सी० एम० स्टीफन : यह निवेश भत्ते के बारे में है। मेरे मित्रों ने कहा है कि पहले विकास छूट थी अब उसके स्थान पर निवेश भत्ता है। मैं दोनों में एक अन्तर बताना चाहता हूं।

विकास छूट इस आधार पर दी जाती थी कि भावी विकास और भावी विस्तार और पुनर्वास के संरक्षण के लिये राशि कुल लाभ में से काटी जाये। परन्तु यहां पर इसका आधार भिन्न है। इसका उद्देश्य निवेश के लिये प्रोत्साहन देना है। दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उद्योग के विकास के लिये निवेश भत्ते का योगदान भी उसी प्रकार है जो विकास छूट का था। वास्तव में विकास छूट पौधों के लिये 40 तथा संयंत्र एवं मशीनरी के लिये 15 से 35% तक के बीच दी जाती थी। निवेश भत्ते की दर इस से कम है। इसकी दर 25% है। सदन को श्री स्टीफन का संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहिये।

सभा पति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 6 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

"खंड 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill

सभापति महोदय : अब हम खंड 7 पर विचार करेंगे। श्री प्रसन्नभाई मेहता क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : जी नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 7 विधेयक का अंग बने"

खंड 7 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खंड 8

Clause 8

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपने संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्तियां 30 और 31, —

" उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी " के स्थान पर

"उप-धारा (1) में न्यूनतम बोनस संदाय के संबंध में अन्य उपबंध होते हुए भी, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री सी० एम० स्टीफन : में अपना संशोधन पेश करता हूं और श्री रवीन्द्र वर्मा के संशोधन का विरोध करता हूं।

मेरा संशोधन का तात्पर्य है कि न्यूनतम बोनस की अदायगी के लिये ये धाराएं रेलवे, डाक-तार विभाग आदि पर भी लागू होनी चाहिये। मने कहा कि धारा 32 न्यूनतम वेतन की अदायगी के लिये नहीं लागू होनी चाहिय। धारा 32 में श्रमिकों के उन विभिन्न वर्गों का उल्लेख है जो बोनस के हकदार नहीं। मेरा विचार है कि उनको भी बोनस मिलना चाहिये। मेरे संशोधन का उद्देश्य यही है।

जहां तक श्री रवीन्द्र वर्मा के संशोधन की बात है ये सब उपबन्ध पिछले अधिनियम में नहीं थे। आपातस्थिति के दौरान बने अधिनियम में भी नहीं थे। आपात काल में बने कानून ने कुछ हमारे अधिकार छीन लिये। यह कहा गया कि वे बहाल किय जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस उपबन्ध की क्या आवश्यकता है। यह संशोधन अब अचानक क्यों आवश्यक समझा गया है? आप न्यूनतम वेतन की अदायगी के लिये अधिनियम की कौन सी धारा लागू करना चाहते हैं। मैं अपने संशोधन को रखना चाहता हूँ और श्री वर्मा के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आम चर्चा के उत्तर में मैंने इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दे दिया था। माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि कुछ माननीय सदस्यों ने रेल कर्मचारियों की ओर से याचिका प्रस्तुत की और कुछ अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों का भी उल्लेख किया। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-प्रतियोगी उपक्रमों में, हालाकि अधिनियम उन पर लागू नहीं होता, अधिनियम में उल्लिखित सूत्र के आधार पर ही अनुगृह पूर्वक अदायगी की जा ी है।

विधेयक में अन्य क्षेत्रों में इसे लागू न करने के उपबन्ध न होने का कारण यह है कि यह प्रश्न अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध हैं। यह नहीं कि इसकी कोई संभावना नहीं है। परन्तु इस समय हमारा सीमित प्रयोजन इसे उन्हीं पर लागू करना है जिन पर यह पहले लागू था और इसका विस्तार करना नहीं है।

अतः मैं श्री स्टीफन के संशोधन का विरोध करता हूं। जहां तक मेरे संशोधन की बात है, धारा 10 (2) (क) के वर्तमान शब्दों से, जो अध्यादेश के द्वारा अन्तः स्थापित किये गये थे और जो अब विधेयक के खंड 8 में हैं, यह विचार पैदा हो सकता है कि ऐसे एककों द्वारा भी, जो नए स्थापित किये जाते हैं और जिनके लिये अधिनियम में धारा 16 के अन्तर्गत विशेष उपलब्ध है, न्यूनतम बोनस अदा किया जाना होगा। जिस धारा का उन्होंने उल्लेख किया है वह धारा 12 है और वह पुराना उपबन्ध है जो 1965 से चला आ रहा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस संशोधन को स्वीकार करने के बाद आप यह नहीं कह सकेंगे कि केवल धारा 16 लागू होगी। धारा 12 में सैद्धांतिक बोनस की बात थी और वह धारा 8 तथा 13 धाराओं के उपबन्धों के अधीन थी परन्तु अब आप इसे सभी धाराओं के अधीन बना रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो पिछली स्थिति के विपरीत हो।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33 और 34 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 33 and 34 were put and negatived

श्री रवीन्द्र वर्मा : हमने यह संशोधन केवल इस कारण रखा था कि हम समझते थे कि धारा 16 के लिये दिक्कत पैदा होगी। उस अधिनियम की विद्यमान धाराओं को बदलने का हमारा कोई विचार नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफन : कानून तो आखिर कानून है। आपके विचार उस बारे में कोई मतलब नहीं ह।

सभापति महोदय : मैं अब सरकारी संशोधन संख्या 54 मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 2, पंक्तियां 30 और 31, —

"उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर

"उपधारा (1) में न्यूनतम बोनस संदाय के संबंध में अन्य उपबन्ध होते हुए भी, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 8 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8, as amended, was added to the Bill

खंड 9 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 9 to 12 were added to the Bill

सभापति महोदय : अब हम खंड 13 पर विचार करेंगे ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अब अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है । पिछली सरकार ने लेखों की जांच पड़ताल, व्यय के बारे में प्रविष्टि के बारे में पूछताछ के न्यायाधिकरण के अधिकार आदि बातें सरकारी अधिसूचनाओं के द्वारा स्वीकार करके कहा था कि इनके बारे में कानून बाद में लाया जायेगा । तत्पश्चात् सदन को विघटित कर दिया गया ।

यह अधिकार बहुत लम्बी लड़ाई के बाद मिला था और वह भी केवल आश्वासन के रूप में । परन्तु अब स्थिति यह है कि लेखा परीक्षा किये जा चुके लाभ-हानि लेखे फिर से नहीं खोले जा सकते । सरकार को इस बारे में कोई कानून लाना ही होगा । यदि श्रमिकों को लाभ के भाग के रूप में बोनस मिलना है तो उन्हें यह जानना होगा कि लाभ ठीक प्रकार से निकाला गया है । इसके लिये लेखों को फिर से खोलना होगा । इसी बारे में मेरा संशोधन है । हम जानते हैं कि लाभ-हानि लेखे किस प्रकार तैयार किये जाते हैं । अतः श्रमिकों को इन की जांच का अधिकार देना होगा । इस संशोधन को स्वीकार करने से श्रमिकों को दिये गये आश्वासन को कानूनी रूप मिलेगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस मामले पर भी हमने विधेयक पर विचार करने की अवस्था पर चर्चा की थी । जैसा मैंने उस समय बताया था इस प्रकार का कोई विधान पुरःस्थापित नहीं किया गया था । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा नहीं किया जा सकता । प्रश्न यह कि क्या इस विधेयक के द्वारा ऐसा किया जाना है । सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है । इस प्रश्न पर व्यापक विधान संबंधी त्रि-पक्षीय समिति ने भी विचार किया है । इस बारे में व्यापक विधान में कुछ प्रस्तावों को सम्मिलित किये जाने की संभावना है । अतः इस विधेयक में इस प्रकार के उपबन्ध को पुरःस्थापित करना उचित नहीं । अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस लें ।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस आश्वासन को देखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

The amendment was by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 13 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

खंड 14 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अपना संशोधन संख्या 22 पेश करता हुं। यह कोई विवादास्पद संशोधन नहीं है। उत्पादकता बोनस समझौते के लिये अधिकतम सीमा निर्धारण करना मूर्खता-पूर्ण है। न्यूनतम की सीमा होनी चाहिये। अधिकतम की नहीं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। उत्पादकता के लिये प्रोत्साहन बोनस तथा लाभ दोनों के साथ सम्बद्ध है। एक बात के लिये एक पक्ष और दूसरी बात के लिये दूसरा पक्ष नहीं लिया जा सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 22 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 15 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 15 was added to the Bill

श्री के० ए० राजन : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 16 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 16 was added to the Bill

खंड 17

Clause 17

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० ए० राजन : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

***श्री के० टी० कोसलराम :** मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

नियोजकों और कर्मचारियों के बीच बोनस की मात्रा के बारे में किये गये समझौतों के कार्यान्वयन पर सरकार का कोई व्यय नहीं होता। मेरे अपने शहर में एक फैक्टरी ने श्रमिकों के साथ 20% बोनस देने का समझौता किया है। यह 20% बोनस 3–4 करोड़ रु० की वार्षिक आय पर है। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने बोनस संदाय अध्यादेश का अनुमान लगा लिया। इस वर्ष के तुलना-पत्र में उन्होंने नियत करने योग्य राशि नहीं दिखाई। श्रमिकों को लालच का शिकार बनाया गया है। श्री रवीन्द्र वर्मा को पूंजीपतियों का समर्थन करके श्रमिकों के साथ विश्वास-घात नहीं करना चाहिये।

*तमिल में दिय गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि इसके लिये पांच दस मिनट का समय निश्चित करने की अपेक्षा सभा इस बात पर सहमत हो जाये कि हमें यह विधेयक आज ही पारित करना है और इसमें जितना भी समय लगे उसे बाद में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में जोड़ दिया जाये ।

सभापति महोदय : कठिनाई यह है कि कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं। हम इसे भी अभी स्थगित करके गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेते हैं और इसे आगे जारी रखेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री राजशेखर कोलूर (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 7 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 7 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कृषि और औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन और मूल्यों में संतुलन बनाये रखने के बारे में संकल्प

Resolution Re : Parity between the production and prices of agricultural and industrial products.

सभापति महोदय : अब हम श्री अर्जुन सिंह भदौरिया द्वारा 24 नवम्बर, 1977 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा करते हैं :—

"इस सभा की राय है कि गत 30 वर्षों के दौरान देश में किसानों और गरीब जनता की घोर उपेक्षा की गयी है और तत्कालीन सरकार कृषि और औद्योगिक उत्पादन में संतुलन बनाये रखने में विफल रही है। जब कि एक ओर कृषि उत्पाद और उसके मूल्यों में लगातार गिरावट आयी है, दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन में नकली ब्याज दिखाये जाने के कारण उसके मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है।

इसलिए यह सभा संकल्प करती है कि कृषि और औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन तथा मूल्यों में संतुलन बनाय रखने के लिये आवश्यक पग उठाये जायें और यह सुनिश्चित किया जाये कि :—

(1) किसी भी अनाज का दाम दो फसलों के बीच 10 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक न बढ़ें ।

(2) कारखानों में बनी किसी भी जीवनोपयोगी वस्तु का बिक्री मूल्य किसी भी हालत में उसके लागत खर्चे से ड्योढे से ज्यादा न हो ;

(3) किसान को उसके अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिले जो उत्पादन लागत और जीवन निर्वाह व्यय के अनुरूप हो ;

(4) बड़े व्यापारियों तथा किसानों के मुनाफे पर अंकुश लगाया जाये ;

(5) गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी सेवाओं में आय की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये;

(6) आवश्यक वस्तुओं पर लगाये गये कर जैसे चुंगी, बिक्री कर आदि कम किये जायें ; और

(7) चौखम्भे और स्वायत्त समाजीकरण के जरिये मूल्य नीति लागू की जाये"।

अब श्री अर्जुन सिंह भदौरिया अपना भाषण जारी रख सकते हैं—वह अनुपस्थित हैं।

SHRI KANWARLAL GUPTA (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, Sir, I fully agree in principle to the motion moved by Shri Bhadoria as it reflects the sentiments of the whole country.

Real India lives in Villages.

सभापति महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। संशोधन पेश किये जाय। श्री निर्मल चन्द्र जैन।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मैं संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : श्री युवराज उपस्थित नहीं हैं ; श्री एस० एस० दास उपस्थित नहीं हैं। श्री चन्द्रशेखर सिंह।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी) : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I was saying that there were two different pictures in our country. If any foreigner comes to India, he will find acute poverty in rural areas. No drinking water is available in one lakh eighteen thousand villages. On the other hand one finds great offence. The spirit of this motion is praise-worthy. The previous Government gave more slogans to remove poverty but in fact served the interests of the capitalists.

We have ancient culture. Our problem is age-old. People believe in fate. They do not try to find out any blame in the government. I think it is a testing time for the Janata Party Government. The promises made by the Janata Government to provide employment to every body within 10 years will not do. The Government should prepare a phased programme to provide basic amenities of life to people. It should review the progress of phased programme every six month.

It is rightly said in the motion that the farmer is not getting fair and remunerative price for his products. I am sorry to say that on the other hand the industrialists have increased the prices of their products arbitrarily during the last six-seven months by 5 to 25 per cent. Will the Government inquire into this matter as to why these industrialists have increased the prices? These industrialists should take prior permission from the Government if they have to increase the prices of their products. The prices of the commodities should be related with the cost of production thereof. The whole of our industry depends upon agriculture and the Janata Party has laid emphasis on agriculture in the economic policy. It is our demand that the Government may implement its economic policy properly. The farmer should get reasonable price. No opportunity should be given to the employers to exploit the workers.

I suggest that there is need to fix a ceiling on profit. The Government should decide that beyond a prescribed ceiling fixed on cost of production of a commodity no profit should be taken.

The mills are marking inordinately excess prices on the pieces of cloth and selling that much below the printed price. There should be some control on this practice.

The tag system prevalent in Delhi is all the more misleading. The purchase and sale price of the cloth should be marked on it so that the consumer may know as to how much profit shopkeeper is taking.

I congratulate the government for taking steps with regard to oil. Our government will have to ensure proper distribution of all the essential commodities. I suggest for a separate ministry for this purpose which should supervise the handling of essential commodities.

The Government should set right the government mills which are involved in profiteering.

A negligible amount has hitherto been allocated for agriculture in Five Year Plans and whatever amount was given, eighty per cent of that amount was spent on 20 per cent farmers. Small farmers were neglected.

Lot of disparity is there in our country. The rich exhibit their riches whereas the poor are not able to get the basic necessities. There should be some or the other restriction on the exhibition of riches.

With these words, I support the motion.

SHRI KALYAN JAIN (Indore) : Shri Bhadoria has moved a very good motion. It is well-known as to how things have developed during the last thirty years. The previous government paid little attention to agriculture.

I request the Janata Government to look into it. I suggest that the Government should set up a Price Commission which should assess the cost of production of all the essential commodities and fix their sale prices, keeping in view their cost of production.

We are fixing the price of wheat at Rs. 110/- per quintal but is sold in the market at Rs. 140/- or 150/-. Shri Bhadoria has suggested in his Resolution that this gap should not be more than 10 paise per kilogram.

Mr. Chairman, Sir, this gap should not be more than 20 paise per kg. To-day the Government has sufficient buffer stock of wheat and it can easily declare the purchase price at Rs. 120/- or 125/- per quintal and the sale price at Rs. 140/- or 145/-. The poor people of India are being exploited.

The main factor responsible for this is that the previous government paid no attention to the price policy. Although our government have proposed to pay attention to agriculture and small and cottage industries, I am sorry to say that it has not paid its attention to the setting up of a Price Commission and fixing prices. Take the example of sugar. The Tariff Commission had suggested in 1954 that the ratio between the price of sugar and sugarcane should be 1 : 16. Now while the price of sugarcane has been fixed at Rs. 12 per quintal, the sugar should be sold at Rs. 192/- whereas it is being sold at Rs. 400/- per quintal.

In his resolution, Shri Bhadoria has suggested that the sale price of any essential commodity manufactured in a factory should not be, in any case, more than one and a half times of its cost of production. A number of MPs. do not know that how much tax is there only on sugar. The Government has reduced the excise duty on sugar but it would have been better if it would have been sold at a uniform rate of Rs. 3/- per kg. throughout the country.

The industrialists engaged in Khandsari industry are in trouble. The excise duty on this item has not been reduced. Similar is the position of kerosene and petrol.

With regard to medicines the same position is there. In this context the Government should implement the recommendation of the Hathi Committee. I hope the Government would pay attention to this situation and keep a check on the industrialists.

It is gratifying to note that the Janata Government has curtailed the prices of fertilizers.

If income tax is imposed on income accruing from agriculture and other business, it may bring substantial revenue to the Government.

Secondly, the profits of big businessmen and monopolists should be curtailed. They should not be given loans by the Banks.

The Janata Party took a pledge on the 24th that they would bring "Antydoaya". Restriction has to be imposed on conspicuous expenditure with a view to reducing the economic disparity between the very rich and the very poor. In my opinion, nobody should be paid a monthly salary of more than Rs. 2000/-.

A limit has to be fixed on expenditure. Tax should be imposed on the expenditure beyond Rs. 2000/-.

The Government should make effort to abolish sales-tax on essential commodities.

SHRI Bhadoria has suggested in his Resolution that there should be decentralisation of power. We should have decentralisation of power and alongwith it there should be decentralisations of expenditure too. All sources of revenue should be decentralised.

MR. CHAIRMAN : We have taken 45 minutes. I request the hon. Members to take not more than two minutes each.

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich) : The resolution under discussion is directly concerned with the economic development of the country. Since the farmers constitute more than 80 per cent of India's population, to neglect farmer is to neglect India.

The hon. Minister of Finance has said that at least 40 per cent of the Budget allocations would be spent on agriculture. I congratulate him for this allocation but unless remunerative price is paid to the farmers, there cannot be any progress.

The entire economic structure of this country is based upon agriculture. It is the agriculture which provides raw materials for big industries operating in the country. Therefore, if we want our plans to succeed, we shall have to do justice to the farmers by paying them remunerative prices of their produce.

The question is as to how the cost of farmer's produce is determined. It should be determined on the pattern on which the cost of production of factory items is determined. There is no body to Question them. These directors get more pay than the President. But this principle does not apply to them.

Villages cannot be developed unless the agriculturists are paid remunerative prices for their produce.

Factory owners get power in day whereas the farmers get power at night even during there cold days. He is not getting even reasonable price of his sugarcane.

The sympathy shown by the present Government to the farmers should be practical. The farmers should get at least their cost of production.

श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए

SHRI TRIDIB CHAUDHURI *in the Chair*

The agriculturists should be paid a price which may be profitable to them, keeping in view the cost of production of agricultural produce.

The Agricultural Price Commission is there but it consist of such people who are completely ignorant of the conditions prevailing in rural areas. It should be constituted of such persons who hail from rural side. Reasonable and remunerative prices of agricultural produce be fixed. In case farmers are neglected and they are not paid reasonable and remunerative prices of their agricultural produce it may lead to violent revolution. In case the Government wants to save the farmers it should wake up in time. Otherwise She will be responsible for the revolutionary situation that may arise.

The condition of labourers is very pitiable. They are not able to get their two ends meet. The Government should take steps in time otherwise it may result in violent rovolution.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आज देश में आर्थिक असमानता है। एक ओर बड़े बड़े उद्योग हैं और दूसरी ओर निर्धन लोग और कमजोर वर्ग हैं, कृषक हैं। और सीमान्त कृषक हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। अतः उनमें समानता लाने के लिये कोई विधान लाया जाना चाहिए। इस मामले में सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। जनता पार्टी की सामान्य लोगों के प्रति कुछ उत्तरदायित्व हैं। कृषि व्यवस्था आज भी बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में है। अपने धन के बल पर उन्होंने

व्यापार नीति तथा अन्य बातों पर अपना नियंत्रण कर रखा है। देश में आर्थिक स्वतन्त्रता होनी चाहिये। मूल्य दोनों किसानों, उत्पादकों तथा खेतिहर मजदूरों की इच्छानुसार निर्धारित किया जाना चाहिये।

देश में आज शराब के अनेक कारखाने काम कर रहे हैं और यदि उनकी उत्पादन लागत एक रुपये आती है तो वे इसे 15 रुपये की दर से बेचते ह। कोई इस बात की कोशिश नहीं करता है कि उनकी उत्पादन लागत कितनी है। बेचारे निर्धन व्यक्ति को अत्यावश्यक वस्तुओं का अधिक मूल्य देना पड़ता है। इस प्रकार मूल्य बढ़ गये हैं। क्या मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये कोई तंत्र है? गत 8 महीने से मूल्य बढ़ रहे हैं और उनको रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार को बड़े व्यापारियों और जमाखोरों के प्रभाव में नहीं आना चाहिये। यदि वह ऐसा करती है तो वह कठिनाई में पड़ जायेगी। किसी भी अत्यावश्यक वस्तु का मूल्य उस पर आने वाली उत्पादन लागत से डेढ़गुना नहीं होनी चाहिये।

उचित वितरण प्रणाली की व्यवस्था की बात की गई है। ऐसा सहकारी समितियों अथवा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाना चाहिये। आठ महीने बीत जाने के बावजूद सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाई है।

भूमि सुधार के बारे में कोई उचित विधान बनाया जाना चाहिय। देश में जमाखोरों, काला बाजारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। निर्धनों और किसानों को लाभ देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सरकार भूतपूर्व सरकार के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। आयोगों की नियुक्ति पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है किसानों और निर्धनों की सहायता और मल्य निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार ने कोई धनराशि खर्च नहीं की है। यदि सरकार इस प्रकार की कोई कार्यवाही करती तो जनता उसकी सराहना करती। इस संकल्प का उद्देश्य गैर सरकारी उद्यमकर्त्ताओं, बड़े बड़े व्यापारियों और बड़े जमीदारों को समाप्त करना है। इसके लिये किस तंत्र की व्यवस्था की गई है? सरकार को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कोई उचित विधान लाना चाहिये, प्रशासन में सुधार करना चाहिये और प्रगतिशील नीति अपनानी चाहिये।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसानों का यथोचित आदर तथा सहायता की जानी चाहिये। सरकार को ऐसा प्रगतिशील नीति बनानी चाहिये जिससे किसानों का शोषण रोका जा सके।

SHRI NATHU SINGH (Dausa) : Chairman, Sir I request that the time of the House should be extended.

***सभापति महोदय :** हम 5.30 बजे तक चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि 5.30 बजे आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जायेगी। प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार होगा।

***श्री एस० जगन्नाथन** (श्री पेरम्बदूर) : उत्पादन और कृषि और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में समानता लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है जिसके लिए प्रस्तावक बधाई के पात्र हैं। आज देश में कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। मिल मालिक केवल व्यक्तिगत लाभ कमाने में लगे हैं। एक ओर कपास उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है दूसरी ओर कपड़ा मिल मालिक भारी लाभ कमा रहे हैं। मूंगफली के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है।

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रुपातन्र हिन्दी।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tmil.

मजदूरों को न्यूनतम मजूरी प्राप्त करने के लिये हड़तालों का सहारा लेना पड़ता है। उद्योगपति जनता और सरकार को धोखा देकर भारी लाभ कमाने में लगे हैं।

जनता पार्टी के महान नेता बार-बार यह कह रहे हैं कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने का प्रयास कर रहे हैं। केन्द्रीय योजना आयोग ने कहा है कि शहरी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनेगी। कृषि उत्पादों के लिये मूल्य के उचित भुगतान को राजनीतिक समस्या नहीं बनाना चाहिये। इस बात पर देश का भविष्य निर्भर है।

SHRI NATHU SINGH : I congratulate Shri Bhadoria for bringing this resolution. It is an important Question. The previous Government which has always been taking about the farmers, has actually stabbed them in the back and has done nothing to protect their interest. It has exploited the farmers politically and economically.

Farmers work hard to feed the people of the country.

The previous Government deliberately kept them backward and exploited them. Government has appointed Shah Commission for Indira Gandhi.

The previous Government had exploited the farmers. A Commission should be appointed to go into this exploitation of farmers.

There are no proper roads in rural areas and there is no proper supply of electricity to the farmers. The electricity in rural areas is supplied in the night, whereas electricity to the factories is supplied in the day, where it could be supplied even in the night. A present electricity is being supplied to farmers at the rate of 32 paise per unit, whereas 7 or 10 paise per unit is charged from the factories. The Government should take steps to provide roads in rural areas. Electricity should be supplied to farmers in sufficient quantity and at cheaper rates.

The previous Government did not make available cheap tractors to the farmers. Agricultural produce markets had also not been provided to the farmers. The previous Government did not take steps to educate farmers in the use of modern techniques of agriculture. More Gram Sevak, should be sent to villages to acquaint the farmers with the modern techniques. Small tractors should be provided to farmers. Steps should be taken on manufacture more and more small tractors.

Prices of agricultural implements had been raised and prices of agricultural produces had been reduced. This is highly unjustified. Farmers should be supplied agricultural inputs at proper prices and should get remunerative prices for their produce.

There are no marketing facilities for the farmers in rural areas. There should be markets in rural areas, where farmers could sell their produce and get proper price therefor. A farmer's Commission should be appointed at the Central level to go into the problems of farmers and to suggest solutions for them.

More and more Agricultural Universities and Agricultural Colleges should be opened in the rural areas which could provide agricultural education to more and more people. Good quality of seeds should be made available to farmers. Dairies should be developed in the rural areas. Big dams and canals should be erected. Drinking water should be made available to the rural areas.

In this connection I would like to congratulate Rajasthan Government which has introduced Revenue Plan and Antyodaya Plan. Tehsildar, S.D.M. and the Collector went to the villages alongwith M.L.As and M.P. and pending cases were disposed of in the villages itself. Under the Antyodaya Plan, Rajasthan Government has taken the responsibility of raising the standard of living of the poorest five families in each village.

The Janata Government has decided to spend 40 per cent of the revenue on agricultural sector which consists of 80 per cent of the total population. In my personal view, even this amount is also less and it needs to be increased. Now the farmer is vigilant and if steps are not taken to improve their lot, Janata Government will have to face the fate of Congress. I hope Janataa Government would take steps for the welfare of the farmers.

श्री श्यामसुन्दर भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और यह विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री अर्जुन सिंह भदौरिया को धन्यवाद देता हूं।

कल, प्रधान मंत्री जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी की समस्या पर भाषण दिया था और यह कहा था कि शोषण समाप्त होना चाहिए, हरिजनों को जमीन मिलनी चाहिए और एक नये प्रकार से अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। हमें आधुनिक भारत का निर्माण भारतीय संस्कृति के आधार पर करना होगा।

जब रामचन्द्रजी रावण को पराजित करके सीता के साथ अयोध्या वापस आये, उस समय सीता को प्रजा ने स्वीकार नहीं किया था। सीता को वनवास दे दिया गया था। उस समय जनता को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने का दायित्व शासक का था। हिन्दू शासकों के समय ग्राम व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। मुस्लिम शासन काल में भी छठा या चौथाई भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था और महाजन भी मूलधन और ब्याज मिलाकर दी गई राशि से दुगना वसूल नहीं कर सकते थे।

ब्रिटिश शासन काल में पुरातन भारतीय प्रणाली को बदल दिया गया। किसानों से जमीन छीनकर जमीदारों को दे दी गई। स्वाधीनता के 30 वर्षों के बाद भी हम उसी ब्रिटिश परम्परा का पालन किये जा रहे हैं। इस परम्परा को पूर्णतः समाप्त किया जाय।

क्रान्तिकारी भूमि सुधार की व्यवस्था करके वास्तविक जोतदारों को भमि दी जानी चाहिए। बड़े जमीदारों से जमीन लेकर आदिवासियों और भूमिहीनों को जमीन दी जाय।

बड़े जमींदार उद्योग और वाणिज्य के व्यवसाय को अपनायें। इसी प्रकार हम भारतीय प्रणाली की पुनर्रचना कर सकते हैं। भारतीय जनता ने आपात काल के अत्याचारी शासन को समाप्त कर दिया है और अब वे व्यग्र हैं। अब जनता हमें भी नहीं बख्शेगी। जब तक ग्राम्य भारत में वास्तविक आर्थिक आधार की स्थापना नहीं होगी सरकारों को उखाड़ कर फैंकी जाती रहेंगी।

जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में गरीबी, बरोजगारी और निरक्षरता समाप्त करने का वचन दिया है। हमारे देश में प्रौद्योगिकी अत्यधिक विकसित हो गई है और पर्याप्त तकनीशियन भी हैं। हमें ग्रामीण भारत का विकास कर अपने देश का निर्माण करना है। हमारा देश अमरीका या ब्रिटिश की होड़ नहीं करेगा, अपितु वह तो भारतीय संस्कृति का ही पालन करेगा। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए

SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : यह सच है कि 30 वर्षों के दौरान हमने ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की है। नई सरकार द्वारा जो मूल नीति अपनाई गई है वह गरीबी का निवारण करने तथा बेरोजगारी समाप्त करने की नीति है। हमें सभी नीतियां इस तरह से निर्धारित करनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हों और किसान अधिक समृद्ध बनें। किसान तभी समृद्ध हो सकता है जबकि वह

अधिक उत्पादन करे और उसे अपने उत्पादों का उचित तथा लाभप्रद मूल्य मिले। किसान अधिकतम उत्पादन तभी कर सकता है यदि उसे आवश्यक उर्वरक, पानी, अच्छे बीज आदि प्राप्त हों। अतः हमारी आयोजना में सिंचाई सुविधाओं पर अधिकाधिक बल दिया जायेगा। इसी प्रकार हम उर्वरकों के उत्पादन पर भी जोर दे रहे हैं। ताकि किसान को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिले और बढ़िया किस्म के बीज मिलें। जहां तक सरकार की नीति का संबंध है, वह इस संकल्प के प्रस्तावक के अनुकूल है।

यह ध्यान रखना चाहिये कि कृषि राज्य का विषय है। जहां तक केन्द्र का संबंध है वह तो अवश्य संसाधन उपलब्ध करा सकता है और इसीलिए केन्द्र ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि के लिये संसाधनों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करने का निर्णय किया है। यह कृषि में अनुसंधान कार्य का प्रबंध कर सकता है, बढ़िया और नई किस्म के बीजों का उत्पादन करने का प्रबंध कर सकता है ताकि अधिक उपज हो। इसी प्रकार केन्द्र सन्तोषजनक विस्तार व्यवस्था के लिये योजना बना सकता है और संसाधन जुटा सकता है तथा कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि शिक्षा के लिये वित्तीय संसाधन भी जुटा सकता है। लेकिन कृषि सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये वास्तविक कार्य राज्यों में ही किया जाना होगा और इसके लिए राज्य सरकारें पूरी तरह से कृतसंकल्प हैं और हमारी नीति के अनुरूप ही कार्य कर रही हैं। तभी हम अपने उद्देश्य में सफल रहेंगे।

उदाहरणार्थ चालू वर्ष का बजट इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर निर्धारित किया गया है। हमने पेय जल की सप्लाई और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों के लिये विशेष प्रावधान किया है। हम ग्रामीण विकास की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सम्पर्क मार्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सभी गावों में सम्पर्क मार्ग पक्के बनें। पेय जल की सप्लाई के सम्बन्ध में भी हमारा यही प्रयास है। सन्तोष का विषय है कि अधिकाश राज्य सरकारें भी इसी दिशा की ओर बड़े उत्साह से कार्य कर रही हैं और जिस नीति का हम अनुसरण करना चाहते हैं, उसमें हमें सफलता मिलने की आशा है।

ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रामीण विकास के बारे में हमने सही नीति अपनाई है। हम ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं तथा हमारा विचार ग्रामीण विकास के लिये उपलब्ध संसाधनों के आबंटन में वृद्धि करने का है। जहा तक ग्राम्य विकास कार्य और किसानों के हितों का सम्बन्ध है, सरकार इस ओर वस्तुतः ठोस कार्य कर रही है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिये यथासम्भव प्रयास किये जाने चाहिए। आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये हर सम्भव कदम उठाया जाए। हम आशा करते हैं कि कपड़े पर मूल्य छापने के लिये शीघ्र कदम उठाए जाएंगे।

जब तक लाभ की अधिकतम सीमा स्थिर नहीं की जाती तब तक मूल्यों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। हम अमीरों के बढ़ने को रोकने के लिय आवश्यक कदम उठाएगे।

आवश्यक वस्तुओं का भण्डार बना कर हमें उन्हें सार्वजनिक वितरण पद्धति के द्वारा वितरित करना चाहिए। हम ऐसा केवल उन्हीं वस्तुओं के संबंध में कर सकते हैं जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसा हम खाद्यान्नों के संबंध में कर सकते हैं और वह हम कर भी रहे हैं। चीनी के संबंध में हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कपड़े के संबंध में भी ऐसा हो सकता है और

उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तेल को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं अभी भी हैं जिनकी पर्याप्त सप्लाई नहीं हो सकती। उनके लिये हमें अन्य कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : पश्चिम बंगाल सरकार पूरी जनसंख्या को सार्विधिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत लाना चाहती थी लेकिन चावल जोन को हटा देने संबंधी आपकी नई नीति के कारण सुधारीकृत राशन की दुकानों को आश्वस्त की गई सप्लाई भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन घोषित की गई नीति के फलस्वरूप आप इसे कार्यान्वित करने के लिये ठोस कार्यवाही करें।

श्री एच० एम० पटेल : मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं और इस प्रयोजन के लिये मैं आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध भी कराऊंगा।

काले धन को समाप्त करना आसान नहीं है। यह सदैव विद्यमान रहा है। इसलिये ऐसा प्रयत्न किया जाए कि इसमें वृद्धि न हो। ऐसा मात्र मुद्रा पद्धति में फेर बदल कर नहीं किया जा सकता। ऐसा केवल अभाव को समाप्त कर और अधिक उत्पादन करके ही किया जा सकता है।

सामान्य वाणिज्यिक व्यापारिक सौदों से बाहर सौदों के अवसर बहुत कम हैं। हम इन्हीं बातों को करने अथवा रोकने के प्रयास कर रहे हैं। हम इस बात को नजरन्दाज नहीं कर रहे कि काला धन बहुत बड़ी समस्या है।

SHRI ARJAN SINGH BHADORIA (Etawah) : The hon. Finance Minister has given obsolute reasons and stated that Agriculture production is a state subject. If wheat and Rice is state subject, a farmer produces sugarcane and sugar also which is taken over by Central Government under its control. He should get aside there old logics and establish a new arrangement.

श्री एच० एम० पटेल : मैंने यह कहा है कि राज्यों को बहुत से विकास कार्य करने होते हैं और हमारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जितनी गति दिखाई जायेगी हम उसी गति से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकेंगे।

SHRI ARJAN SINGH BHADORIA : I want to say that a poor farmer does not feel that the Finance Minister and Janata Government are not aware of his problems. We should make them understand that Janata Government is not averse to their problems.

During the last 8 months we have merely given them assurances. But this does not serve any purpose. We should do some practical work in this regard.

The motion has not been draffted property by the Lok Sabha Secretariat. Any body who reads it would start opposing the Janata Government. My resolution did not relate to curbing profits of agriculturists. In fact I wanted to ensure profits to them.

श्री एच० एम० पटेल : मैं इस संकल्प के पीछे जो भावना है उसे स्वीकार करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि अब वे इसे वापस ले लें।

SHRI ARJAN SINGH BHADORIA : I am withdrawing my motion with the hope that effective measures would be taken in this regard by the Janata Government.

सभापति महोदय : क्या अन्य सदस्य भी संशोधन वापस ले रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : क्या उन्हें संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये :

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : क्या श्री भदौरिया को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिये गया।

The Resolution was, by leave, withdrawn

अर्थ व्यवस्था को सुधारने तथा आय आदि की असमानता को कम करने के लिये कार्यवाही करने हेतु संकल्प

RESOLUTION RE: STEPS TO IMPROVE THE ECONOMY AND REDUCE INEQUALITIES OF INCOME ETC.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने, तथा आय, धन और वैयक्तिक उपभोग में असमानता को कम करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाममंड हार्बर) : मैंने लिखित सूचना दी है। मुझे कुछ कहने का अवसर दिया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्री ज्योतिर्मय बसु का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। इस सभा में हाल ही में इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं हुआ है। इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिये। श्री गुप्त ने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस प्रकार दोनों पर विचार किया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु :*

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने अपना संकल्प प्रस्तुत कर दिया है और मेरे विचार में उस पर विचार किये बिना दूसरा संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु :*

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने लिखित में एक प्रस्ताव दिया है जिसमें मैंने कहा है कि मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि कार्यसूची की मद संख्या 2 को पेश करने के बाद स्थगित किया जाये और मेरे संकल्प को बचाने के लिये नियम 29 तथा 30 निलम्बित किये जायें मैं प्रस्ताव पढ़ता हूं*

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे संकल्प पर विचार होना चाहिये।

[व्यवधान]

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रकार का पहले भी उदाहरण है। कृपया 11 अप्रैल, 1975 का वाद-विवाद देखें।

सभापति महोदय : मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं लोक सभा वाद-विवाद दिनांक 11 अप्रैल, 1975 के पृष्ठ 364 को पढ़ता हूं। यह स्पष्ट मामला है। मेरा प्रस्ताव है।*

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसारकार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chairman.

सभापति महोदय : कृपया पढ़े नहीं

ज्योतिर्मय बसु : यह एक बहुत ही असामान्य मामला है (**अन्तर्बाधाएं**)

सभापति महोदय : उस बारे में अध्यक्ष पीठ का विनिर्णय पृष्ठ 364 पर दिया है। जिसके अनुसार इसे पूर्वोदाहरण नहीं बनाया जा सकता (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री ज्योतिमय बसु : क्या मैं यह मान लूं कि मैंने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है।

सभापति महोदय : जी नहीं (**अन्तर्बाधाएं**)

*आधे घटे की चर्चा

Half-an-hour discussion

*वरिष्ठ सिविल अधिकारियों की गिरफ्तारी

प्रो० पी० जी० माबलकर (गांधीनगर) : मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री एस० डी० पाटिल द्वारा दिये गये उत्तर एवं बाद में माननीय प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा दिया गये उत्तर अपर्याप्त हैं।

मैं यह समझता हूं कि सिविल सेवा को विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर पर, अधिकार, कर्त्तव्य एवं प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। नियमानुसार शासन की पुनः स्थापना के बाद तो यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

सरकार ने मूल प्रश्न के उत्तर में कुछ ऐसी बातें कहीं जो सन्तोषजनक नहीं कहीं जा सकतीं। यह प्रश्न सिविल सेवा के कार्यकरण तथा सिविल सेवा एवं सरकार के बीच संबंधों के बारे में है। दो अत्यन्त वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है। दो मास व्यतीत हो चुके हैं। इस प्रकार उनको अधर में लटकाये रखना किसी के भी हित में नहीं है। यह अनिर्णय की स्थिति देश में कुशल प्रशासन के हित में नहीं है। श्री बोहरा तथा श्री अग्रवाल को इस वर्ष 3 अक्तूबर को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किये जाने का केन्द्र में एवं राज्यों में वरिष्ठ सिविल अधिकारियों के मनोबल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप "निर्णय न लेने" की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। इस स्थिति में निर्णय लेने और नीति निर्धारण करने का भार राजनीतिज्ञों अर्थात मंत्रियों पर आ गया है। क्या सरकार यही चाहती है ? राजधानी में एवं राज्यों की राजधानियों में यह भावना पनप रही है कि हम निर्णय लेने का काम अपने राजनैतिक स्वामियों पर छोड़ देना चाहिये और स्वयं कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये। यदि यह प्रवृत्ति फैल गई तो बहुत ही गंभीर मामला है। इसी कारण इस पर चर्चा की आवश्यकता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो इसका परिणाम क्या निकलेगा ? क्या इसका परिणाम यही नहीं निकलेगा कि सभा प्रशासन ही ठप्प हो जायेगा। सिविल सेवाएं सरकार अर्थात राजनैतिक पक्ष का काम करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हम अपने ही साधन का अविश्वास कैसे कर सकते हैं। इस स्थिति में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा निर्णयों को कार्यान्वित करने का काम किस प्रकार सौंपा जा सकता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं उठा रहा मैं प्रक्रिया नियमों की बात कर रहा हूं। यदि वे अधिकारी दोषी हैं तो उन्हें दंड दिया जाये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रत्यक्ष उनके विरुद्ध कोई बात है ?

सिविल सेवा को प्रचार से दूर रह कर कार्य करना पड़ता है निर्वाचित प्रतिनिधियों को तो अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। परन्तु अपने बचाव के लिये वे लोग कहां जाएं। इस देश में राजनीतिज्ञों ने भयंकर अपराध किये हैं परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही क्योंकि

'नियमानुसार शासन' की बात आ जाती है तो इनके मामले में ऐसा क्यों नहीं । इससे उनमें गंभीर प्रतिक्रिया होगी ।

वह अपने संगठन को फिर से खड़ा कर रहे हैं जैसा कि समाचारपत्रों से स्पष्ट है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह निर्णय किया है कि यदि उनके साथ न्याय नहीं किया जाता तो किसी फाईल पर कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा और यह काम मंत्रियों पर छोड़ दिया जायेगा । इस ढंग से सरकार नहीं चल सकती । इस प्रकार की टकराव की स्थिति से बचा जाना चाहिये । अन्यथा सारा सरकारी तन्त्र ठप्प हो कर रह जायेगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों उच्च सिविल अधिकारियों को गिरफ्तार करने का निर्णय किस ने किया ? क्या दोनों वरिष्ठ सिविल अधिकारियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट दिखाई गई थी ? क्या इस बीच उनसे पूछताछ की गई है ? क्या कोई बयानए वं स्पष्टीकरण लिया गया है ?

समाचारपत्रों के समाचारों के अनुसार इन अधिकारियों से कोई बयान अभी तक नहीं लिया गया है । क्या इन अधिकारियों को अपनी बात कहने और अपनी बचाव का कोई अवसर दिया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक ने इस वर्ष जुलाई में श्री श्री बोहरा के साथ इस मामले पर बातचीत की थी और अन्त में कहा था कि अब सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है । फिर 3 अक्तूबर को अचानक यह सब धारित हुआ । क्या प्रधान मंत्री ने इन मामलों की जाच की है ? क्या श्री वोहरा ने प्रधान मंत्री को कोई अभ्यावेदन भेजा है ? क्या श्री अग्रवाल ने ऐसा किया है ? इन मामलों की जांच के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ।

इस प्रकार की कार्यवाही करने का क्या कारण था ?

संसद, जनता और प्रेस की तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और बहुत सी टिप्पणियां की गई हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार निश्चय और ईमानदारी से कार्य करे और जो अपराधी पाये जाये, उसे दंडित किया जाये । परन्तु निर्दोष लोगों पर जब तक अपराध साबित न हो जाये , उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाये । इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनाया जाये ? क्या किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा विधि-शासन से अधिक महत्वपूर्ण है ? यदि ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि वे, यदि उनकी त्रुटि है, और यदि वे ऐसा समझते हैं, तो उसे मान लें ।

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन ।

श्री कंवर लाल गुप्त : पहले मंत्री महोदय को उत्तर देने दिया जाय । माननीय सदस्य बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय को सबके उत्तर एक साथ देने दिया जाये ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कनानूर) : मैं मंत्री महोदय से इन अधिकारियों की भूमिका के बारे में जानना चाहता हूं ।

इन अधिकारियों की फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत के दौरान क्या भूमिका रही ?

मूलत: स्थिति यह है कि मंत्रिगण संसद एवं देश के प्रति उत्तरदायी हैं । मैं महसूस करता हूं कि जो उच्च अधिकारी ऐसे मामलों में उतने ही उत्तरदायी हों उन्हें भी संसद तथा देश में प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये ।

यदि सरकार यह स्पष्ट कर दे कि इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या निश्चित आरोप लगाये जा रहे हैं तो अन्य शंकाएं दूर हो जायेंगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। मेरा मत यह नहीं है कि अधिकारियों को उत्तरदायी नहीं बनाना चाहिये। उन्हें भी उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

इस विशेष मामले में 23 नवम्बर को प्रश्न काल के दौरान मैंने यह कहा था कि वहाँ एक समझौता-समिति होती है। 19 नवम्बर के "मैन्स्ट्रीम" में सी०एफ०पी० समझौते के पूरे दस्तावेज को छापा गया है।

उसमें कहा गया है कि "समिति सिफारिश करती है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इस प्रारूप के आधार पर सी०एफ०पी० के साथ समझौता करना चाहिये।" मेरा प्रश्न यह है कि क्या श्री वोहरा इस समझौते के प्रारूप के ढांचे से आगे बढ़ गये थे और क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि श्री वोहरा ने इस समझौते के सिद्धान्त से परे या उसके विरुद्ध कोई बात की थी ?

प्रो० पी० जी०मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० पी० जी०मावलंकर : यह बहुत ही अनुचित बात है कि जब चर्चा चल रही है, तो गृह मंत्री यहां से चले जायें।

सभापति महोदय : राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हम उनसे उत्तर चाहते हैं।

सभापति महोदय : उनके सहयोगी यहाँ है वह उत्तर दे देंगे।

श्री सी के० चन्द्रप्पन: जब उत्तर दिया जा रहा है और गृह मंत्री यहां हैं तो ठीक है।

श्री चरण सिंह : मुझे मंत्रीमंडल की उप-समिति की बैठक में भाग लेना है। मेरे सहयोगी यहां हैं और उन्हें पूरा ब्यौरा दिया गया है।

सभापति महोदय : श्री बसु, क्या आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं ?

श्री चित्त बसु : जी, नहीं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या श्री वोहरा ने मंत्री को गलत सलाह दी थी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार श्री वोहरा ने जो कुछ किया उससे संतुष्ट है और संतुष्ट होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि सभा कभी निश्चित अवधि से आगे तक चलती थी तो मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी जाती थी। यद्यपि गृहमंत्री यहा से चले गये हैं। तथापि यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि ऐसा करना सभा के प्रति अनादर प्रकट करना है।

सभापति महोदय : श्री पाटिल यहां हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : सभा का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाना चाहिये।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, जी, हां।

सभापति महोदय : सभा का समय पन्द्रह मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री के० लक्कप्पा (तूमकुर) : प्रो० मावलंकर ने देश में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की गिरफ्तारी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है इससे विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यकरण के बारे में अनेक शकाएं उत्पन्न हो गई हैं। आपको मालम होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों का यह देखना उनका उत्तरदायित्व है कि वे ठीक ढंग से कार्य करे। जिस ढंग से गिरफ्तारी की गई है उससे राजनैतिक बदले की भावना का पता चलता है। यदि सम्बन्धित अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य से मूंह मोड़ा है तो उनपर विद्यमान कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। श्री चन्द्रप्पन ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों को भी उनकी भूल-चूक के लिये सभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये। ऐसा करने के लिये नीति निर्धारित की गई है और इस आशय का कानून भी बनाया गया है परन्तु देश में प्रचलित कार्यकारिणी ने अपना अलग ही निष्कर्ष निकाला है। इन दो वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों गिरफ्तार किया गया। सरकार में परिवर्तन आया है इससे शंका और भी बढ़ गई है। इस मामले में देश में भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है कि भारत सरकार का समूचा प्रशासन ठप्प हो गया है और यह भ्रान्ति राज्यों में भी फैल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यपालिका कार्यकरण के सम्बन्ध में पूरी स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायगा ?

क्या सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेगी ? अन्यथा कोई भी मंत्री अधिकारियों पर दोष डाल कर साफ बच जायेगा। ऐसे ही अधिकारी भी मंत्रियों पर दोष डाल कर साफ बच जायेगें। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I take it in principle that the corrupt person should be punished but there is a feeling among intellectuals that the case with regard to these two officers has not been handled properly. Politicians as well as officials should not be equated with each other. The Government should have made these arrests after serious thinking.

The Janata Government believe in security of service. Will the hon. Minister give this assurance that the Janata Party is not vindictive and the Janata Government believe in security of service and they do not want to block initiative of any officer ?

My other question is that will the Minister of Home Affairs give an assurance to the country through this House that the Prime Minister alongwith Home Minister and Law Minister would review the representations and cases of these two officials and withdraw the case if they found innocent ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं प्रोफेसर मावलंकर के विचारों का आदर करता हूं परन्तु मुझे खेद है कि उनकी आलोचना सही जानकारी के अनुसार नहीं है। उनका कहना है कि विधि शासन का उल्लघंन हुआ है, हम सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिय कटिबद्ध है। माननीय सदस्य दो महत्वपूर्ण अधिकारियों, जो दोनो सचिव है, की गिरफ्तारी के बारे में चिंतित है (उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास उनके विरुद्ध विश्वसनीय जानकारी है।

ऐसी बात भी नहीं है कि इस मामलों में बिल्कुल भी प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी। दोनों मामलों में प्रारंभिक जांच की गई और उनसे पता चला है कि उनके विरुद्ध विश्वसनीय जानकारी है और ऐसी बात भी नहीं है कि हमने राजनैतिक बदले की भावना

या किसी प्रकार के द्वेष से ऐसा किया है। हमें यह मालूम है कि ये दोनों ही अधिकारी उच्च पदों पर आसीन हैं और वे प्रशासन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिये उनपर पर निर्भर रहना पड़ता है। एफ० आई० आर० तथा आरोप-पत्र के बारे में आम धारणा गलत है जो कि श्री मावलंकर बताई है। परन्तु उन्हें इसकी ठीक जानकारी न होने के कारण ऐसी बात उन्होंने कही है। यह सभी जानते हैं कि एफ० आई० आर० जांच शुरू करने का साधन है। जब पुलिस जांच कर रही है तो उसे सभा या मंत्रालय को नहीं बुताया जा सकता। इन मामलों का पुनर्विलोकन करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जो कुछ कार्यवाही की गयी है वह सम्बन्धित अधिकारी के फैसले से की गई है।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि जांच करने के बाद क्या गृह मंत्री और विधि मंत्री मामलों की जांच करेंगे। मंत्री महोदय का इस बारे में क्या विचार है?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा है कि मैं इन मामलों की जांच करुंगा क्या उन्होंने जांच आरंभ कर दी है?

श्री एस० डी० पाटिल : जब मामले पर जांच चल रही है तो सम्बन्धित अधिकारियों से पूछताछ की जायगी।

श्री के० लक्कप्पा : प्रधान मंत्री द्वारा फाइलें मंगाये जाने का क्या कारण था?

श्री एस० डी० पाटिल : सेवा नियमों के अन्तर्गत जब कभी किसी अधिकारी को मुअत्तिल किया जाता है तो उसे प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन करने का हक है और वह अधिकारी प्रशासन का प्रधान है। यदि उन्होंने प्रधान मंत्री को किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण दिया है तो उसकी गुण दोष के आधार पर जांच की जायगी।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या उन्होंने प्रधान मंत्री को कोई अभ्यावेदन दिया है?

श्री एस० डी० पाटिल : उन्होंने यह कहते हुए अभ्यावेदन दिया है कि यह मुअत्तिली उचित नहीं है। अभी दो स्पष्ट मामले हैं। एक में श्री अग्रवाल एकमात्र अभियुक्त हैं तथा दूसरे में तीन अभियुक्त हैं, तथा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री के० डी० मालवीय तथा एक और। उन्होंने जो कुछ भूमिका निभाई वह एफ० आई० आर० में स्पष्ट है। सारे साक्ष्य को फिर से न्यायालय के सामने बताना जन हित में नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप बुद्धि जीवी वर्ग को यह आश्वासन देंगे कि हमने यह कार्य बदले की भावना से नहीं किया है?

श्री एस० डी० पाटिल : कानून में स्थिति स्पष्ट है। जब जांच चल रही है तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जहां तक प्रधान मंत्री या गृह मंत्री द्वारा इन मामलों की जांच किये जाने का सम्बन्ध है, कानून में ऐसी स्थिति नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रधान मंत्री ने सभा में कहा था कि हम इन मामलों की जांच करेंगे। सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? क्या उन्हें अपने विचार रखने का मौका दिया गया है ?

श्री एस० डी० पाटिल : दोनों मामलों में 3 अक्तूबर, 1977 का एफ० आई० आर० है। उसे कुछ अन्य कागजों के साथ न्यायालय में पेश किया गया है। जांच अधिकारियों ने गिरफ्तारी अपने स्वतन्त्र निर्णय से की है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यदि सी० बी० आई० निर्णय करती है कि उन्हें फांसी दी जायेगी तो क्या प्रधान मंत्री हस्तक्षेप करेंगे ?

श्री एस० डी० पाटिल : वह बात यहां लागू नहीं होती है।

श्री चन्द्रप्पन का प्रश्न ठीक है कि अन्ततोगत्वा मंत्री सभा के प्रति उत्तरदायी है परन्तु जब कोई भ्रष्टाचार का मामला हो और उसमें ठोस साक्ष्य या जानकारी हो तो उसे स्वतन्त्र रूप से तैयार करने दिया जाना होगा उसमें मंत्री का उत्तरदायित्व नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या गृह मंत्री यह समझते हैं कि जांच अधिकारी किसी भी नागरिक की जांच कर सकते हैं और राजनैतिक अधिकारियों का उस मामले पर कोई अधिकार नहीं होता है ?

श्री एस० डी० पाटिल : जहां तक प्रश्न के साक्ष्य वाले भाग का सम्बन्ध है उस पर औपचारिक चर्चा की जा सकती है। यदि साक्ष्य पर्याप्त नहीं हो और अधिकारियों को अपने विचारों के आदान-प्रदान में कोई कठिनाई हो तो उस मामले पर उस स्तर पर विचार किया जा सकता है।

जहां तक श्री चितबसु द्वारा उठाये गये विशेष मामलों का सम्बन्ध है कि क्या ये मामले समझौता समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं। इस समिति को सीमित प्रश्न भेजा गया था कि एक कम्पनी द्वारा दिये गये भावों को 230 लाख डालर से कम करके 170 लाख डालर कैसे किया जा सकता है। मैं समूचा साक्ष्य यहां बताना नहीं चाहता। परन्तु जहां तक श्री वोहरा की भूमिका का सम्बन्ध है .....

(व्यवधान)

मैं श्री वोहरा द्वारा निभाई गई संगत भूमिका को निम्न प्रकार से बताता हूं ?

" एफ० आई० आर० में श्री वोहरा द्वारा मंत्रालय के सचिव के रूप में अपनी निजी भूमिका निभाये जाने का संकेत दिया गया है जो 24-3-1977 को एक नोट रिकार्ड करने के बारे में है जिसमें कहा गया है कि उसने मंत्री के साथ मामले पर विचार किया था और यह तय किया गया कि सी० एफ० पी० के साथ समझौते पर पहले हस्ताक्षर किये जाने चाहिएं। इस नोट से श्री वोहरा के विचार का पता चलता है। 24-3-1977 को कोई मंत्री पद पर नहीं था और नये मंत्री द्वारा प्रभार लिये जाने की प्रतीक्षा किये बिना श्री बोहरा ने वह नोट रिकार्ड कर दिया इस नोट की पृष्ठभूमि निश्चय ही श्री वोहरा की सदाशयता के विरुद्ध है।

24 मार्च, 1977 को कोई मंत्री पद पर नहीं था और उन्हें सारी स्थिति मालूम थी। अतः यह उनका उत्तरदायित्व था कि वह यह बात उनके ध्यान में लाते। इस मामले में यह बात नहीं है कि उन्होंने उत्तरदायित्व से कार्य किया और हम उन्हें अनावश्यक रूप से इसमें शामिल कर रहे हैं।

सभापति महोदय : सभा सोमवार के 11 बजे म०पू० तक के लिए, स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 12 दिसम्बर, 1977, 21 अग्रहायण, 1899 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, December 12, 1977/ *Agrahayana* 21, 1899 (*Saka*).

988LSS/77—GIPF.